

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेश कुमार देवांगन

2. पिता/पति : ए.एल. देवांगन

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240001

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अलिशा खान

2. पिता/पति : ए.बी. खान

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240002

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजुल कुमार घोड़ेश्वर

2. पिता/पति : ए.के. घोड़ेश्वर

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 240003

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष बेहार
2. पिता/पति : ए.के. बेहार
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240004
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वीणा वर्मा

2. पिता/पति : ए.के. वर्मा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240005

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुलदीप कुमार खलखो

2. पिता/पति : एम. खलखो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240006

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विभव सिंह

2. पिता/पति : एम.के.सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240007

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिल कुमार बंजारे

2. पिता/पति : एम.पी. बंजारे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 240008

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीतेश श्रीवास्तव
2. पिता/पति : एम.पी. श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240009
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बनवारी लाल सानाड्य

2. पिता/पति : एम.पी. सानाड्य

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240010

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भागचंद कश्यप

2. पिता/पति : एम.आर. कश्यप

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 240011

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टीकमसाय मंडावी
2. पिता/पति : एम.आर. मंडावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 240012
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बृजलाल ताती

2. पिता/पति : एम.आर. ताती

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 240013

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार

2. पिता/पति : एस पोचम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 240014

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निशा अली
2. पिता/पति : एस.एम. अली
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240015

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष नेताम
2. पिता/पति : एस.एस. नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : नारायणपुर
5. रोल नम्बर 240016

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार पाण्डेय

2. पिता/पति : एस.एन. पाण्डेय

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240017

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामकुमार च्येलिके

2. पिता/पति : एस.एल. च्येलिके

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240018

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तखलीक आरिफ

2. पिता/पति : एस.यू. अंसारी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240019

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

2. पिता/पति : एस.बी. श्रीवास्तव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 240020

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रवीण श्रीवास्तव
2. पिता/पति : एस.बी. श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 240021
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेहा कन्नौजिया
2. पिता/पति : एस.पि. कन्नौजिया
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240022
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमन कुमार शर्मा
2. पिता/पति : एस.सी. शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर : 240023
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आराधना पाटनवार
2. पिता/पति : एस.आर. कौशिक
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 240024
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुशील कुमार नेताम

2. पिता/पति : एस.आर. नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 240025

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय कुमार नेताम

2. पिता/पति : एच.आर. नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 240026

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इमरान अहमद
2. पिता/पति : एजाज अहमद
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 240027
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र शिल सुता

2. पिता/पति : एन.एच. सुता

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 240028

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विभा मिश्रा तिवारी

2. पिता/पति : एन.पी. मिश्रा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240029

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मी

2. पिता/पति : एन.अप्पल नायडू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240030

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रवि राव शर्मा

2. पिता/पति : ए.आर. मूर्ति

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 240031

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विवेक कुमार कंवर

2. पिता/पति : एल.एस. कंवर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240032

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बैजंती मार्को
2. पिता/पति : एल.एस. मार्को
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 240033

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सनत कुमार पाण्डेय

2. पिता/पति : एल.एन. पाण्डेय

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240034

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बबीता मंडावी

2. पिता/पति : धर्मेन्द्र मंडावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240035

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुजाता मिश्रा

2. पिता/पति : धर्मेन्द्र मिश्रा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240036

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सीमा रवि
2. पिता/पति : धर्मेन्द्र रवि
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240037

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंबा शर्मा
2. पिता/पति : धर्मेन्द्र शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 240038

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवनारायण सिंह

2. पिता/पति : धर्मपाल सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240039

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय बड़ा

2. पिता/पति : धर्मसाय बड़ा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240040

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीता दर्रो

2. पिता/पति : धर्मेराज दर्रो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240041

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय कुमार मण्डावी
2. पिता/पति : धीर सिंह मण्डावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दन्तेवाड़ा
5. रोल नम्बर 240042
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सूर्या कुमार अजेरिया

2. पिता/पति : धीरेन्द्र

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240043

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुन्ना सिंह

2. पिता/पति : धरम सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240044

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अक्टूबर सिंह कंवर
2. पिता/पति : धरम सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 240045
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनराज नेताम

2. पिता/पति : धरम सिंह नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकर

5. रोल नम्बर 240046

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय कुमार सोनवानी

2. पिता/पति : धरम प्रसाद सोनवानी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240047

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : छेदीलाल जांगड़े
2. पिता/पति : धरम दास जांगड़े
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240048
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राम प्रसाद पटेल
2. पिता/पति : धरमसिंह पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240049
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र कुमार मण्डावी
2. पिता/पति : धरमूराम मण्डावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 240050
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजू बांधे

2. पिता/पति : धरमलाल बांधे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240051

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : घनश्याम रात्रे

2. पिता/पति : धरमलाल रात्रे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240052

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमला नायक

2. पिता/पति : धरमलाल नायक

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 240053

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपधर नायक

2. पिता/पति : धोबालाल नायक

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240054

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमकुंवर राठिया

2. पिता/पति : धुरसिंह राठिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240055

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमलाल भगत

2. पिता/पति : धुराउराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240056

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नूतन लाल धुर्वे
2. पिता/पति : धुनारी लाल धुर्वे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240057

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपेन्द्र कुमार गोरे

2. पिता/पति : ध्रुवाराम गोरे

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240058

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार मांडले

2. पिता/पति : धनश्याम मांडले

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240059

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमलेश कुमार सिन्हा

2. पिता/पति : धनश्याम सिन्हा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240060

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रश्मिलता साहू
2. पिता/पति : धनंजय प्रसाद साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240061
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बुद्धसिंह बैगा
2. पिता/पति : धनसिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240062
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजू यादव
2. पिता/पति : धनसिंह यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240063

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनिता सेन्दरिया
2. पिता/पति : धनसिंह सेन्दरिया
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240064
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रसन्न कुमार एक्का
2. पिता/पति : धनी एक्का
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240065
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुनेश्वर टोप्पो

2. पिता/पति : धनीराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240066

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शकुन्तला भगत

2. पिता/पति : धनीराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240067

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गीता धुर्वे
2. पिता/पति : धनीराम धुर्वे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240068

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गुलकेशन ब्राड मेरसा

2. पिता/पति : धनीराम मेरसा

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही

5. रोल नम्बर 240069

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजपाल मेरसा

2. पिता/पति : धनीराम मेरसा

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240070

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेश कुमार भगत
2. पिता/पति : धनीराम भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240071
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : घासीराम राठिया

2. पिता/पति : धनीराम राठिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240072

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नंदकिशोर सोरी

2. पिता/पति : धनीराम सोरी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकर

5. रोल नम्बर 240073

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार देवांगन

2. पिता/पति : धनीराम देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240074

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रंजीत कुमार जांगड़े

2. पिता/पति : धनीराम जांगड़े

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 240075

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रियंका ठाकुर

2. पिता/पति : धनराज सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 240076

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश कुमार ध्रुव

2. पिता/पति : धनाऊराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 240077

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजू निषाद

2. पिता/पति : धनाऊराम निषाद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240078

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामदास मरकाम
2. पिता/पति : धनात्कारी मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 240079
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्ञामन लाल यादव
2. पिता/पति : धनसाय यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर : 240080
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टकेश कुमार निषाद

2. पिता/पति : धनसाय निषाद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240081

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : युगल किशोर भंडारी

2. पिता/पति : धनसाय भंडारी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240082

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजालाल

2. पिता/पति : धनसाय राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240083

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजाराम पुसाम

2. पिता/पति : धनुकराम पुसाम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240084

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिरुद्ध कुमार पैकरा

2. पिता/पति : धनुकसाय पैकरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240085

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उग्रसेन चौहान

2. पिता/पति : धनेश कुमार

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240086

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुरुषोत्तम लाल

2. पिता/पति : धनेश लाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240087

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेश कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : धनेशराम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240088
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निर्मल कुमार बघेल

2. पिता/पति : धनूराम बघेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 240089

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : द्वारिका प्रसाद

2. पिता/पति : धूरन लाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240090

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार साव

2. पिता/पति : ध्वजाराम साव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240091

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीषा नागरे
2. पिता/पति : रुकेश कुमार नगारची
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240092
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार कश्यप

2. पिता/पति : रूपधर कश्यप

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 240093

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मण लाल दिवाकर
2. पिता/पति : रूपऊराम दिवाकर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240094
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुज कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : रूपसिंह ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240095
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार सर्वे
2. पिता/पति : रूपराय सर्वे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240096
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुनीत कुमार सोरी

2. पिता/पति : रूपाराम सोरी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 240097

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : किरन दीवान
2. पिता/पति : रूपचंद्र दीवान
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240098

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमशीला ठाकुर

2. पिता/पति : रूपेश ठाकुर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240099

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सूरज प्रसाद किस्पोट्टा
2. पिता/पति : रूपन राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 240100

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रियंका सिंह राजपूत
2. पिता/पति : रुद्र प्रताप सिंह राजपूत
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 240101
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल कुमार टोप्पो

2. पिता/पति : रुचन राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240102

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पंकज प्रकाश तिवारी

2. पिता/पति : यमुना प्रसाद तिवारी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240103

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनय कुमार पटेल

2. पिता/पति : श्याम कुमार पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240104

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भरत लाल चौहान
2. पिता/पति : श्याम कुमार चौहान
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 240105
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश सिंह ठाकुर

2. पिता/पति : श्याम सिंह ठाकुर

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240106

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपेन्द्र ठाकुर
2. पिता/पति : श्याम सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240107
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजू सोनी

2. पिता/पति : श्याम सुन्दर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240108

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुशल कुमार कुंजाम

2. पिता/पति : श्याम लाल कुंजाम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240109

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गीता पोर्ते

2. पिता/पति : श्याम लाल पोर्ते

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240110

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार राठिया

2. पिता/पति : श्याम लाल राठिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240111

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार गुप्ता

2. पिता/पति : श्यामाचरण गुप्ता

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240112

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवलाल नायक
2. पिता/पति : श्यामसुंदर नायक
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 240113
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष कुमार बघेल
2. पिता/पति : श्यामचरण बघेल
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240114
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनिता
2. पिता/पति : श्यामजी लाल सोनवानी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 240115
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चिम्मन लाल ध्रुव
2. पिता/पति : श्यामलाल ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 240116
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेश कुमार बंजारे

2. पिता/पति : श्यामलाल बंजारे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240117

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भागवत प्रसाद कश्यप
2. पिता/पति : श्यामलाल कश्यप
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240118
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपमणी राकेश
2. पिता/पति : श्यामलाल राकेश
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 240119
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : केशव साहू
2. पिता/पति : श्यामलाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240120

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पिकी सोनी

2. पिता/पति : श्यामलाल सोनी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240121

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निखलेश वर्मा
2. पिता/पति : श्यामलाल वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 240122

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जमुना गोरख

2. पिता/पति : श्यामलाल गोरख

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240123

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हंसु ठाकुर
2. पिता/पति : यशपाल सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दन्तेवाड़ा
5. रोल नम्बर 240124
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंजली
2. पिता/पति : यशोवर्धन
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240125

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तरुणा जांगड़े
2. पिता/पति : यशवंत कुमार जांगड़
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240126
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार साहू

2. पिता/पति : यशवंत लाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240127

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋतुराज बोरकर

2. पिता/पति : योगराज बोरकर

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240128

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पद्मावती ध्रुव
2. पिता/पति : योगेश कुमार ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240129
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजना कंवर
2. पिता/पति : योगेश कुमार कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 240130
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शांति सिन्हा

2. पिता/पति : योगेश सिन्हा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240131

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेन्द्र कौशल
2. पिता/पति : योगेश्वर कौशल
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240132

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुरुषोत्तम सोरी

2. पिता/पति : योगेन्द्र सोरी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240133

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेश्वर सहारे

2. पिता/पति : युबराज सहारे

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240134

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुषमा योगी

2. पिता/पति : युवक नाथ योगी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240135

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : युसुफ पाला

2. पिता/पति : युनुस पाल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240136

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इतवारी राम दर्रो
2. पिता/पति : घसियाराम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240137
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजू सिन्हा
2. पिता/पति : घासीराम सिन्हा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240138

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमीलाल राठिया
2. पिता/पति : घासीराम राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240139
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र कुमार साहू
2. पिता/पति : घासीराम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर : 240140
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शीलीक राम

2. पिता/पति : घुरन राम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240141

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निखिल कुमार ठावरे
2. पिता/पति : घनश्याम ठावरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240142
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोहन सिंह कोड़ोपी
2. पिता/पति : घनयाम कोड़ोपी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 240143
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुराधा राजवाड़े
2. पिता/पति : घनश्याम कुमार राजवाड़े
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 240144
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पराज कुर्रे

2. पिता/पति : घनश्याम कुर्रे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240145

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवदत्त सिंह
2. पिता/पति : घनश्याम सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 240146

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : होमन लाल साहू
2. पिता/पति : घनश्याम सिंह साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर : 240147
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उमानंदनी ओट्टी
2. पिता/पति : घनश्याम सिंह ओट्टी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240148
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र वर्मा
2. पिता/पति : घनश्याम प्रसाद वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर : 240149
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेखा देवदास

2. पिता/पति : घनश्याम देवदास

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240150

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धर्मेन्द्र वर्मा
2. पिता/पति : घनश्याम वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240151

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवेन्द्र चन्द्राकर
2. पिता/पति : घनश्याम चन्द्राकर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240152
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : परमानन्द कंवर
2. पिता/पति : घनश्याम लाल कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 240153
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूजा श्री साहू
2. पिता/पति : घनश्याम लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240154
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भागवत सिंह
2. पिता/पति : खोरबहरा राय
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240155

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद यादव

2. पिता/पति : खुबलू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 240156

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश कुमार

2. पिता/पति : खुमान सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240157

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुषमा साहू
2. पिता/पति : खेमराज साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240158

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रानी देवांगन
2. पिता/पति : खेमचंद देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240159

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मिलाप सिंह ध्रुव

2. पिता/पति : खेदल सिंह ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240160

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : परमेश्वर प्रसाद देवांगन
2. पिता/पति : खेलऊराम देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गौरेला-पेन्झा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240161
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्ञानेश कुमार

2. पिता/पति : खेलन प्रसाद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240162

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्ञानेश कुमार

2. पिता/पति : खेलन प्रसाद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240163

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नंदकुमार राय
2. पिता/पति : खेलूप्रसाद राय
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240164

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कौशल कुमार साहू

2. पिता/पति : ऋषभ साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 240165

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्योति गुप्ता
2. पिता/पति : ऋषि कुमार सोनी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240166
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आरती ठाकुर
2. पिता/पति : द्वारिका ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240167

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास कुमार जायसवाल

2. पिता/पति : द्वारिका प्रसाद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240168

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश कुमार डहरिया

2. पिता/पति : द्वारिका राम डहरिया

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240169

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डोमेन्द्र सिंह कोमा
2. पिता/पति : ढाल सिंह कोमा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240170
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संगीता धृतलहरे

2. पिता/पति : ढेलक प्रसाद

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240171

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष दास मानिकपुरी
2. पिता/पति : ढलगन दास मानिकपुरी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर : 240172
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कन्नीलाल बेक

2. पिता/पति : झरुराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240173

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृष्ण कुमार सिन्हा

2. पिता/पति : झाड़ूराम सिन्हा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 240174

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वेदप्रकाश साहू

2. पिता/पति : झुमुकलाल साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240175

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्दनसिंह राठिया
2. पिता/पति : ठंडाराम राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240176
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निशा नाग
2. पिता/पति : इंदर सिंह नाग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सुकमा
5. रोल नम्बर 240177

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेश खलखो
2. पिता/पति : इलियस खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240178

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बृज किशोर सिंगार
2. पिता/पति : ठाकुर प्रसाद सिंगार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240179
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विरेन्द्र कुमार पाटनवार
2. पिता/पति : ठाकुर प्रसाद पाटनवार
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240180
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पन्नादेवी टोन्डे
2. पिता/पति : ठोरेन्द्र कुमार टोन्डे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 240181
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक खलखो
2. पिता/पति : इसीदोर खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 240182
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आइरिस भोई

2. पिता/पति : इतवारी भोई

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240183

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जलेश्वर प्रसाद

2. पिता/पति : इतवारी राम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240184

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार साहू

2. पिता/पति : इतवारी राम साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240185

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सन्नू साय

2. पिता/पति : इन्दर साय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240186

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपेश कुमार पैकरा

2. पिता/पति : इन्दर साय पैकरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240187

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ब्यास नारायण सिंह क्षत्री
2. पिता/पति : इन्द्रभूषण सिंह क्षत्री
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240188
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : करुणा नाग

2. पिता/पति : इन्द्रदेव नाग

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240189

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निशान्त बाघव
2. पिता/पति : इन्द्रजीत बाघव
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240190

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सतीश कुमार दास

2. पिता/पति : इन्द्रनाथ दास

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240191

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनीत कुमार कुजूर

2. पिता/पति : इग्नासियुस कुजूर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240192

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुरंजना एक्का

2. पिता/पति : इग्नेश एक्का

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240193

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अम्बरुस तिकी

2. पिता/पति : इग्नेस तिकी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240194

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सतीश विनायक एक्का

2. पिता/पति : इग्गसियुस एक्का

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240195

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित खलखो
2. पिता/पति : ई. खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240196
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार बघेल
2. पिता/पति : ईमल सिंह बघेल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 240197
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : माया सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : ईश्वर सिंह राजपूत
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240198
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हलेश्वर सिंह नेताम

2. पिता/पति : ईश्वर सिंह नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240199

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टीकन कुमार राजवाड़े

2. पिता/पति : ईश्वर प्रसाद राजवाड़े

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240200

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मण स्वर्णकार
2. पिता/पति : ईश्वर प्रसाद स्वर्णकार
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 240201
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास कुमार गुप्ता

2. पिता/पति : ईश्वर प्रसाद गुप्ता

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240202

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार खाखा
2. पिता/पति : ईश्वर सहाय खाखा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240203
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र कुमार डडसेना

2. पिता/पति : ईश्वर डडसेना

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240204

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विद्याविवेक महंत
2. पिता/पति : ईश्वर दास महंत
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 240205
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निधि चन्द्राकर
2. पिता/पति : ईश्वर चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240206

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : माया मरकाम

2. पिता/पति : ईश्वर लाल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240207

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जयंती एक्का
2. पिता/पति : बृतनराम एक्का
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 240208

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार सिन्हा

2. पिता/पति : बृजकिशोर सिन्हा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240209

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मण कुमार धनेन्द्र

2. पिता/पति : बृजलाल धनेन्द्र

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240210

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अवन कुमार मिश्रा

2. पिता/पति : बृजलाल मिश्रा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240211

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कोमल चंद रावटे
2. पिता/पति : बृजलाल रावटे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240212
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : किशोर कुमार दीवान

2. पिता/पति : बृजलाल दीवान

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 240213

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोगेन्द्र प्रकाश सिंह

2. पिता/पति : बंशधारी सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240214

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र लोदी

2. पिता/पति : बंशीलाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240215

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अशोक मिरचण्डे
2. पिता/पति : बंशीलाल मिरचण्डे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 240216
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुर्गेश कुमार पटेल
2. पिता/पति : बंशीलाल पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240217
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुलेश्वरी साहू
2. पिता/पति : बंशीलाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240218

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चमर साय

2. पिता/पति : बकसाय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240219

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इंजलिना भगत

2. पिता/पति : बलिराम भगत

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240220

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रप्रकाश साहू
2. पिता/पति : बहोरिक लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 240221
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उत्तम कुमार टंडन
2. पिता/पति : बहोरिक लाल टंडन
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240222
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जीवन दास मानिकपुरी
2. पिता/पति : बहोरन दास मानिकपुरी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 240223
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार कंवर

2. पिता/पति : बहोरन लाल कंवर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240224

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : त्रिवेणी सिन्हा

2. पिता/पति : बहल राम सिन्हा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240225

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चैतन्य सिंह ठाकुर

2. पिता/पति : बी. होल्कर सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240226

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वाणी झा
2. पिता/पति : बी. अभिषेक झा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर : 240227
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित श्रीवास्तव

2. पिता/पति : बी.एम. श्रीवास्तव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240228

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लवकुमार नेताम

2. पिता/पति : बी.एल. नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 240229

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पेन्द्र गजपाल

2. पिता/पति : बी.एल. गजपाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240230

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मिजाजी लाल कोरी

2. पिता/पति : बी.बी. कोरी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240231

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अतुल श्रीवास्तव

2. पिता/पति : बी.पी. श्रीवास्तव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240232

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुनेश्वर वर्मा
2. पिता/पति : बीरबल दास वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240233
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओमप्रकाश सिंह

2. पिता/पति : बीरसिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240234

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीषा दरो

2. पिता/पति : बीरसिंह दरो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240235

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लीलाधर साहू

2. पिता/पति : बीरसिंग साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240236

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बीरा राजबाबू
2. पिता/पति : बीराम नारायण
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर 240237

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भगनूराम कश्यप

2. पिता/पति : बीजोराम कश्यप

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 240238

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रपाल सिंह ध्रुव

2. पिता/पति : बी.आर. ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 240239

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यशवंत सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : बरन सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240240
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरलाल ध्रुव

2. पिता/पति : बरनू सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240241

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पवन कुमार भगत

2. पिता/पति : बाघरू राम भगत

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240242

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रभा
2. पिता/पति : बाबा साहब
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240243
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोपाल कुमार

2. पिता/पति : बाबूलाल पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240244

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोनिका रात्रे

2. पिता/पति : बाबूलाल रात्रे

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 240245

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शेर सिंह राठिया
2. पिता/पति : बाबूलाल राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 240246
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार
2. पिता/पति : बासगीत प्रसाद
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240247

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अशोक कुमार पटेल
2. पिता/पति : बोधीराम पटेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240248
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कानेश्वर राजवाड़े
2. पिता/पति : बोधन राजवाड़े
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240249
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : केशवप्रसाद पैकरा
2. पिता/पति : बोधनसाय पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 240250
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरुण कुमार जाटवर

2. पिता/पति : बोहित प्रसाद

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240251

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विलसन कुजूर
2. पिता/पति : बोनीफीस कुजूर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240252

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्रीकांत चौबे
2. पिता/पति : बालकृष्ण चौबे
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 240253

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रशेखर पटेल

2. पिता/पति : बालकराम पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240254

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : करम सिंह राठिया

2. पिता/पति : बालकराम राठिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 240255

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ढाल चंद्र पटेल

2. पिता/पति : बालमुकुंद पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240256

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गीतांजली यादव

2. पिता/पति : बालमुकुंद यादव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240257

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तुलसीराम रात्रे

2. पिता/पति : बालमुकुंद रात्रे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240258

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नवीन कुमार सोनी
2. पिता/पति : बालमुकुन्द सोनी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर : 240259
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेश शोरी
2. पिता/पति : बालसिंह शोरी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कांकर
5. रोल नम्बर 240260

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विद्या ध्रुव

2. पिता/पति : बालीराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240261

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उमेश ध्रुव
2. पिता/पति : बालाराम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 240262

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रवि कुमार जंधेल
2. पिता/पति : बालाराम जंधेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240263
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरा कुमारी

2. पिता/पति : बसंत कुमार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240264

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वैभव कुमार जोशी

2. पिता/पति : बसंत कुमार जोशी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240265

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गजेन्द्र कुमार मंडावी

2. पिता/पति : बसंत सिंह मंडावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240266

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुलदीप कुमार गुप्ता
2. पिता/पति : बसंत प्रसाद गंप्ता
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240267
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निर्मल राम

2. पिता/पति : बसंत राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240268

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : क्षितिज साहू

2. पिता/पति : बसंत साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240269

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीषा जंधेल
2. पिता/पति : बसंत जंधेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240270
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नवीन कुमार श्रीवास्तव

2. पिता/पति : बसंत लाल श्रीवास्तव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240271

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार दास
2. पिता/पति : बसंत लाल दास
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 240272
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामविलास यालम
2. पिता/पति : बसवैया यालम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 240273
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बैजयन्ती रानी चौहान
2. पिता/पति : बसन्त कुमार चौहान
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240274
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वासुदेव भोई

2. पिता/पति : बस्टम भोई

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240275

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लखन राम कश्यप
2. पिता/पति : बदनसिंह कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 240276
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरिता नाग
2. पिता/पति : बद्रीप्रसाद सूर्यवंशी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर : 240277
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार कर्ण
2. पिता/पति : बच्चू लाल कर्ण
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240278
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार आग्ने
2. पिता/पति : बुद्धूराम आग्ने
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240279
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार मरकाम
2. पिता/पति : बुधराम मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 240280
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चंचल कुमार मिरी

2. पिता/पति : बुधराम मिरी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240281

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जगत पाल सिंह

2. पिता/पति : बुधराम सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240282

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कंचन मरकाम
2. पिता/पति : बुधराम सिंह मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240283
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बसंत कुमार

2. पिता/पति : बुधराम भगत

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240284

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अशोक कुमार
2. पिता/पति : बुधराम देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 240285

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कर्मा

2. पिता/पति : बुधुराम कर्मा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 240286

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिमा पैकरा

2. पिता/पति : बुधेश्वर सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240287

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृष्ण कांत पैकरा
2. पिता/पति : बुधनाथ सिंह पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240288
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवशंकर धीवर

2. पिता/पति : बुढाऊराम धीवर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240289

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आलोक कुमार तिवारी
2. पिता/पति : बुकेश्वर प्रसाद तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240290
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेश कुमार तारम

2. पिता/पति : बुद्धन सिंह तारम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240291

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रुद्रेश्वर साय

2. पिता/पति : बुन्देश्वर साय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240292

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृष्ण कुमार यादव

2. पिता/पति : बुलाकी राम यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240293

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज सिंह ठाकुर

2. पिता/पति : बत्तीस राम ठाकुर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240294

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरुण खेस्स
2. पिता/पति : बेंजामिन खेस्स
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240295

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल कुमार खलखो
2. पिता/पति : बैजामिन खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 240296
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजू मेरावी

2. पिता/पति : बैसाखूराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240297

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जैन कुमार कवाची

2. पिता/पति : बैसाखूराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240298

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रकाश सिंह बन्जारे
2. पिता/पति : बेदराम बन्जारे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 240299
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नागेन्द्र सिंह मरावी

2. पिता/पति : बेदराम मरावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240300

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कल्पना सिदार

2. पिता/पति : बेदूराम सिदार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 240301

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गणेश राम डडसेना
2. पिता/पति : बैजनाथ डडसेना
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240302
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋषिकपूर गंगेले

2. पिता/पति : बेनीराम गंगेले

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240303

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोविंदराम कंवर

2. पिता/पति : बैगाराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240304

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धर्मपाल कोड़ोपी

2. पिता/पति : बेलसिंह कोड़ोपी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240305

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : किरण क्षत्री

2. पिता/पति : बजरंग सिंह क्षत्री

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240306

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामकृष्ण पटेल
2. पिता/पति : बजरंग प्रसाद पटेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240307
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलेश्वर प्रसाद नारंगे
2. पिता/पति : बजरंगलाल नारंगे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240308
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सत्येन्द्र भगत

2. पिता/पति : बन्धुराम भगत

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240309

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमकिशोर साहू
2. पिता/पति : बनहर राम साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 240310

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमचंद तिवारी
2. पिता/पति : बगेश्वर प्रसाद तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 240311
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अगस्तुस लकड़ा

2. पिता/पति : बलधीर लकड़ा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240312

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तजिन्दर कौर भाटिया

2. पिता/पति : बलबीर सिंह भाटिया

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240313

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डोमन कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : बलीराम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240314
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील समरथ
2. पिता/पति : बलराम सिंह समरथ
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 240315
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भावना राठौर
2. पिता/पति : बलराम राठौर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 240316

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नंदिता साहू

2. पिता/पति : बलराम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240317

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रतिमा शर्मा
2. पिता/पति : बलदाऊ प्रसाद पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240318
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनंजय प्रसाद साहू
2. पिता/पति : बलदाऊ प्रसाद साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240319
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रदीप सोनी
2. पिता/पति : बलदाऊ प्रसाद सोनी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 240320
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टाकेश्वरी वर्मा
2. पिता/पति : बलदाऊ प्रसाद वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240321
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवन्ति ध्रुव
2. पिता/पति : बल्दाऊराम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240322

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितु कुमार चंद्राकर
2. पिता/पति : बलदाउ प्रसाद चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240323
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास कुमार प्रजापति

2. पिता/पति : बलदेव प्रजापति

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240324

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निरंजन सिंह देवहारे

2. पिता/पति : बलदेव राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240325

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोहनलाल साहू
2. पिता/पति : बल्देव राम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240326

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जवाहर लाल मरावी

2. पिता/पति : बल्लूराम मरावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 240327

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीना पाण्डेय

2. पिता/पति : ब्रम्हानन्द पाण्डेय

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240328

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरिता यादव

2. पिता/पति : ब्रजभूषण यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240329

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिता पन्ना
2. पिता/पति : करुणा सागर पन्ना
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 240330
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेन्द्र कुमार गुप्ता

2. पिता/पति : करुणा चन्द्र गुप्ता

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240331

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यमिता सिंह

2. पिता/पति : कृष्ण कुमार सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240332

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरज कुमार श्रीवास्तव

2. पिता/पति : कृष्ण कुमार श्रीवास्तव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240333

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविकुमार शर्मा
2. पिता/पति : कृष्ण कुमार शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240334
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कनिष्क दानी
2. पिता/पति : कृष्ण कुमार दानी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 240335
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय तान्दुलकर
2. पिता/पति : कृष्ण कुमार तान्दुलकर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240336
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जयप्रकाश आड़िल
2. पिता/पति : कृष्ण कुमार आड़िल
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240337
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : स्वाती
2. पिता/पति : कृष्ण किशोर तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 240338
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उत्तम कुमार मेश्राम
2. पिता/पति : कृष्णमूर्ति मेश्राम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 240339
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमल प्रताप सिंह

2. पिता/पति : कृष्णा कुमार सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240340

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रीतम कुमार भगत
2. पिता/पति : कृष्णा राम भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 240341
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नंदकिशोर गायकवाड़

2. पिता/पति : कृष्णा राम गायवाड़

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240342

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नारायण सिंह गोंड

2. पिता/पति : कृष्णा लाल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 240343

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार गायकवाड़

2. पिता/पति : कृष्णाराम गायकवाड़

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240344

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सतीश कुमार सिंह

2. पिता/पति : कृष्णदेव सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240345

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवशंकर ध्रुव

2. पिता/पति : कृपाराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 240346

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विक्रम सिंह पुजारी

2. पिता/पति : कृपाराम पुजारी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 240347

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सर्विता लकड़ा
2. पिता/पति : कृपादान लकड़ा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240348

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवदयाल बी.पी. सिदार

2. पिता/पति : कृतराम सिदार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240349

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमलेश कुमार वर्मा
2. पिता/पति : कृतराम वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर : 240350
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमृतराम मंडावी

2. पिता/पति : कंवल सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 240351

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुशल राम बघेल
2. पिता/पति : कंवलसाय बघेल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सुकमा
5. रोल नम्बर 240352
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार

2. पिता/पति : कुंवर सिंह ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 240353

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्र कुमार कौशले

2. पिता/पति : कमल कौशले

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 240354

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश रोशन मेश्राम
2. पिता/पति : कमल कुमार मेश्राम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 240355
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रतीक ए राठौर

2. पिता/पति : कमल किशोर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 240356

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रकाश सिंह तिरसुनियां

2. पिता/पति : कमल सिंह तिरसुनिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240357

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रोहिली बरुआ

2. पिता/पति : कमल भगत

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240358

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष कुमार नाग
2. पिता/पति : कमल राम नाग
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 240359
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशा भगत

2. पिता/पति : कमल साय भगत

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240360

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पद्मावती साहू
2. पिता/पति : कमल नारायण साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240361
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोनू वर्मा
2. पिता/पति : कमल नारायण वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 240362
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राम जनम सिंह

2. पिता/पति : कमलदेव सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240363

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुषमा सिंह
2. पिता/पति : कमलेश कुमार तंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 240364
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निवेदिता राजपूत
2. पिता/पति : कमलेश सिंह राजपूत
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर : 240365
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमिता टेकाम
2. पिता/पति : कमलेश टेकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दन्तेवाड़ा
5. रोल नम्बर 240366

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रुकमणी सारथी
2. पिता/पति : कमलेश्वर प्रसाद सारथी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240367
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृपाराम वर्मा
2. पिता/पति : कमलनारायण वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 240368
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामलू कर्मा
2. पिता/पति : कमलू रामकर्मा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दन्तेवाड़ा
5. रोल नम्बर 240369

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रेमा बाई

2. पिता/पति : कपिल सिंह

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240370

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार यादव

2. पिता/पति : कपिल देव यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240371

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र पाल सिंह
2. पिता/पति : कपिल देव सिंह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 240372
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सीमा डडसेना

2. पिता/पति : कीर्तेश्वर लाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240373

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपचंद बघेल
2. पिता/पति : कपूरचंद बघेल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 240374

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यारीक सिंह मरकाम
2. पिता/पति : करण सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्झा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240375
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुशील कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : करण सिंह ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 240376
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोखनाथ सिन्हा

2. पिता/पति : करण राम सिन्हा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 240377

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आबिदा शेख
2. पिता/पति : करीमुद्दीन शेख
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर : 240378
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुकलाल नायक
2. पिता/पति : करोड़पति नायक
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240379

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेश्वर कुमार खुंटे

2. पिता/पति : कांशीराम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 240380

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविकान्त चौहान
2. पिता/पति : कामता प्रसाद चौहान
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240381
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नवचन्द्र पटेल
2. पिता/पति : कामेश्वर प्रसाद पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240382
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोपेश कुमार सिन्हा

2. पिता/पति : कार्तिकराम सिन्हा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240383

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नर्मदा पैकरा
2. पिता/पति : कार्तिकराम पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240384
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविचंद नेताम
2. पिता/पति : कार्तिकराम नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240385
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मेघा शर्मा
2. पिता/पति : कारी शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240386

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीता खलखो

2. पिता/पति : काशमीर खलखो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240387

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता पैकरा
2. पिता/पति : काशीप्रसाद पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्झा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240388
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुशील कुमार जायसवाल

2. पिता/पति : काशीराम जायसवाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240389

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शांति नागवंशी
2. पिता/पति : कोयटाराम नागवंशी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 240390
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इन्द्र कुमार बघेल

2. पिता/पति : कोंडीराम बघेल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 240391

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भारत भूषण सिंह

2. पिता/पति : कोमल सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 240392

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अविनाश ठाकुर
2. पिता/पति : कोमल सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 240393
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेन्द्र श्रीमाली
2. पिता/पति : कोमल सिंह श्रीमाली
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240394
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनेश्वरी रात्रे

2. पिता/पति : कोमल राम रात्रे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240395

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमिला टोप्पो
2. पिता/पति : कोरनेलियुस टोप्पो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240396
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीप्ती मंडावी
2. पिता/पति : कौशल मंडावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240397

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : साधना देवी वैष्णव
2. पिता/पति : कौशल दास वैष्णव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240398
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिषेक कुमार
2. पिता/पति : कौशलकिशोर सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 240399
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राहित कुमार बघेल

2. पिता/पति : कौड़ीराम बघेल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 240400

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेणुरानी बघेल

2. पिता/पति : कौड़राम बघेल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 240401

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेणु सिंह चौहान

2. पिता/पति : कौतुक चौहान

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240402

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेल्सन तिकी
2. पिता/पति : कोर्नेलियुस तिकी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240403
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पिकी थनापति

2. पिता/पति : कान्हु माली

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240404

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजूलता सिंह
2. पिता/पति : कान्ता सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 240405
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रागिनी तिवारी
2. पिता/पति : कालीचरण शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 240406

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आषुतोश टोप्पो

2. पिता/पति : कुंवर साय

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240407

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मेहूल विश्वकर्मा
2. पिता/पति : कुम्भ प्रसाद विश्वकर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 240408
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खेमन सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : कुमार सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240409
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नोबितम सिंग ध्रुव
2. पिता/पति : कुमार सिंग ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 240410
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमाकांत टंडन

2. पिता/पति : कुमार टंडन

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240411

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गंगाराम ध्रुव
2. पिता/पति : कुमान सिंह ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240412

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार फिसर

2. पिता/पति : कुशल राम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240413

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : कुलभूषण सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 240414
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चैतन्या राठौर
2. पिता/पति : कुलभूषण राठौर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 240415

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुत्रा सिंह
2. पिता/पति : कुलदीप सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 240416
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुसुम साहू
2. पिता/पति : कुलदीप साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240417

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार ठाकुर
2. पिता/पति : कुलेश्वर सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240418
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : के. सुनीता

2. पिता/पति : के. संतोष कुमार

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 240419

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आभा नामदेव
2. पिता/पति : कै.एल. नामदेव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 240420

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आनंद कुमार कश्यप

2. पिता/पति : कैयाम कश्यप

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 240421

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सिद्धार्थ यादव

2. पिता/पति : के.के. यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240422

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : माधुरी सोरी

2. पिता/पति : के.के. सोनी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 240423

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रुकमणी शुक्ला

2. पिता/पति : के.पी. शुक्ला

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240424

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरसिंह पैकरा
2. पिता/पति : केशर सिंह पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240425
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार पाण्डेय
2. पिता/पति : केशव प्रसाद पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240426
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास कुमार जायसवाल

2. पिता/पति : केशव प्रसाद जायसवाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240427

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पदमनी साहू

2. पिता/पति : केशव राम साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240428

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तरुण कुमार साहू
2. पिता/पति : केशव नंदन साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240429
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गणेशराम साहू
2. पिता/पति : केशवप्रसाद साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240430
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : किरण साहू
2. पिता/पति : केशवराम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240431

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूजा सिंह

2. पिता/पति : केदार सिंह क्षत्री

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240432

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बृन्दावती पटेल
2. पिता/पति : केदारनाथ पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240433

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रकाश साहू
2. पिता/पति : केदारनाथ साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240434

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार देवांगन

2. पिता/पति : केदारनाथ देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240435

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टीकम सिंह नागेश

2. पिता/पति : केवल सिंह नागेश

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240436

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रवली नायक
2. पिता/पति : केवल राम नायक
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 240437
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नंदलाल ध्रुव
2. पिता/पति : केजऊराम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240438

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कै.डी. यशवन्त राव

2. पिता/पति : कै.जी. लच्छैया

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 240439

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जीवराज मनहर

2. पिता/पति : केजूराम मनहर

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240440

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आवेश कुमार श्रीवास्तव
2. पिता/पति : कैलाश कुमार श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 240441
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रोशन विश्वाल
2. पिता/पति : कैलाश चंद्र विश्वाल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240442
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपेश जोशी
2. पिता/पति : कैलाश चंद्र जोशी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकर
5. रोल नम्बर : 240443
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रिया अग्रवाल
2. पिता/पति : कैलाश चंद्र अग्रवाल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 240444
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष मिश्रा
2. पिता/पति : कैलाश चन्द्र मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर : 240445
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिग्वजय गिरीगोस्वामी
2. पिता/पति : कन्हैया गिरीगोस्वामी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर : 240446
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लीना साहू
2. पिता/पति : कन्हैया राम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर : 240447
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अम्रता वैष्णव
2. पिता/पति : कन्हैया दास वैष्णव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240448
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खेमचंद साहू
2. पिता/पति : कन्हैया लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर : 240449
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार दीवान

2. पिता/पति : कन्हैया लाल दीवान

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240450

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रानू कुर्रे

2. पिता/पति : कन्हैयालाल कुर्रे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240451

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उपेन्द्र कुमार समरथ
2. पिता/पति : कन्हैयालाल समरथ
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 240452
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंजली कुजूर
2. पिता/पति : कल्याण कुजूर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240453

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुजूर
2. पिता/पति : कल्याण कुजूर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240454

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कांता चौहान
2. पिता/पति : कलपराम चौहान
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240455
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सीमा किरण छिदेहा
2. पिता/पति : कलाराम छिदेहा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240456
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धीरज कुमार मिश्रा
2. पिता/पति : कलानाथ मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240457
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नोहर लाल श्रीवास
2. पिता/पति : कलेन प्रसाद श्रीवास
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर : 240458
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय कुमार पटेल
2. पिता/पति : मधुसुदन पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240459
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विक्रम सिंह
2. पिता/पति : मधुसूदन लाल सिंह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240460
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय पाल

2. पिता/पति : मधुवा पाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240461

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार नायक

2. पिता/पति : मधुलाल नायक

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240462

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जीवन सिंह कुंजाम

2. पिता/पति : मयाराम कुंजाम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 240463

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनायक राम साहू

2. पिता/पति : मयाराम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 240464

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धन्नु लाल पाली

2. पिता/पति : मंदरू राम पाली

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240465

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविशंकर बारले

2. पिता/पति : मंगलियां बारले

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240466

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुनेश्वर प्रसाद सिन्हा

2. पिता/पति : मंगतूराम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240467

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हीरा लाल पुरी
2. पिता/पति : मंगूलाल पुरी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 240468
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बसंत सिंह मरावी
2. पिता/पति : मंगल सिंह मरावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 240469
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हीरालाल भुआर्य
2. पिता/पति : मंगलसिंह भुआर्य
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240470
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल कुमार बघेल

2. पिता/पति : मंगलराम बघेल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 240471

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन बखला

2. पिता/पति : मंगलराम बखला

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240472

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इन्द्रदेव कश्यप
2. पिता/पति : मंगलराम कश्यप
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240473

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार साहू
2. पिता/पति : मंगलराम साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर : 240474
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार सोनी
2. पिता/पति : मंगलराम सोनी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240475
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गिरधर सेठिया
2. पिता/पति : मंगलराम सेठिया
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 240476

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनकूराम नेताम

2. पिता/पति : मंगलराम नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 240477

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुष्यन्त भगत

2. पिता/पति : मंगलसाय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240478

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार भगत
2. पिता/पति : मंगलसाय भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240479
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेम कुमारी राजवाड़े
2. पिता/पति : मंगलेश्वर कुमार राजवाड़े
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 240480
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनश्याम ध्रुव
2. पिता/पति : मंगलू राम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240481

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेश कुमार निर्मलकर

2. पिता/पति : मंगलू राम निर्मलकर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240482

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गिरजेश कुमार
2. पिता/पति : मंगलूराम
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर : 240483
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार
2. पिता/पति : मंगलूराम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 240484

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोहन लाल उइके

2. पिता/पति : मंगलूराम उइके

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240485

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष कुमार नाग
2. पिता/पति : मकरम दास नाग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 240486
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोभन सिंह धनकर
2. पिता/पति : महिपाल सिंह धनकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 240487
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्वेता शर्मा

2. पिता/पति : महितोष शर्मा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240488

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भनुमति पैकरा

2. पिता/पति : मनियार साय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240489

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शैलेन्द्र कुमार चन्द्राकर
2. पिता/पति : महादेव चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 240490
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हिमांशु वर्मा
2. पिता/पति : महावीर प्रसाद वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240491
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विवेक कुमार सिंह

2. पिता/पति : महावन सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240492

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रायसिंह ठाकुर
2. पिता/पति : महेराराम ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240493

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमिला खटकर

2. पिता/पति : महेश खटकर

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240494

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जयसिंह पैकरा

2. पिता/पति : महेश सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240495

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक सिंह

2. पिता/पति : महेश सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240496

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सूर्यकांत सिंह राजपूत

2. पिता/पति : महेश सिंह राजपूत

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240497

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विपिन कुमार तिवारी

2. पिता/पति : महेश प्रसाद तिवारी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240498

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार कौशिक

2. पिता/पति : महेश राम कौशिक

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240499

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार ताण्डेय

2. पिता/पति : महेशराम ताण्डेय

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 240500

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गंगोनी कोरटिया
2. पिता/पति : महेन्द्र कोरटिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 240501
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निशांत चन्द्राकर

2. पिता/पति : महेन्द्र कुमार

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 240502

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भास्कर साहू

2. पिता/पति : महेन्द्र कुमार साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 240503

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्रीद्धि जायसवाल
2. पिता/पति : महेन्द्र कुमार जायसवाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240504
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीना सिंह
2. पिता/पति : महेन्द्र सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240505

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रसून कैवर्त
2. पिता/पति : महेन्द्र निषाद
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240506
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रेमा सिंह पैकरा

2. पिता/पति : महेन्द्र पैकरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240507

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश कुमार बघेल

2. पिता/पति : महेन्द्र राम बघेल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240508

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बिरेन्द्र सिंह सिदार
2. पिता/पति : महेन्द्र लाला सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 240509
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज मरपल्ली

2. पिता/पति : मरपल्ली शंकर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 240510

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अल्का यदु
2. पिता/पति : माधव राम यदु
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240511

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मेनका नाग

2. पिता/पति : माधव लाल नाग

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 240512

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपारानी भगत

2. पिता/पति : माधुराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240513

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संगीता खांडे
2. पिता/पति : मारुतीनंदन गुप्ता
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240514
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नूतन ध्रुव
2. पिता/पति : माखन राम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दन्तेवाड़ा
5. रोल नम्बर 240515

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमलाल ठाकुर

2. पिता/पति : माखन लाल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240516

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रुखमणी मरकाम
2. पिता/पति : माखन लाल मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240517
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्रवण कुमार मरकाम

2. पिता/पति : माखन लाल मरकाम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240518

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमन्त कुमार चौधरी

2. पिता/पति : माखनलाल चौधरी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240519

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनय कुमार बोले
2. पिता/पति : मानिक लाल बोले
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240520
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निर्मल साहू

2. पिता/पति : मालिकराम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240521

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनोद कुमार अग्रवाल
2. पिता/पति : माडूराम
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 240522
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नुरुल हसन अंसारी

2. पिता/पति : मो. रमजान

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240523

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मो. तबरेज

2. पिता/पति : मो. शफीक

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240524

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलसाद अहमद
2. पिता/पति : मो. अब्दुल्ला
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240525
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मो. रिजवान अली

2. पिता/पति : मो. असरफ अली

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240526

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ललेश्वरी साहू

2. पिता/पति : मोहित साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240527

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोहम्मद ईरफान
2. पिता/पति : मोहम्मद इस्माईल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240528
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : फिरोज आलम

2. पिता/पति : मोहम्मद अकरम

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240529

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शमा नियारिया

2. पिता/पति : मोहसिन खान

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240530

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खेमचंद कोमरे
2. पिता/पति : मोहर सिंह कोमरे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 240531
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनेश्वर सिंह

2. पिता/पति : मोहन सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240532

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विमला मार्को

2. पिता/पति : मोहन सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240533

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोविन्द सिंह नाग
2. पिता/पति : मोहन सिंह नाग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 240534
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कल्पना गुप्ता

2. पिता/पति : मोहन प्रसाद गुप्ता

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240535

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित कुमार चौहान
2. पिता/पति : मोहन दास चौहान
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240536
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र सिंह

2. पिता/पति : मोहन लाल

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 240537

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओमप्रकाश ठाकुर
2. पिता/पति : मोहन लाल ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240538
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बिन्दु मारकंडे
2. पिता/पति : मोहन लाल मारकंडे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240539
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उमेश कुमार पटेल
2. पिता/पति : मोहन लाल पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240540
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश्वरी साहू
2. पिता/पति : मोहन लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240541
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रोशनी लक्ष्मी साहू

2. पिता/पति : मोहन लाल साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240542

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज साहू

2. पिता/पति : मोहन लाल साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240543

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुनेश्वर प्रसाद साहू
2. पिता/पति : मोहन लाल साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 240544
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृपाराम साहू
2. पिता/पति : मोहन लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240545
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महत्तर कुमार जुरी
2. पिता/पति : मोती लाल जुरी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 240546
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शंकर सिंह बैध

2. पिता/पति : मोतीराम बैध

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 240547

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टीकाराम त्रिवेन्द्र
2. पिता/पति : मोतीराम त्रिवेन्द्र
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर : 240548
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कलेश्वर सिंह सिदार

2. पिता/पति : मोतीराम सिदार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240549

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मीनू कौरव
2. पिता/पति : मोतीलाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर : 240550
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बिन्ध्यवासिनी सिंह ठाकुर

2. पिता/पति : मोतीलाल सिंह ठाकुर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240551

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोविन्द प्रसाद साहू
2. पिता/पति : मोतीलाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240552
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रीति सिंह

2. पिता/पति : मोनू कुमार साहू

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240553

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राहित कुमार कौशिक
2. पिता/पति : मानकण्डेय प्रसाद कौशिक
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240554
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गजाधर सिंह पैकरा
2. पिता/पति : मानसिंह पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240555
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रफुल्ल कुमार सलाम

2. पिता/पति : मानसिंह सलाम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 240556

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश गावड़े

2. पिता/पति : मानसिंह गावड़े

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240557

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मूलचंद मरकाम
2. पिता/पति : मानसाय मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 240558

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार तंवर
2. पिता/पति : मानवर सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 240559
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सविता मिरे

2. पिता/पति : मानलदास मिरे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240560

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मड़कम कोसा

2. पिता/पति : मड़कम गंगा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 240561

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपेन्द्र कुमार नायक

2. पिता/पति : मदन सुन्दर नायक

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240562

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार सिन्हा

2. पिता/पति : मदन लाल सिन्हा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240563

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुलदीप कुमार शर्मा
2. पिता/पति : मदन लाल शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240564
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लखेश्वर मसराम
2. पिता/पति : मदनलाल मसराम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240565
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिता लहरे
2. पिता/पति : मदनलाल लहरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240566
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुतीराम सिदार
2. पिता/पति : मुरुवाराम सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 240567

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बृजेश कुमार मिश्रा
2. पिता/पति : मुंशीलाल मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240568
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार मरावी
2. पिता/पति : मुंगूराम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240569

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेश्वर नाग

2. पिता/पति : मुकाराम नाग

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 240570

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुनेश्वर नाग

2. पिता/पति : मुकाराम नाग

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 240571

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुनेश्वर प्रसाद वर्मा
2. पिता/पति : मुकुत राम वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240572
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बलराम कुमार कंवर

2. पिता/पति : मुकुतराम कंवर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 240573

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पिताम्बर जायसवाल
2. पिता/पति : मुकुन्द राम जायसवाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 240574
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मीना नेवरा
2. पिता/पति : मुक्तानंद नेवरा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240575

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उमा दुबे
2. पिता/पति : मुकेश भट्ट
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 240576

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरोज सेन
2. पिता/पति : मुकेश नारायण सेन
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 240577
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शवनम

2. पिता/पति : मुकिम अहमद

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 240578

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास सिंह

2. पिता/पति : मुरली सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240579

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूनम ठाकुर
2. पिता/पति : मुरली सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240580
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : होमलाल ध्रुव
2. पिता/पति : मुरली लाल ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240581
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संध्या उरांव
2. पिता/पति : मुरलीप्रसाद उरांव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 240582
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बामन भास्कर

2. पिता/पति : मुड़ो राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 240583

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश राम

2. पिता/पति : मुन्शी राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240584

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संत्रोती यादव

2. पिता/पति : मुन्ना लाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240585

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पवन कुमार पठारी
2. पिता/पति : मुन्ना लाल पठारी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240586
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र कुमार सिदार

2. पिता/पति : मुनूराम सिदार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 240587

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गीताबाई जगत

2. पिता/पति : मेघनाथ जगत

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240588

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंशुमान लोधी
2. पिता/पति : मेघनाथ लोधी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240589
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोहन लाल पुरामे
2. पिता/पति : मेथुराम पुरामे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 240590
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : फातिमा बेगम

2. पिता/पति : मेहबूब अली

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240591

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार भनिया

2. पिता/पति : मेहीलाल भनिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240592

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामप्रसाद नेताम
2. पिता/पति : मेहतरुराम नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240593
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डेविड कुमार भुआर्य
2. पिता/पति : मेहततर राम भुआर्य
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240594
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लछन्तीन टेकाम
2. पिता/पति : मेहत्तर राम टेकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240595
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बसंत तंवर
2. पिता/पति : मैनाक सिंह तंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240596
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेशमा तिकी

2. पिता/पति : मेलानियुस तिकी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240597

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिशंकर चन्द्रा
2. पिता/पति : मनबोधराम चन्द्रा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240598
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आरती साहू
2. पिता/पति : मनमोहन साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240599

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जोहर लाल गेंण्डे
2. पिता/पति : मनविश्राम गेंण्डे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240600
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चंचल ठाकुर
2. पिता/पति : मनहरण सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240601
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश कुमार
2. पिता/पति : मनहरण लाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 240602

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शशांक तिवारी
2. पिता/पति : मनहरण लाल तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240603
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश कुमार साहू
2. पिता/पति : मनहरण लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240604
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूनम चन्द्रहासिनी
2. पिता/पति : मनीष कुमार
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240605
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : स्वप्नील राजपूत
2. पिता/पति : मनीष कुमार ठाकुर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 240606
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कल्पना मिश्रा
2. पिता/पति : मनीष कुमार मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240607
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीतू श्रीवास्तव
2. पिता/पति : मनीष श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240608

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेन्द्र कुमार शर्मा
2. पिता/पति : मनीप्रसाद शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 240609
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जीतकुमार पटेल
2. पिता/पति : मनीराम पटेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240610
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भोजराम राठिया

2. पिता/पति : मनीराम राठिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240611

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लीलाधर डडसेना
2. पिता/पति : मनीराम डडसेना
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240612
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार देवांगन

2. पिता/पति : मनीराम देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240613

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋषि कुमार वर्मा
2. पिता/पति : मनीराम वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240614
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डामीलता नगेसिया

2. पिता/पति : मनप्रसाद

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240615

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमन सिंह कतलय

2. पिता/पति : मनराखन सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240616

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तोमेष सिंह ध्रुव
2. पिता/पति : मनराखन लाल ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240617
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार चौहान
2. पिता/पति : मनराखन लाल चौहान
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 240618
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनेश कुमार ध्रुव

2. पिता/पति : मन्शाराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240619

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंजू सिंह

2. पिता/पति : मनोहर सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240620

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मीनारायण कुर्रे
2. पिता/पति : मनोहर लाल कुर्रे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240621
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जयभारत रामटेके
2. पिता/पति : मनोहर लाल रामटेके
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 240622
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमन्त कुमार उइके

2. पिता/पति : मनोहर लाल उइके

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 240623

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूजा नेताम
2. पिता/पति : मनोहर लाल नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 240624
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवकुमारी मारकंडे
2. पिता/पति : मनोज कुमार मारकंडे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240625
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्वेता वैष्णव
2. पिता/पति : मनोज कुमार सिंह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240626
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुषमा शर्मा
2. पिता/पति : मनोज कुमार शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 240627
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गीता चौधरी
2. पिता/पति : मनोज कुमार चौधरी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240628
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेश अम्बष्ट
2. पिता/पति : मनोज अम्बष्ट
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 240629
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरीश कुमार

2. पिता/पति : मनसाय राम

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240630

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शांति
2. पिता/पति : मनसाराम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240631

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंकिता तिकी

2. पिता/पति : मनेश कुजूर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240632

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिता यादव

2. पिता/पति : मन्नूराम यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240633

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भीषम ठाकुर

2. पिता/पति : मन्नूराम ठाकुर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240634

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हिरेन्द्र कुमार सिन्हा
2. पिता/पति : मन्नूलाल सिन्हा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 240635
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : फूल कुमार देहारी

2. पिता/पति : मन्नूलाल देहारी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 240636

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरुण कुमार जायसवाल
2. पिता/पति : मूलधर प्रसाद जायसवाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240637
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुनीमती खडिया
2. पिता/पति : मगन लाल खडिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240638
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भानुप्रताप सोरी

2. पिता/पति : मगनसिंह सोरी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240639

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार साहनी
2. पिता/पति : मलसाय साहनी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 240640
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार दुग्गा
2. पिता/पति : धिरपाल सिंह दुग्गा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240641
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलीप कुमार चन्द्रवंशी

2. पिता/पति : खिराम प्रसाद चन्द्रवंशी

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240642

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बीरेन्द्र कुमार

2. पिता/पति : खिलानंद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240643

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष बेलास खाखा

2. पिता/पति : ख्रिस्तकुंवर खाखा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240644

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजेन्द्र पात्र

2. पिता/पति : त्रिभुवन पात्रे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240645

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लाली कुमार पटेल
2. पिता/पति : त्रिलोचन प्रसाद पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240646
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार चन्द्राकर
2. पिता/पति : बिष्णु प्रसाद चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240647
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋषिकेश कुमार साहू

2. पिता/पति : बिपिन बिहारी साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240648

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलीप कुमार परस्ते

2. पिता/पति : बिहारी सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240649

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रणवीर सिंह ठाकुर

2. पिता/पति : बिहारी सिंह ठाकुर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 240650

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लुरझुट राम

2. पिता/पति : बिहारी राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240651

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार कोसले

2. पिता/पति : बिहारी लाल कोसले

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240652

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बसंती नायक
2. पिता/पति : बिहारी लाल नायक
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240653
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजाराम रवि
2. पिता/पति : बिहारीराम रवि
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240654

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरभि दास

2. पिता/पति : बिपेन कुमार

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240655

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश बघेल

2. पिता/पति : बिरजूराम बघेल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 240656

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तुलसीराम साहू

2. पिता/पति : बिशालीराम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240657

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार कौमार्य
2. पिता/पति : बिसरु राम कौमार्य
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 240658
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लव कुमार साहू
2. पिता/पति : बिसहत राम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर : 240659
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तुकेश्वर कुमार भुआर्य
2. पिता/पति : बिसराम भुआर्य
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 240660
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रहलाद चक्रधारी
2. पिता/पति : बिसाहू राम
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240661
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भीमसेन साहू
2. पिता/पति : बिसाहू राम साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर : 240662
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मन्नू चौहान

2. पिता/पति : बिसाहू राम चौहान

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240663

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सूर्यकांत निषाद
2. पिता/पति : बिसौहा राम निषाद
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर : 240664
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरज कुमार वर्मा
2. पिता/पति : बिसौहाराम वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240665
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अशोक कुमार वर्मा
2. पिता/पति : बिसौहाराम वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240666
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुरली मनोहर शर्मा
2. पिता/पति : बिसौहाराम वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240667
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र कुमार साहू
2. पिता/पति : बिसुन साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 240668
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जीत लाल सिंह

2. पिता/पति : बिसुनराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240669

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ताम्रध्वज सुधाकर
2. पिता/पति : किर्तिनारायण सुधाकर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर : 240670
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उसत राम सिदार
2. पिता/पति : किरीत राम सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240671
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : क्रासिनी बरिहा
2. पिता/पति : किशोर कुमार बरिहा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240672
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीलमणी साहू
2. पिता/पति : किशोर कुमार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240673
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्योति तिवारी

2. पिता/पति : किशोर तिवारी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240674

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमेश्वरी राजपूत
2. पिता/पति : किशोर प्रभात सिंह राजपूत
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240675
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार साहू
2. पिता/पति : किशोरी लाल साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240676
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रवीर चंद्र नेगी
2. पिता/पति : किशन कुमार नेगी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सुकमा
5. रोल नम्बर 240677
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेमती देवांगन
2. पिता/पति : किगलेश देवांगन
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 240678
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता सिन्हा
2. पिता/पति : मिथलेश सिन्हा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240679

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जॉनवीर खलखो
2. पिता/पति : मिलियानुस खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240680
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोनाली तायवाड़े
2. पिता/पति : मिलिन्द तायवाड़े
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240681
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मिच्चा पेन्टैया

2. पिता/पति : मिच्चा भीमैया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 240682

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपमाला गणवीर
2. पिता/पति : मितेन गणवीर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 240683
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भावना बरवा
2. पिता/पति : मिन्सेन्ट बरवा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 240684

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रोशनलाल वर्मा

2. पिता/पति : मिलाराम वर्मा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240685

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कौशिक
2. पिता/पति : मिलउराम कौशिक
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240686
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अकलेश्वरी कोमरा
2. पिता/पति : मिलुराम कोमरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240687
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : त्रिवेणी कोसले
2. पिता/पति : मिलन दास कोसले
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 240688
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोनल यादव
2. पिता/पति : हिम्मत सिंह यादव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240689
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टंकेश्वर जोशी
2. पिता/पति : हिमांचल प्रसाद जोशी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 240690
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : छत्रपाल सिंह सुधाकर
2. पिता/पति : हिरापत सिंह सुधाकर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 240691
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कांतिक राम कौड़ो
2. पिता/पति : हिरउराम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 240692
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोरमा श्रीवास्तव
2. पिता/पति : हिरेन्द्र श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240693
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी
2. पिता/पति : हिन्चपति प्रसाद त्रिपाठी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240694
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आनंद कुमार खेस्स

2. पिता/पति : हिलारियुस खेस्स

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240695

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय भगत
2. पिता/पति : पियरसाय भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 240696

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जीवन लकड़ा

2. पिता/पति : पियुस लकड़ा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240697

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामेश्वरी ठाकुर
2. पिता/पति : पिंगलराम ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240698

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलीप कुमार नेताम
2. पिता/पति : पिसाहू राम नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 240699
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनीता प्रधान
2. पिता/पति : पिताम्बर सिंह प्रधान
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 240700
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जलंधर सिदार
2. पिता/पति : पिताम्बर सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 240701

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रितु डडसेना

2. पिता/पति : पिताम्बर डडसेना

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240702

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आनन्दराम सिदार
2. पिता/पति : पिलबू सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240703
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार शाण्डेय

2. पिता/पति : प्रिया राम शाण्डेय

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 240704

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मी धनेशकर
2. पिता/पति : प्रितराम धनेशकर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 240705
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामेश्वर प्रसाद ठाकुर
2. पिता/पति : रिखीराम ठाकुर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240706
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रसेन चौहान
2. पिता/पति : रिठोबा चौहान
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 240707
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार पैकरा

2. पिता/पति : रिमन लाल पैकरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240708

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नवीन कुमार पैकरा

2. पिता/पति : रिचंद पैकरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240709

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रियंका सिंह

2. पिता/पति : रितेश सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240710

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोनम सिंह
2. पिता/पति : रितेश सिंह क्षेत्रिय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240711
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रसिका सिंह चंदेल
2. पिता/पति : रितेश सिंह चंदेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240712
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शीला बासंती
2. पिता/पति : शियाराम बासंती
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240713
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार कश्यप
2. पिता/पति : शिबोराम कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 240714
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्वेता चन्द्राकर
2. पिता/पति : शिशुपाल चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240715
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुजीत कुमार शील
2. पिता/पति : शिशुलाल शील
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 240716
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नितिन सिंह ठाकुर

2. पिता/पति : थान सिंह ठाकुर

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240717

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उषा पटेल
2. पिता/पति : थानसिंह पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर : 240718
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेवती साहू
2. पिता/पति : थानेन्द्र कुमार
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240719

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पवन कुमार सिंह
2. पिता/पति : शिव कुमार सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 240720
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिरकांत सोनी
2. पिता/पति : शिव कुमार सोनी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240721
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विवेक कुमार राठिया
2. पिता/पति : शिव भानु प्रसाद राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240722
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरिता ध्रुव
2. पिता/पति : शिवकुमार ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240723

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र मोहन कर्ष
2. पिता/पति : शिवकुमार कर्ष
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 240724
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमल कान्त महतो
2. पिता/पति : शिवकुमार महतो
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 240725
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंतिमबाला जांगड़े
2. पिता/पति : शिवकुमार जांगड़े
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240726
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीतेश कुमार गुप्ता
2. पिता/पति : शिवकुमार गुप्ता
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240727
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रकाश सिंह

2. पिता/पति : शिवमंगल सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240728

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बृजेश कुमार

2. पिता/पति : शिवप्रसाद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240729

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गनेश दत्त मिश्र
2. पिता/पति : शिवप्रसाद मिश्र
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 240730
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कविता भानू
2. पिता/पति : शिवप्रसाद भानू
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240731

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार पटेल

2. पिता/पति : शिवप्रसाद पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240732

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरस्वती प्रजापति
2. पिता/पति : शिवप्रसाद प्रजापति
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240733
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार डनसेना

2. पिता/पति : शिवप्रसाद डनसेना

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240734

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : थान सिंह जायसवाल
2. पिता/पति : शिवप्रसाद जायसवाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240735
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खेमराज सिंह

2. पिता/पति : शिवराम सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240736

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋकेश पुरी गोस्वामी
2. पिता/पति : शिवरात्रि पुरी गोस्वामी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240737
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋषिपुरी गोस्वामी
2. पिता/पति : शिवरात्रिपुरी गोस्वामी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240738
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तपेश्वर सिंह

2. पिता/पति : शिवरतन राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240739

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र कुमार आयम

2. पिता/पति : शिवशंकर सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240740

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेश दर्शन
2. पिता/पति : शिवशंकर दर्शन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240741
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रदीप कुमार नेताम
2. पिता/पति : शिवशंकर नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 240742
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बालकृष्ण पाण्डेय
2. पिता/पति : शिवशरण पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240743
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओमप्रकाश सोनपाकर
2. पिता/पति : शिवदयाल राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240744
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हितेन्द्र कुमार मिर्रे
2. पिता/पति : शिवचरण मिर्रे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240745
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजीव कुमार चौहान
2. पिता/पति : शिवचरण चौहान
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240746
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजीव चौहान

2. पिता/पति : शिवचरन चौहान

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240747

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चुम्मन लाल कोमरे
2. पिता/पति : शिवनाथ कोमरे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 240748
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गीता सिंह

2. पिता/पति : शिवनाथ राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240749

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेश्वरी

2. पिता/पति : शिवनारायण

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 240750

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हितेन्द्र नाथ पैकरा
2. पिता/पति : शिवनारायण साय पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240751
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वेदप्रकाश नरेटी

2. पिता/पति : शिवलाल नरेटी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240752

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पवन पाण्डेय

2. पिता/पति : सिद्धनाथ पाण्डेय

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240753

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमन राम हिड़को
2. पिता/पति : सियाराम हिड़को
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 240754
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राहुल गुप्ता
2. पिता/पति : सिंगासनी गुप्ता
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240755

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल मिंज

2. पिता/पति : सिमोन मिंज

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240756

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सत्यजीवन कुमार रवि

2. पिता/पति : सिफन

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240757

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तरसेला भगत
2. पिता/पति : सिन्धु राम भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240758

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अल्पना तिकी

2. पिता/पति : सिलास तिकी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240759

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुधीर लकरा

2. पिता/पति : सिलवानुस लकरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240760

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खुशबू कंवर

2. पिता/पति : दिनेश कंवर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240761

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भृगु कश्यप
2. पिता/पति : दिनेश कुमार कश्यप
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240762
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : करुणा लता काठले
2. पिता/पति : दिनेश कुमार काठले
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240763
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूबी कोल
2. पिता/पति : दिनेश कुमार कोल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240764
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : साजेन्द्र पाण्डे

2. पिता/पति : दिनेश पाण्डे

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 240765

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कपूर किशन महिलांग

2. पिता/पति : दिनेश चंद्र महिलांग

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 240766

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमलता
2. पिता/पति : दिनेश्वर सिंह मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 240767
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कविता शुक्ला
2. पिता/पति : दिनेन्द्र शुक्ला
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240768
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंकित बिसने
2. पिता/पति : दिगंबर बिसने
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर : 240769
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इन्दुराज सिंह
2. पिता/पति : दिगपाल सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 240770

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रिन्स कुमार

2. पिता/पति : दिल साय तिकी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240771

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल डोंडवानी

2. पिता/पति : दिलीप

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240772

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चंद्रिका साक्षी
2. पिता/पति : दिलीप कुंमार साक्षी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240773
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरुणा कुमार सिंह

2. पिता/पति : दिलीप कुमार सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240774

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : माया चंद्रवंशी
2. पिता/पति : दिलीप कुमार चंद्रवंशी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 240775
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेन्द्र कुमार जैन
2. पिता/पति : दिलीप कुमार जैन
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 240776
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र प्रकाश टंडन
2. पिता/पति : दिलीप कुमार टंडन
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 240777
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बरखा मेश्राम
2. पिता/पति : दिलीप मेश्राम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 240778

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमंत सिंह ध्रुव
2. पिता/पति : दिलीप सिंह ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 240779
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरीश सिंह ध्रुव
2. पिता/पति : दिलीप सिंह ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 240780
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेशमा वारे
2. पिता/पति : दिलीप भारद्वाज
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240781
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राहुल प्रताप सिंह
2. पिता/पति : दिलीप प्रताप सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 240782
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वैभव वैष्णव
2. पिता/पति : दिलीप वैष्णव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240783
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सतानंद कुमार चंद्राकर
2. पिता/पति : दिलीप चंद्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 240784
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रोशन सिंह बंझवार
2. पिता/पति : दिलेश्वर प्रसाद बिंझवार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 240785
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विद्यासागर

2. पिता/पति : विष्णु प्रसाद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240786

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार तरुण

2. पिता/पति : विष्णु प्रसाद तरुण

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240787

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पल्लपी धुर्वे
2. पिता/पति : विष्णुकांत धुर्वे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 240788

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामगोपाल पैकरा
2. पिता/पति : विष्णुसिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240789
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सूरजप्रकाश प्रधान
2. पिता/पति : विष्णुप्रसाद प्रधान
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240790
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बालाराम जैन

2. पिता/पति : विष्णुराम जैन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240791

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भरेन्द्र कुमार सिन्हा
2. पिता/पति : विषेश्वर लाल सिन्हा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240792
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बीरेन्द्र नाथ पाण्डेय
2. पिता/पति : विद्याधर पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 240793
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मीनारायण नायक
2. पिता/पति : विद्याचरण नायक
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240794
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुरंजना किण्डो
2. पिता/पति : विकास कुजूर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 240795
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोनिका तिरसुनिया
2. पिता/पति : विकास तिरसुनिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 240796
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवानी मिश्रा
2. पिता/पति : विकासचंद्र मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर : 240797
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमन भगत
2. पिता/पति : विमल कुमार भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 240798
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रोहित मिश्रा
2. पिता/पति : विचित्र रंजन मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर : 240799
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुरंजन एक्का

2. पिता/पति : विलियम एक्का

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 240800

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डनियास खलखो
2. पिता/पति : विलियम खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240801
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश राम
2. पिता/पति : विभूती राम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 240802
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरीश कुमार पक्षीराज
2. पिता/पति : विश्राम सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240803
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राहित कुमार भगत
2. पिता/पति : विराज कुमार भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240804
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रुचि ठाकुर
2. पिता/पति : विरेन्द्र सिंह राजपूत
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240805
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवलाल राम भगत

2. पिता/पति : विरेन्द्र राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240806

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमंत सिंह नेताम
2. पिता/पति : विशेषर सिंह नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 240807
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कंवल सिंह जुरी
2. पिता/पति : विसराम सिंह जुरी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर : 240808
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपेन्द्र कुमार साहू

2. पिता/पति : विश्वकुमार साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 240809

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तोकेश्वर साहू
2. पिता/पति : विक्रम कुमार साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 240810
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रदीप कुमार लहरे

2. पिता/पति : विक्रम सिंह

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240811

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवा कुमार रात्रे
2. पिता/पति : विश्वमोहन रात्रे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर : 240812
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अन्नू सिंह
2. पिता/पति : विवेकराज सिंह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240813

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तुनुजा बेहरा

2. पिता/पति : विश्वजीत साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240814

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विपिन योगी
2. पिता/पति : विश्वनाथ योगी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर : 240815
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजीव खुदशाह
2. पिता/पति : विश्वनाथ खुदशाह
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240816
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जयंत कुमार ठाकुर
2. पिता/पति : विश्वनाथ ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 240817
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृष्णा कुलमित्र
2. पिता/पति : विश्वनाथ कुलमित्र
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240818
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भरत सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : विश्वनाथ सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240819
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूजा मिश्रा
2. पिता/पति : विजय कुमार मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240820
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वैशाली पटेल
2. पिता/पति : विजय कुमार पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240821
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : केशव कुमार साहू
2. पिता/पति : विजय कुमार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240822
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विमलेश सिंह

2. पिता/पति : विजय सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 240823

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ताम्रध्वज दीवान
2. पिता/पति : विजय सिंह दीवान
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240824
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष कुमार केशरवानी

2. पिता/पति : विजय शंकर गुप्ता

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240825

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रवि कुमार शर्मा

2. पिता/पति : विजय शर्मा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240826

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास कुमार वासनिक

2. पिता/पति : विजय वासनिक

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240827

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नवल किशोर चन्द्रा

2. पिता/पति : विजयकुमार

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240828

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश दिवाकर
2. पिता/पति : विजयनाथ दिवाकर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240829
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भूपेन्द्र कुमार कुशवाहा
2. पिता/पति : विन्धेश्वरी प्रसाद कुशवाहा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर : 240830
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जागृति सिंह

2. पिता/पति : विनय प्रताप सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240831

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिला अहिरवार
2. पिता/पति : विनाय कुमार अहिरवार
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 240832
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दृष्टि पाण्डेय

2. पिता/पति : शिवनाथ पाण्डेय

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240833

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नमिता साहू

2. पिता/पति : विनोद कुमार

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240834

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्यामा भवानी
2. पिता/पति : विनोद कुमार भवानी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दन्तेवाड़ा
5. रोल नम्बर : 240835
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेन्द्र कुमार शुक्ला

2. पिता/पति : विनोद कुमार शुक्ला

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240836

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चूड़ामणि प्रधान
2. पिता/पति : विनोद बिहारी प्रधान
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240837
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सतीश कुमार एक्का

2. पिता/पति : शिवलाल एक्का

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240838

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोमेश्वर कुमार
2. पिता/पति : चिन्तामणि गजपाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर : 240839
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष साहू
2. पिता/पति : चिन्ताराम साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 240840

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चंद्रकान्ता महला
2. पिता/पति : चिन्ताराम देवहारे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240841
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरीश कुमार चंद्राकर

2. पिता/पति : चिन्ताराम चन्द्राकर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240842

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार प्रधान
2. पिता/पति : फिरुराम प्रधान
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240843
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्योति कुजूर
2. पिता/पति : फिलिमोन कुजूर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 240844

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अश्वनी कुमार निर्मलकर
2. पिता/पति : फिरतूराम निर्मलकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240845
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपशिखा साय

2. पिता/पति : फिरन साय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240846

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुर्गेश कुमार वर्मा
2. पिता/पति : तिहारुराम वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 240847
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पीलाराम चंद्राकर
2. पिता/पति : तिहारीराम
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 240848
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पा साहू

2. पिता/पति : तिरथ राम साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240849

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यशवंत कुमार पठारे
2. पिता/पति : तिरीथराम पठारे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240850
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नितेश कुमार प्रधान

2. पिता/पति : तिलक राम प्रधान

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 240851

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निराशा सोरी

2. पिता/पति : तिलक राम सोरी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240852

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेन्द्र कुमार शोरी
2. पिता/पति : तिलकराम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 240853
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रंजिता लकड़ा
2. पिता/पति : जिबिन्युस लकड़ा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर : 240854
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुचिता केरकेट्टा
2. पिता/पति : जिनियुस केरकेट्टा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240855
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार चन्द्राकर
2. पिता/पति : जिवराखन लाल चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 240856
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : फणीश कुमार तिवारी
2. पिता/पति : जितेन्द्र कुमार तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 240857
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भोमलता उपाध्याय

2. पिता/पति : जितेन्द्र उपाध्याय

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240858

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आलोक खेस
2. पिता/पति : निकोलस खेस
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 240859

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरू श्रीवास्तव
2. पिता/पति : निमेष श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240860
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष कोरवानी
2. पिता/पति : निर्मल कोरवानी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240861
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरमेन्द्र कुमार वारे
2. पिता/पति : निर्मल प्रसाद वारे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 240862
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जवाहर राम चौधरी
2. पिता/पति : निर्मल प्रसाद चौधरी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 240863
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जीवन प्रकाश एक्का

2. पिता/पति : निर्मल राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240864

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवलाल दास

2. पिता/पति : निर्मल दास

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240865

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आप्ती देवी प्रसाद
2. पिता/पति : नितिश कुमार प्रसाद
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 240866
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश कुमार निषाद

2. पिता/पति : निर्भय लाल निषाद

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240867

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मीना देवांगन
2. पिता/पति : निरंजन प्रसाद देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 240868
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जयेन्द्र पैकरा
2. पिता/पति : निरंजन लाल पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240869
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनी लक्ष्मी मरकाम
2. पिता/पति : निरेश मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 240870
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविन्द्र दास महंत
2. पिता/पति : निगम दास महंत
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 240871
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रणय चन्देले
2. पिता/पति : निलय चन्देले
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240872

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार सोनी
2. पिता/पति : निलम प्रसाद
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 240873
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उमेश कुमार नायक
2. पिता/पति : निलांचल बिहारी नायक
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240874
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लता साहू

2. पिता/पति : निलाम्बर साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240875

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्वेता मिश्रा

2. पिता/पति : निलाभ मिश्रा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240876

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कैलाश कुमार मांझी

2. पिता/पति : निलाप सिंह मांझी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : नारायणपुर

5. रोल नम्बर 240877

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खेमराज नागदेव

2. पिता/पति : टिरकू राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 240878

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिशंकर राठिया
2. पिता/पति : टिलेश्वर सिंह राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240879
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीषा मंजू एक्का

2. पिता/पति : गिरधारी एक्का

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240880

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संगीत कुमार पाले
2. पिता/पति : गिरधारी लाल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240881
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार पटेल
2. पिता/पति : गिरधारी लाल पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 240882
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरज कुमार द्विवेदी
2. पिता/पति : गिरजा प्रसाद द्विवेदी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240883
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओमप्रकाश मण्डावी
2. पिता/पति : गिलोकी राम मण्डावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर : 240884
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खीरलाल ध्रुव

2. पिता/पति : लिखाराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240885

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुजीत कुमार बड़ा

2. पिता/पति : लिजिनियुस बड़ा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240886

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अर्नेष्ट टोप्पो

2. पिता/पति : लिनुस टोप्पो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 240887

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेन्द्र कुमार नाग
2. पिता/पति : हृदय राम नाग
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 240888
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार गजेन्द्र

2. पिता/पति : हृदयराम गजेन्द्र

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240889

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सफीर अहमद खान
2. पिता/पति : हबीब उल्ला खान
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240890
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेहा सेन
2. पिता/पति : हभिऊ सेन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240891

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमल सिंह सिदार

2. पिता/पति : हरि सिंह सिदार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240892

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृष्णावेणी नायडू
2. पिता/पति : हरि साव नायडू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर : 240893
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र सिंह क्षत्री
2. पिता/पति : हरिसिंह क्षत्री
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240894
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार सिंह

2. पिता/पति : हरिहर राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240895

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विष्णु प्रसाद

2. पिता/पति : हरिभगत

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 240896

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेश्वरी कोलियारे
2. पिता/पति : हरिराम भुआर्य
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : खेरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240897
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जवाहर लाल साहू
2. पिता/पति : हरिराम साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 240898
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उमाशंकर

2. पिता/पति : हरिशचन्द्र

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240899

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पिंगला नेताम

2. पिता/पति : हरिशचन्द्र नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 240900

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार सेठिया

2. पिता/पति : हरिसाय सेठिया

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 240901

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आस्था वैष्णव
2. पिता/पति : हरिदास वैष्णव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240902

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रितेश नावंशी
2. पिता/पति : हरिदत्त नागवंशी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 240903

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋषि कुमार कोरटे

2. पिता/पति : हरिचन्द्र कोरटे

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 240904

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिवाकर सिंह

2. पिता/पति : हरिलाल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240905

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता देवांगन
2. पिता/पति : हरिलाल देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 240906
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरुण कुमार कुजूर

2. पिता/पति : हविल कुजूर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 240907

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उत्तम कुमार गुप्ता
2. पिता/पति : हीरा लाल गुप्ता
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 240908
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुनेश्वर सिंह भुआर्य
2. पिता/पति : हीरामन सिंह भुआर्य
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 240909
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : स्मिता सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : हीरासिंह ठाकुर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 240910
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शैलेश सिंह ठाकुर

2. पिता/पति : हीरासिंह ठाकुर

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240911

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निर्मला ध्रुव

2. पिता/पति : हीराराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240912

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमन्त कुमार देवांगन
2. पिता/पति : हीराराम देवांगन
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 240913
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भरत कुमार

2. पिता/पति : हीरालाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240914

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बंदना किण्डो

2. पिता/पति : हरमन किण्डो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 240915

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामेश्वरी

2. पिता/पति : हरिराम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240916

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : माधुरी ठाकुर
2. पिता/पति : हरिराम ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 240917

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भरतलाल पटेल

2. पिता/पति : हरिराम पटेल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 240918

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता यादव

2. पिता/पति : हरीशंकर यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240919

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गौरव श्रीवास्तव
2. पिता/पति : हरीशंकर श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240920
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हर्षवर्धन मोटघरे
2. पिता/पति : हरीशचंद्र मोटघरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 240921
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दरसबती भुआर्य

2. पिता/पति : हरीशचंद्र भुआर्य

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240922

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ललित कुमार वर्मा

2. पिता/पति : हरदेवराम वर्मा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240923

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : माधवी सिंह

2. पिता/पति : हरवंश सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 240924

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रितेश कश्यप
2. पिता/पति : हरेकृष्ण कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 240925

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रक्षपाल बरिहा

2. पिता/पति : हाडू बरिहा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240926

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेन्द्र कुमार साहू
2. पिता/पति : होमलाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 240927
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मालिकराम राठिया

2. पिता/पति : हसराम राठिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 240928

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रजनी आनेश्वरी
2. पिता/पति : हस्तमल आनेश्वरी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240929
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लिमदेव मण्डावी

2. पिता/पति : हुंगाराम मण्डावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 240930

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हनुमत्तेश दर्शन
2. पिता/पति : हुलसराम दर्शन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 240931

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राधा गोटा

2. पिता/पति : हेमराज गोटा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240932

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यामिनी श्रीमाली

2. पिता/पति : हेमनाथ नाग

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240933

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : हेमूलाल ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 240934
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्रवण कुमार ठाकुर
2. पिता/पति : हेमलाल ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 240935
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोनाराम धृतलहरे
2. पिता/पति : हेतराम धृतलहरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 240936
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार पटेल
2. पिता/पति : हेतराम पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240937
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुर्गेश कुमार राठौर
2. पिता/पति : हेतराम राठौर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240938
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास साहू

2. पिता/पति : हेतराम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240939

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र नाथ चौधरी
2. पिता/पति : हेतराम चौधरी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240940
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष कुमार

2. पिता/पति : हनुमान सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 240941

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बीरा रामनारायण
2. पिता/पति : हनुमैया बीरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर : 240942
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिषेक साहू
2. पिता/पति : हलधर प्रसाद साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240943
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खूबलाल देशमुख
2. पिता/पति : हलाल खोर देशमुख
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 240944
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रोहिणी देशमुख
2. पिता/पति : हलाल खोर देशमुख
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 240945
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार भगत
2. पिता/पति : भटेल राम भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 240946
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवराम साहू
2. पिता/पति : भक्तूराम साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 240947

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामकिशुन सोनवानी

2. पिता/पति : भक्तूराम सोनवानी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240948

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋषि कुमार निर्मलकर

2. पिता/पति : भीखम निर्मलकर

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240949

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रशान्त कुमार सोनी

2. पिता/पति : भीखम प्रसाद सोनी

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240950

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार नेताम
2. पिता/पति : भीखम राम नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 240951
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नवीन कुमार सिन्हा

2. पिता/पति : भीखम लाल सिन्हा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240952

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास कुमार साहू

2. पिता/पति : भीखम लाल साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 240953

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेमीचंद्र वर्मा
2. पिता/पति : भीखेराम वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर : 240954
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लीतीश भोसले

2. पिता/पति : भीमराव भोसले

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240955

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मेनका किरार
2. पिता/पति : भीमसेन किरार
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 240956

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भारती शर्मा
2. पिता/पति : भरत शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 240957
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार देवांगन

2. पिता/पति : भरतलाल देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 240958

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विशेष कुमार तिरसुनियां

2. पिता/पति : भारत सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240959

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार जांगड़े

2. पिता/पति : भारत लाल जांगड़े

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240960

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तनुजा गंगवंशी
2. पिता/पति : भारत लाल गंगवंशी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240961
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रतिभा देशमुख
2. पिता/पति : भारतेन्द्र कुमार गौतम
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 240962
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मालती नेताम
2. पिता/पति : भावसिंह नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 240963

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋचा वर्मा
2. पिता/पति : भावेश कुमार वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240964
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल कुमार

2. पिता/पति : भोपसिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 240965

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामकुष्ण सिन्हा
2. पिता/पति : भोपाल राम सिन्हा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240966
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उत्तम प्रसाद राठिया
2. पिता/पति : भोगसिंह राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240967
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रदीप कुमार पटेल
2. पिता/पति : भोगेश्वर प्रसाद पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240968
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीनबन्धु सिंदार

2. पिता/पति : भोलाराम सिंदार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 240969

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राधिका चंद्रवंशी
2. पिता/पति : भोलाराम चन्द्रवंशी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 240970
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मिलेन्द्र वैष्णव

2. पिता/पति : भोलेन्द्र बैष्णव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240971

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश्वरी गवेल
2. पिता/पति : भानुप्रताप सिंह गभेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 240972
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरिता साहू
2. पिता/पति : भानुप्रताप साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 240973

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गणेश राम ध्रुव

2. पिता/पति : भानू प्रताप ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 240974

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार गंगासागर

2. पिता/पति : भानूराम गंगासागर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 240975

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार मारकण्डे
2. पिता/पति : भागीरथी मारकण्डे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 240976
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकश साहू
2. पिता/पति : भागीरथी साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 240977

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामभजन सारथी
2. पिता/पति : भागीरथी सारथी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 240978
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुणाल सोरी
2. पिता/पति : भागीरथी सोरी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 240979

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमन्त कुमार देवांगन
2. पिता/पति : भागीरथी देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दन्तेवाड़ा
5. रोल नम्बर : 240980
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टिकेन्द्र कुमार वर्मा
2. पिता/पति : भागीरथी वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240981
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सूर्यप्रकाश जोशी
2. पिता/पति : भागीरथी जोशी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 240982
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पार्वती महिलांग
2. पिता/पति : भागीदास महिलांग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 240983
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेश कुमार ध्रुव

2. पिता/पति : भागवत सिंह ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 240984

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार
2. पिता/पति : भागवत प्रसाद
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 240985

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कल्याणी ठाकुर
2. पिता/पति : भागवत प्रसाद मेरावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर : 240986
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित तिवारी
2. पिता/पति : भागवत प्रसाद तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 240987
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश कुमार शर्मा
2. पिता/पति : भागवत प्रसाद शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 240988
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमन जैन

2. पिता/पति : भागवत राम जैन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240989

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष कुमार सिन्हा

2. पिता/पति : भागवत राम जैन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 240990

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्ञामिन साहू

2. पिता/पति : भागवत साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 240991

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जानकी चतुर्वेदी
2. पिता/पति : भागवत दास चतुर्वेदी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 240992
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुभद्रा बघेल
2. पिता/पति : भालूराम बघेल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 240993

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुन्ना लाल कड़ियाम

2. पिता/पति : भदरू राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 240994

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अश्विनी कुमार साहू

2. पिता/पति : भवानी प्रसाद साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 240995

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवर्षिक कुमार कैवर्त
2. पिता/पति : भुरुवाराम कैवर्त
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 240996
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमेश कुमार पटेल
2. पिता/पति : भुपदेव प्रसाद पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 240997
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुजा ध्रुव
2. पिता/पति : भुपेन्द्र ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सुकमा
5. रोल नम्बर 240998

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रवि सिंह
2. पिता/पति : भुपेन्द्र सिंह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 240999

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन बाजार रायपुर रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पेन्द्र कुमार

2. पिता/पति : भुवन लाल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241000

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज, बैरन
बाजार रायपुर रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलीप कुमार सिन्हा
2. पिता/पति : भुवन लाल सिन्हा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241001
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हर्षजीत देव
2. पिता/पति : भुवन लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 241002
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टकेश्वर वर्मा
2. पिता/पति : भुवन लाल वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 241003
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शुभम ठाकुर
2. पिता/पति : भुवनेश्वर सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 241004
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोचन प्रसाद साव
2. पिता/पति : भुवनेश्वर प्रसाद साव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 241005
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरीश कुमार सिन्हा
2. पिता/पति : भुनेश्वर कुमार सिन्हा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 241006
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवचरण सिंदराम
2. पिता/पति : भुनेश्वर सिंह सिंदराम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241007
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुशीला पुरामे
2. पिता/पति : भुनेश्वर प्रसाद पुरामे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241008
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दूधनाथ साहू

2. पिता/पति : भुनेश्वर साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241009

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूनम नाग

2. पिता/पति : भुनेश्वर नाग

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241010

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कन्हैया लाल गोयन
2. पिता/पति : भैया लाल गोयन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 241011
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : भैसज्य सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 241012
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनिकी देशमुख

2. पिता/पति : भेलसिंह देशमुख

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 241013

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिनव गिरी गोस्वामी
2. पिता/पति : भूषण गिरी गोस्वामी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241014
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुमार गौरव साहू
2. पिता/पति : भूषण लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241015
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गीतप्रिया साहू

2. पिता/पति : भूखन साव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241016

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश मिश्रा

2. पिता/पति : भूपति मिश्रा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241017

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपा नेताम
2. पिता/पति : भूपेन्द्र कुमार नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दन्तेवाड़ा
5. रोल नम्बर 241018
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रवि शुक्ला

2. पिता/पति : भूपेन्द्र शुक्ला

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241019

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुराग कुमार गुप्ता
2. पिता/पति : भूपेन्द्र चन्द्र गुप्ता
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 241020
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरीश कुमार दुबे
2. पिता/पति : भूपेन्द्र लाल दुबे
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241021
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : त्रिलोक कुमार सोनवानी
2. पिता/पति : भगवान चरण सोनवानी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241022
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओमप्रकाश चुरेन्द्र
2. पिता/पति : भगवानी राम चुरेन्द्र
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241023
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गजेन्द्र कुमार दीवान
2. पिता/पति : भगवानी दीवान
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241024
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वरुण कुमार भुआर्य
2. पिता/पति : भगवानसाय भुआर्य
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241025
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश खरे

2. पिता/पति : भगवती प्रसाद खरे

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241026

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रणविजय देवांगन
2. पिता/पति : भगत कुमार देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241027
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बीरेन्द्र कुमार

2. पिता/पति : भगतराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 241028

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भोलेश्वर साहू

2. पिता/पति : भगतराम साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241029

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामदास नाग

2. पिता/पति : भगतराम नाग

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241030

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश कुमार
2. पिता/पति : भगेलू प्रसाद केंवट
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241031
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुनेश्वर कोसमी
2. पिता/पति : प्यारीराम कोसमी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241032
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योग आनंद साहू
2. पिता/पति : प्यारेलाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241033
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गौतम गुप्ता

2. पिता/पति : प्यारेलाल गुप्ता

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 241034

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रानू गुप्ता
2. पिता/पति : पंकज गुप्ता
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241035

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार बट्टी
2. पिता/पति : पंचम सिंह बट्टी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर 241036
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्यमनंदन बांधव
2. पिता/पति : पंचम लाल बांधव
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241037
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जानकी बघेल

2. पिता/पति : पंचराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241038

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार विश्वकर्मा
2. पिता/पति : पंचराम विश्वकर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241039
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृष्ण कुमार पटेल
2. पिता/पति : पंचूसिंह पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 241040
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : घनश्याम कुमार सेन
2. पिता/पति : पतिराम सेन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241041
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुनेश्वर प्रसाद पटेल
2. पिता/पति : पनिक लाल पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241042
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पी. प्रियंका राव

2. पिता/पति : पी. मनीष राव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241043

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गजेन्द्र कुमार शाक्य

2. पिता/पति : पी. प्रसाद

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241044

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पी. जयलक्ष्मी

2. पिता/पति : पी. आप्पन्ना

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 241045

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पी.सोनल

2. पिता/पति : पी. आरविंद

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241046

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल भास्कर

2. पिता/पति : पी.एम. भास्कर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 241047

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिरुद्ध कुमार राठौर
2. पिता/पति : पी.एस. राठौर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241048
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्योति नेताम
2. पिता/पति : पी.एल. नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 241049

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष खेस्स

2. पिता/पति : पीटर खेस्स

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241050

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार साहू
2. पिता/पति : पी.आर. साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241051
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनंदा नायडू
2. पिता/पति : पी.आर. नायडू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 241052
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र उइके

2. पिता/पति : पीलाराम उइके

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241053

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र कुमार नेताम
2. पिता/पति : पीलाराम नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241054
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुद्धराम

2. पिता/पति : परमोहन राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241055

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार भारती
2. पिता/पति : परमानंद भारती
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241056
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : छत्रपाल साहू

2. पिता/पति : परमानंद साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 241057

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निलेश कुमार गुप्ता
2. पिता/पति : परमानंद गुप्ता
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 241058
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : केशव बाबू पटेल
2. पिता/पति : परमेश्वर प्रसाद पटेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241059
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रभावती साव

2. पिता/पति : परीक्षित

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241060

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तनुजा साव

2. पिता/पति : परीजित साव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241061

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डिहू सिंह मरकाम
2. पिता/पति : परशुराम मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241062
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रभात सिंह ध्रुव

2. पिता/पति : परसराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241063

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नारायण सिंह रावटे
2. पिता/पति : परसराम रावटे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 241064
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओंकार प्रसाद सोनवानी
2. पिता/पति : परसराम सोनवानी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241065
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंजु कुजूर टोप्पो
2. पिता/पति : परसा सौरभ टोप्पो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241066
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गिरवर कुमार पुरेना
2. पिता/पति : परसुराम पुरेना
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241067
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विरेन्द्र कुमार कुंजाम
2. पिता/पति : परदेशी राम कुंजाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 241068
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार राणा
2. पिता/पति : परदेशी राम राणा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241069
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तेजेश ध्रुव

2. पिता/पति : परदेशीराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241070

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विष्णु दास

2. पिता/पति : परवान दास

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241071

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवकुमार कुर्रे
2. पिता/पति : परगनिहारास कुर्रे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 241072
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हितेन्द्र कुमार पामभोई
2. पिता/पति : पापैयाराज पामभोई
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर 241073
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सतीश कुमार साहू
2. पिता/पति : पारथ लाल साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241074
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अगस्तुसंत जोहन पैकरा
2. पिता/पति : पारस राम पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 241075
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गिरजा ओट्टी

2. पिता/पति : पारस ओट्टी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 241076

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शंकर नाथ साय

2. पिता/पति : पारसनाथ

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241077

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास खलखो

2. पिता/पति : पास्कल खलखो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241078

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिता तिकी
2. पिता/पति : पोलिकार्प तिकी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 241079
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लिबबन एक्का
2. पिता/पति : पौलुस एक्का
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241080
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंकित राव इंदिकर
2. पिता/पति : पदमाकर राव इंदिकर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241081
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेन्द्र कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : पदुमन ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241082
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विवेक कुमार परगनिहा
2. पिता/पति : पवन कुमार परगनिहा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खेरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 241083
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अन्नू चन्द्राकर
2. पिता/पति : पवन कुमार चन्द्राकर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर : 241084
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निधी चन्द्राकर
2. पिता/पति : पवन कुमार चन्द्राकर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241085
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चंद्रिका नेताम
2. पिता/पति : पवन कुमार नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241086
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्यारे लाल पुहुप

2. पिता/पति : पवन सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241087

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवकुमार ध्रुव

2. पिता/पति : पवन सिंह ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 241088

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अलमा बखला
2. पिता/पति : पवन साय बखला
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241089
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेश कुमार मॉझी
2. पिता/पति : पुरुषोत्तम सिंह मांझी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241090
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनोद कुमार जगन
2. पिता/पति : पुरुषोत्तम सिंह जगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241091
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेहा बाकड़े
2. पिता/पति : पुरुषोत्तम राम धाकड़े
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241092
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविकान्त परगनिहा
2. पिता/पति : पुरुषोत्तम लाल परगनिहा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241093
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेश कुमार साहू
2. पिता/पति : पुरुषोत्तम लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241094
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तृप्ति तिवारी उपाध्याय

2. पिता/पति : पुनित उपाध्याय

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241095

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दमयन्ति पटेल
2. पिता/पति : पुरन सिंह पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241096
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल कुमार भोई
2. पिता/पति : पुरन भोई
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241097
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार कोराम
2. पिता/पति : पुरनसिंह कोराम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241098
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निशीकान्त गुप्ता
2. पिता/पति : पुनमचन्द गुप्ता
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 241099
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार सिन्हा
2. पिता/पति : पुनीत राम सिन्हा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241100
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुजराम ध्रुव
2. पिता/पति : पुनीतराम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241101
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भोजकुमारी ध्रुव

2. पिता/पति : पुनीतराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241102

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार मन्नाडे
2. पिता/पति : पुनीतराम मन्नाडे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241103
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमन्त कुमार

2. पिता/पति : पुनाराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 241104

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दशरथ लाल देवांगन
2. पिता/पति : पुनाराम देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241105
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मण धुंव

2. पिता/पति : पुनारद धुंव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241106

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुरपत धुर्वे
2. पिता/पति : पुन्नूसिंह धुर्वे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241107
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रदीप कुमार कसोजी

2. पिता/पति : पुलैया कासोजी

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 241108

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामलाल राठिया

2. पिता/पति : पतंगसिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241109

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार खलखो
2. पिता/पति : पतरस खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 241110
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद सिंह राजपूत
2. पिता/पति : पेखन सिंह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241111
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बुधराम पोर्ते

2. पिता/पति : पेंटा पोर्ते

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241112

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र गांधरला

2. पिता/पति : पेन्टू गांधरला

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 241113

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेश कुमार पोयाम
2. पिता/पति : पन्धू राम पोयाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241114
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डोमन सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : पन्चूराम ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सुकमा
5. रोल नम्बर 241115
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिनय चन्द्राकर
2. पिता/पति : पन्नालाल चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241116
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रशान्त दुबे

2. पिता/पति : पूरन प्रसाद दुबे

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241117

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धीरेन्द्र कुमार लाटा
2. पिता/पति : पूरन चंद लाटा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241118
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोविंद प्रसाद चौहान
2. पिता/पति : पूरन लाल
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 241119
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कविता कश्यप
2. पिता/पति : पूनमचंद कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241120
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिव्या ज्योति कुजूर
2. पिता/पति : प्लासिदियुस कुजूर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 241121
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निरंजन तिग्गा
2. पिता/पति : प्लासिदियुस तिग्गा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 241122
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शंकर सिंह सिदार
2. पिता/पति : पल्टन सिंह सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 241123
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजकिशोर प्रसाद
2. पिता/पति : प्रयाग प्रसाद
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर : 241124
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अतुल कुमार टोप्पो
2. पिता/पति : प्रबल टोप्पो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241125
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इंदू यादव
2. पिता/पति : प्रकाश चंद यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर : 241126
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंबिका ध्रुव
2. पिता/पति : प्रमोद कुमार ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241127
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तोशिबा देवांगन
2. पिता/पति : प्रमोद कुमार देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 241128
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ईशा भारती निर्मलकर
2. पिता/पति : प्रमोद निर्मलकर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241129
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष शर्मा

2. पिता/पति : प्रमोद शर्मा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 241130

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : स्वयं प्रकाश चन्द्राकर
2. पिता/पति : प्रहलाद चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241131
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रतिभा जायसवाल
2. पिता/पति : प्रभाकर वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241132
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नितेश जोशी

2. पिता/पति : प्रभाशंकर जोशी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 241133

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजीव कुमार

2. पिता/पति : प्रभात

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241134

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गणेश लाल साहू
2. पिता/पति : प्रभुदास साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241135
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश्वरी तावरकर
2. पिता/पति : प्रभुलाला तावरकर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241136
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार तावरकर
2. पिता/पति : प्रभूलाल तावरकर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241137
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजू ममता बरिहा
2. पिता/पति : प्रीतम बरिहा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 241138
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजू ममता बरिहा
2. पिता/पति : प्रीतम बरिहा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 241139
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुलदीप सिंह दीवान
2. पिता/पति : प्रीतम सिंह दीवान
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241140
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अखिलेश कुमार सिंह

2. पिता/पति : प्राण सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241141

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीषा डडसेना
2. पिता/पति : प्रशांत कुमार सिन्हा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241142
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उमा प्रधान
2. पिता/पति : प्रसन्न कुमार प्रधान
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241143
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुजीत कुमार देहारी
2. पिता/पति : प्रसन्न कुमार देहारी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241144
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमित कुमार तिवारी
2. पिता/पति : प्रदयुमन तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 241145
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरिता केशरी

2. पिता/पति : प्रदीप कुमार

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241146

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रभान पात्रे

2. पिता/पति : प्रदीप कुमार

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241147

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सलोमी एक्का
2. पिता/पति : प्रदीप कुमार एक्का
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 241148
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शशि किरण मंडावी
2. पिता/पति : प्रदीप कुमार मंडावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दन्तेवाड़ा
5. रोल नम्बर 241149
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुगधा राठौर
2. पिता/पति : प्रदीप कुमार राठौर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241150
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सिद्धार्थ शर्मा
2. पिता/पति : प्रदीप कुमार शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241151
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रशांत सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : प्रदीप सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241152
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बृजकुमार पैकरा
2. पिता/पति : प्रदीप सिंह पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241153
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेहा तिवारी

2. पिता/पति : प्रदीप तिवारी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241154

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चित्रकान्त राही

2. पिता/पति : प्रदीप राही

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241155

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमितेश स्वर्णकार
2. पिता/पति : प्रदीप सोनी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 241156
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : माधुरी गहलौत

2. पिता/पति : प्रदीप गहलौत

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241157

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंजली गुप्ता

2. पिता/पति : प्रदीप गुप्ता

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 241158

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भूमिका रानी राजपूत
2. पिता/पति : प्रवीण सिंह राजपूत
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241159
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अन्नपूर्णा चौहान

2. पिता/पति : प्रफुल्ल चौहान

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241160

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्योति राजपूत
2. पिता/पति : प्रतीक सिंह राजपूत
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर : 241161
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रशेखर सिंह

2. पिता/पति : प्रताप सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241162

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरती चौहान
2. पिता/पति : प्रताप सिंह जगत
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241163
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रायसिंग कोटपरिया
2. पिता/पति : प्रेम सिंह कोटपरिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241164
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमिता वर्मा
2. पिता/पति : प्रेम नाथ वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241165
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जगदीश कुमार

2. पिता/पति : प्रेमकुमार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241166

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र वर्मा
2. पिता/पति : प्रेमकुमार वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241167
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ईश्वरी कश्यप
2. पिता/पति : प्रेमप्रकाश कश्यप
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241168
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गंगाराम साहू

2. पिता/पति : प्रेमराम साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 241169

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यशवंत देवांगन
2. पिता/पति : प्रेमसाव देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241170
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : क्रांति चंद्रा

2. पिता/पति : प्रेमेश चंद्रा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241171

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यवनीश गजेन्द्र

2. पिता/पति : प्रेमलाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241172

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रियंका पाण्डेय
2. पिता/पति : प्रेमलाल पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 241173
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश पटेल
2. पिता/पति : प्रेमलाल पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 241174

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मानूराम साहू

2. पिता/पति : प्रेमलाल साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241175

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश्वर साहू

2. पिता/पति : प्रेमलाल साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 241176

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेन्द्र कुमार साहू
2. पिता/पति : प्रेमलाल साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241177
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश नागदेवें
2. पिता/पति : प्रेमलाल नागदेवें
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241178
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोरमा तोमर
2. पिता/पति : रणजीत कुमार पात्र
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241179
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बिन्दु सनाइय
2. पिता/पति : रघुप्रसाद सनाइय
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241180
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शैलेश कुमार मेहता
2. पिता/पति : रघुवीर प्रसाद मेहता
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 241181
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलसाय गिरी

2. पिता/पति : रघुवरराम

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241182

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार साहू
2. पिता/पति : रघुनंदन प्रसाद साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241183
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र प्रसाद चन्द्रा
2. पिता/पति : रघुनंदन प्रसाद चन्द्रा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 241184
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश कुमार मंडावी
2. पिता/पति : रघुनाथ मंडावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241185
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्यामलाल पटेल
2. पिता/पति : रघुनाथ पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 241186
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मीनारायण राठौर
2. पिता/पति : रघुनाथ प्रसाद राठौर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241187
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामचन्द्र गोंड़

2. पिता/पति : रघुनाथ गोंड़

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 241188

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रेमा रोश खाखा
2. पिता/पति : रंजीत कुमार मिंज
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241189
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्रद्धा जांगड़े
2. पिता/पति : रंजीत जांगड़े
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241190
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकेश कुमार सोनी
2. पिता/पति : रमकेश चन्द्र सोनी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241191
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुपा एक्का
2. पिता/पति : रमजित एक्का
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 241192

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुप्रिता मिश्रा

2. पिता/पति : रमाकांत पाढ़ी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241193

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनायक प्रसाद मिश्रा
2. पिता/पति : रमाकान्त मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर : 241194
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुराग शुक्ला
2. पिता/पति : रमाकान्त शुक्ला
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241195
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश तिवारी
2. पिता/पति : रमाशंकर तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर : 241196
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राधिका झारिया

2. पिता/पति : रमेश झारिया

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241197

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार साहू
2. पिता/पति : रमेश कुमार
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 241198
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनंजय कुमार महतो
2. पिता/पति : रमेश कुमार महतो
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241199
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेन्द्र कुमार सिन्हा
2. पिता/पति : रमेश कुमार सिन्हा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241200
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित कुमार पाण्डेय
2. पिता/पति : रमेश कुमार पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241201
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अशीष पाण्डेय
2. पिता/पति : रमेश कुमार पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241202
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता साहू
2. पिता/पति : रमेश कुमार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241203
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जयश्री भारती

2. पिता/पति : रमेश भारती

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241204

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धीरज पाल

2. पिता/पति : रमेश पाल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241205

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुप कुमार टोप्पो
2. पिता/पति : रमेश राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 241206
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश साहू
2. पिता/पति : रमेश साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 241207
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेश वैस

2. पिता/पति : रमेश वैस

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241208

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरज कुमार
2. पिता/पति : रमेश चन्द्र कोरा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241209
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार कोसमा
2. पिता/पति : रमेश्वर कोसमा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241210
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूनम डोंगरे

2. पिता/पति : रमन डोंगरे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241211

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महादेव सारथी

2. पिता/पति : रथोराम सारथी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241212

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्योति पराते

2. पिता/पति : रवि पराते

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241213

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मेघराज वर्मा
2. पिता/पति : रविकुमार वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241214

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगिनी निषाद
2. पिता/पति : रविशंकर निषाद
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241215
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पारस नाथ जाटव
2. पिता/पति : रविशंकर जाटव
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241216
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रजनीश सरोज खलखो
2. पिता/पति : रविशंकर टोप्पो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 241217
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनेश्वर प्रसाद घृतलहरे
2. पिता/पति : रविदास घृतलहरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241218
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गीता बाई कंवर
2. पिता/पति : रविनंद सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 241219
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमलता उइके
2. पिता/पति : रविन्द्र सिंह उइके
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241220
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुज सिन्हा
2. पिता/पति : रविन्द्र प्रसाद सिन्हा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 241221
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंजू व्यास

2. पिता/पति : रविन्द्र व्यास

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241222

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश कुमार दुबे

2. पिता/पति : श्री लक्ष्मी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 241223

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनिता यादव
2. पिता/पति : श्रीकांत कुमार यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 241224
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विवेक पाण्डेय
2. पिता/पति : श्रीकांत पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241225
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्रवण कुमार गुप्ता
2. पिता/पति : श्रीराम गुप्ता
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर 241226
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेहरुलाल लकड़ा
2. पिता/पति : श्रीराम लकड़ा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 241227
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलीप कुमार खैरवार
2. पिता/पति : श्रीजलाल खैरवार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 241228
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रशांत शर्मा

2. पिता/पति : श्रीनारायण शर्मा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241229

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पंकज तिवारी
2. पिता/पति : राधवेन्द्र तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241230
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : झरना कश्यप
2. पिता/पति : राधेश्याम कश्यप
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241231
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविश कुमार सोरी
2. पिता/पति : राधेश्याम सोरी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241232
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष अग्रवाल
2. पिता/पति : राधेश्याम अग्रवाल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 241233
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चूरण हरिशंकर कश्यप
2. पिता/पति : राधेलाल कश्यप
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241234
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेतराम प्रजापति
2. पिता/पति : राधेलाल प्रजापति
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241235
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओमप्रकाश राजपूत
2. पिता/पति : राधेलाल राजपूत
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241236
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल कुमार जायसवाल
2. पिता/पति : राधेलाल जायसवाल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241237
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीता मरकाम
2. पिता/पति : रायधर मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241238

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोम्या मिश्रा
2. पिता/पति : राकेश कुमार मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241239
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अर्चना कंवर
2. पिता/पति : राकेश कुमार सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241240
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिप्रिया साहू
2. पिता/पति : राकेश कुमार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241241
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेश कुमार गंधर्व
2. पिता/पति : राम बाबू गंधर्व
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241242
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुदामा प्रसाद साहू
2. पिता/पति : राम बिलाश साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241243
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ठाकुर राम सोम

2. पिता/पति : राम सिंह सोम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 241244

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हीरामति
2. पिता/पति : राम विशाल सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241245
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार यादव
2. पिता/पति : राम सुजान यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241246
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार
2. पिता/पति : रामध्यान प्रसाद
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241247
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बंशीधर राना

2. पिता/पति : रामधर राना

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 241248

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तृप्ति कोसरीया
2. पिता/पति : रामधार कोसरिया
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241249
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टेदूराम जांगड़े

2. पिता/पति : रामधार जांगड़े

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241250

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र विश्वकर्मा
2. पिता/पति : रामधनी विश्वकर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 241251
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिव प्रसाद भास्कर
2. पिता/पति : रामधनीराम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241252
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामकुमार जांगड़े
2. पिता/पति : रामरूप जांगड़े
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241253
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामकुमार धुर्वे

2. पिता/पति : रामझुल धुर्वे

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241254

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार पटेल
2. पिता/पति : रामबगस पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241255
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टुमन लाल बघेल
2. पिता/पति : रामकृष्ण बघेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241256
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खुमान दास साहू
2. पिता/पति : रामकृष्ण साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241257
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अतुल कुमार केशरवानी
2. पिता/पति : रामकुमार
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241258
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कैलाश चंद्र महतो
2. पिता/पति : रामकुमार महतो
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241259
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मारुति मिश्र

2. पिता/पति : रामकुमार मिश्र

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241260

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार सिंह
2. पिता/पति : रामकुमार सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241261
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजीत कुमार निर्मलकर
2. पिता/पति : रामकुमार निर्मलकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241262
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश कुमार निर्मलकर
2. पिता/पति : रामकुमार निर्मलकर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 241263
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चरण सिंह पन्द्राम
2. पिता/पति : रामकुमार पन्द्राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241264
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सतीश दीवान
2. पिता/पति : रामकुमार दीवान
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241265
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार ताम्रकार
2. पिता/पति : रामकुमार ताम्रकार
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241266
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेश कुमार नायक
2. पिता/पति : रामकुमार नायक
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241267
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : साधना सिंह

2. पिता/पति : रामकेश सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241268

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश कुमार साहू
2. पिता/पति : रामकन्हाई साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241269
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवकुमार चतुर्वेदी
2. पिता/पति : रामकलेश चतुर्वेदी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241270
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चंदा
2. पिता/पति : रामखिलावन
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241271
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमल किशोर भारद्वाज
2. पिता/पति : रामखिलावन भारद्वाज
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241272
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कविता भारती
2. पिता/पति : रामखिलावन भारती
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241273
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्वेता त्रिपाठी
2. पिता/पति : रामकिशोर त्रिपाठी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241274
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चुनेश्वर प्रसाद देवांगन
2. पिता/पति : रामकिशुन देवांगन
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241275
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविन्द्र कुमार काठले
2. पिता/पति : रामकिशन काठले
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241276
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार काथले
2. पिता/पति : रामकिशन काथले
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241277
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जीवेश कुमार मिश्रा
2. पिता/पति : राममिलन मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर : 241278
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजूलता कंवर

2. पिता/पति : रामसिंह कंवर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241279

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनोद कंवर

2. पिता/पति : रामसिंह कंवर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241280

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गेंदूराम मरावी

2. पिता/पति : रामसिंह मरावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241281

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : घसिया राम राठिया
2. पिता/पति : रामसिंह राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241282
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजीव कुमार श्रोते
2. पिता/पति : रामसिंह श्रोते
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241283
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तिलक राम चौधरी
2. पिता/पति : रामसिंह चौधरी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241284
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तेजराम नागेश

2. पिता/पति : रामसिंह नागेश

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 241285

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रिया नेताम

2. पिता/पति : रामसिंह नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241286

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमला नेताम
2. पिता/पति : रामसिंह नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर 241287
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष कुमार साहू
2. पिता/पति : रामविलास साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241288
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वन्दना राठिया
2. पिता/पति : रामनिरंजन राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241289
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मिथिलेश नेताम

2. पिता/पति : रामभरोस सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241290

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तीरथमती पैकरा
2. पिता/पति : रामभुवन पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241291
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मान्ती बाई

2. पिता/पति : रामप्यार राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241292

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोश कुमार कटरा
2. पिता/पति : रामप्यारे कटरा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 241293
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश कुमार मरकाम
2. पिता/पति : रामप्रसाद मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241294
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलमोहन निषाद
2. पिता/पति : रामप्रसाद निषाद
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 241295
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सहदेव प्रसाद पनागर
2. पिता/पति : रामप्रसाद पनागर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241296
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुनेश्वर प्रसाद साहू
2. पिता/पति : रामप्रसाद साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 241297
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता सोरी
2. पिता/पति : रामप्रसाद सोरी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 241298
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रितु उपाध्याय
2. पिता/पति : रामप्रसाद उपाध्याय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 241299
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजीव कुमार नेताम
2. पिता/पति : रामप्रसाद नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 241300
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गणेश सिंह

2. पिता/पति : रामप्रताप सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241301

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार साहू
2. पिता/पति : रामप्रताप साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241302
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्योति शर्मा

2. पिता/पति : रामप्रेवेश

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241303

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गजेन्द्र कुमार राठौर
2. पिता/पति : रामराज राठौर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241304
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नारायण प्रसाद बारीक
2. पिता/पति : रामरतन बारीक
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241305
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेन्द्र सिंह राठिया
2. पिता/पति : रामरतन सिंह राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 241306
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तृप्ति कोसरिया
2. पिता/पति : रामाधार कोसरिया
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241307
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेश सिंह

2. पिता/पति : रामाधार सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241308

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमंत पैगोर

2. पिता/पति : रामाधार पैगोर

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241309

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमलेश कुमार सिंह
2. पिता/पति : रामायण सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241310
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपनारायण सिदार
2. पिता/पति : रामायण सिंह सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241311
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेणुका कश्यप
2. पिता/पति : रामशंकर कश्यप
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241312
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अम्बादास

2. पिता/पति : रामशंकर दास

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241313

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शुद्धराम कौल
2. पिता/पति : रामशरण कौल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्झा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241314
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सतीश कुमार सिंह

2. पिता/पति : रामशरण सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241315

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास
2. पिता/पति : रामशरण श्रीवास
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241316
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोमती देवी सोनवानी
2. पिता/पति : रामशरण सोनवानी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241317
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार सिंह
2. पिता/पति : रामाशंकर सिंह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 241318
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश उपाध्याय
2. पिता/पति : रामाशंकर उपाध्याय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241319
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अविनाश मड़ी
2. पिता/पति : रामास्वामी मड़ी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर 241320

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश कुमार मडी
2. पिता/पति : रामास्वामी मडी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर : 241321
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पदमिनी पड़िहारी
2. पिता/पति : रामावतार पटनायक
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241322
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुनित सुरसिज लकड़ा
2. पिता/पति : रामावतार राम खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 241323
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवकुमार साहू
2. पिता/पति : रामावतार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 241324
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हिरेन्द्र कुमार तिवारी
2. पिता/पति : रामानुज तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241325
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हुकुम प्रसाद शर्मा
2. पिता/पति : रामसहाय शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241326
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कु. प्रियंका

2. पिता/पति : रामसाय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241327

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गुलाब सिंह

2. पिता/पति : रामसाय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241328

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार

2. पिता/पति : रामसाय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241329

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मेघनाथ बरिहा

2. पिता/पति : रामसाय बरिहा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241330

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भागत राम बैरागी
2. पिता/पति : रामसाय राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 241331
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतराम गोटे

2. पिता/पति : रामसाय गोटे

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241332

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुसमी चंद्र सनमानी
2. पिता/पति : रामसागर पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 241333
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जन्त्री मंडावी
2. पिता/पति : रामस्वरूप मंडावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241334
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धीरत कुमार पाण्डेय
2. पिता/पति : रामसुख पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241335
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्रवण कुमार पाण्डे
2. पिता/पति : रामसुरेश पाण्डे
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241336
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार साहू
2. पिता/पति : रामसुद्धीन साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 241337
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोपाल प्रसाद सोनी
2. पिता/पति : रामसुन्दर प्रसाद सोनी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241338
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पप्पू कुमार सोनी
2. पिता/पति : रामसेवक प्रसाद सोनी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 241339
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रफुल कुमार आनेश्वरी
2. पिता/पति : रामसेवक आनेश्वरी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 241340
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नागेश सिंह सिदार
2. पिता/पति : रामदयाल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 241341
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : असमन लाल खोब्रागढ़े
2. पिता/पति : रामदयाल
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241342
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार धुर्वे
2. पिता/पति : रामदयाल धुर्वे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241343
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेश कुमार मण्डावी
2. पिता/पति : रामदयाल मण्डावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 241344
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार

2. पिता/पति : रामदयाल सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241345

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गजेन्द्र कुमार वट्टी
2. पिता/पति : रामदयाल वट्टी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241346
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जयनारायण नेताम
2. पिता/पति : रामदयाल नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241347
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भवानी शंकर दास
2. पिता/पति : रामदास
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 241348
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार कश्यप
2. पिता/पति : रामदास कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 241349
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शत्रुघन कुर्रे
2. पिता/पति : रामदास कुर्रे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241350
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजीता टोप्पो

2. पिता/पति : रामदास टोप्पो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241351

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार

2. पिता/पति : रामदुलार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241352

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार भगत
2. पिता/पति : रामदेव भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241353
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र कुमार भगत
2. पिता/पति : रामदेव भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241354
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमलेश कुमार जायसवाल
2. पिता/पति : रामवृक्ष जायसवाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241355
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेश सिंह भदौरिया
2. पिता/पति : रामवीर सिंह भदौरिया
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241356
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बैशाखूराम मरकाम
2. पिता/पति : रामचंद मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241357
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश कुमार पनागर
2. पिता/पति : रामचंद पनागर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241358
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शशि सिंह

2. पिता/पति : रामचरण सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241359

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेश कुमार नाग
2. पिता/पति : रामचरण नाग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241360
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेशमा कुजूर

2. पिता/पति : रामचन्द्र कुजूर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241361

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमन्त कुमार त्रिवेदी
2. पिता/पति : रामचन्द्र त्रिवेदी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241362
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भानुप्रताप साय

2. पिता/पति : रामचन्द्र साय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241363

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुवन सिंह ध्रुव

2. पिता/पति : रामफल ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241364

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लाल जी साहू

2. पिता/पति : रामफल साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241365

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संगीता
2. पिता/पति : रामफलेन्द्र खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 241366
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : परमेश्वर प्रसाद मिरी
2. पिता/पति : रामेदास मिरी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241367
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शशिकांत सिंह

2. पिता/पति : रामेश्वर सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241368

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश कुमार साहू
2. पिता/पति : रामेश्वर सिंह साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर : 241369
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तपेश कुमार जैन
2. पिता/पति : रामेश्वर सिंह जैन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241370
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नितेश कुमार खण्डेलवाल
2. पिता/पति : रामेश्वर प्रसाद खण्डेलवाल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241371
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सत्यवान पाठक
2. पिता/पति : रामेश्वर प्रसाद पाठक
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241372
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनीता कुजूर
2. पिता/पति : रामेश्वर प्रसाद पाटले
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241373
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रकाश कुमार साहू
2. पिता/पति : रामेश्वर प्रसाद साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 241374
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शम्भूप्रसाद गुप्ता
2. पिता/पति : रामेश्वर प्रसाद गुप्ता
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241375
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धीरेन्द्र कुमार उमरलिया
2. पिता/पति : रामेश्वर राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 241376
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जयप्रकाश जैन

2. पिता/पति : रामेश्वर जैन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 241377

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीना भैना
2. पिता/पति : रामज भैना
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241378

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार

2. पिता/पति : रामजीराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241379

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रभान जायसवाल
2. पिता/पति : रामजीवन जायसवाल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241380
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष कुमार सिंह
2. पिता/पति : रामजीत सिंह
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241381
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देव कुमार

2. पिता/पति : रामजन्म

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241382

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संध्या दुबे
2. पिता/पति : रामनरेश दुबे
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241383

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनोद सिंह

2. पिता/पति : रामनाथ सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241384

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार

2. पिता/पति : रामनाथ राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241385

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रदीप कुमार सोनी
2. पिता/पति : रामनाथ सोनी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 241386
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल कुमार दुग्गा
2. पिता/पति : रामनाथ दुग्गा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241387
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुर्गा कुशवाहा
2. पिता/पति : रामनारायण कुशवाहा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241388
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविनारायण राठिया
2. पिता/पति : रामनारायण राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 241389
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृष्णा कुमार
2. पिता/पति : रामनारायण चतुर्वेदी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241390
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नन्दकुमार ओसारे
2. पिता/पति : रामनारायण ओसारे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241391
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजीत कुमार यादव
2. पिता/पति : रामनगीना यादव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241392
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्रवण कुमार

2. पिता/पति : रामऔताम साव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241393

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र ताम्रकार
2. पिता/पति : रामऔतार ताम्रकार
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 241394
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अशोक कश्यप

2. पिता/पति : रामअवतार

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 241395

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बरेलाल सिंह

2. पिता/पति : रामअवतार सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241396

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार पाण्डेय
2. पिता/पति : रामलखन पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241397
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वासदेव
2. पिता/पति : रामलाल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241398

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आस्था ध्रुव

2. पिता/पति : रामलाल ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 241399

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरोजलता
2. पिता/पति : रामलाल बरेठ
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241400
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोविन्द कुमार बड़ा
2. पिता/पति : रामलाल बड़ा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 241401
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मदन कुमार मिंज
2. पिता/पति : रामलाल मिंज
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 241402
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विमल सिंह
2. पिता/पति : रामलाल सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241403
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नलिन तिवारी
2. पिता/पति : रामलाल तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241404
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोमेश्वर हुपेण्डी

2. पिता/पति : रामलाल हुपेण्डी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 241405

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमंत कुजूर

2. पिता/पति : रामलाल प्रसाद

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241406

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कौशलेन्द्र कुमार राज
2. पिता/पति : रामलाल राज
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241407
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार साहू
2. पिता/पति : रामलाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241408
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजकुमार उइके
2. पिता/पति : रामलाल उइके
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241409
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मण राव

2. पिता/पति : रामलू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 241410

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र कुमार वर्मन
2. पिता/पति : राधिका प्रसाद वर्मन
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241411
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओमप्रकाश चंदेल
2. पिता/पति : राहिदास चंदेल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 241412
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोपेश्वर प्रसाद

2. पिता/पति : राजिम सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 241413

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्वेता राठौर
2. पिता/पति : राहुल राठौर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241414

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इन्द्राणी नेताम

2. पिता/पति : राहुल नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 241415

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तारणी देशमुख
2. पिता/पति : राहूल शुकतेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 241416
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार साहू
2. पिता/पति : रोमनाथ साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर : 241417
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चैतन्य कुमार नेताम
2. पिता/पति : रोहित कुमार नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 241418
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनिका चन्द्राकर
2. पिता/पति : रोहित चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241419
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गजेन्द्र कुमार नायक
2. पिता/पति : रोहित नायक
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241420
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुरुषोत्तम कुमार बिसेन
2. पिता/पति : रोहितास कुमार बिसेन
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर 241421
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मदनराम भगत
2. पिता/पति : रोगहा राम भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 241422
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रियंका अहिरवार
2. पिता/पति : राजबहादुर अहिरवार
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 241423
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरिता वस्त्रकार

2. पिता/पति : राजकुमार

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241424

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुशीला टोप्पो
2. पिता/पति : राजकुमार खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 241425
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नमिता ठाकुर
2. पिता/पति : राजकुमार ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241426
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनीता कंवर

2. पिता/पति : राजकुमार कंवर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 241427

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मृदुला राठौर
2. पिता/पति : राजकुमार राठौर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241428
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार साहू
2. पिता/पति : राजकुमार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241429
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीप्ति देशमुख
2. पिता/पति : राजकुमार देशमुख
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर : 241430
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भारती देवांगन
2. पिता/पति : राजकुमार देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 241431
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पंकज कुमार कच्छप
2. पिता/पति : राजमणी राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 241432
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार ठाकुर
2. पिता/पति : राजीव कुमार ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 241433
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पलता राठिया

2. पिता/पति : राजराम राठिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241434

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यशवंत कुमार कंवर
2. पिता/पति : राजाराम कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241435
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सहोद्रा सिरसो
2. पिता/पति : राजाराम सिरसो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241436
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरुण साहू

2. पिता/पति : राजाराम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241437

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भानुप्रताप सिंह गमेल
2. पिता/पति : राजाराम गमेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर : 241438
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंकित शर्मा

2. पिता/पति : राजुमार शर्मा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241439

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : युगांत सिंह क्षत्री
2. पिता/पति : राजेश सिंह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241440
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपाली भट्टाचार्य
2. पिता/पति : राजेश भट्टाचार्य
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर : 241441
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरिका सोन

2. पिता/पति : राजेश सोनी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241442

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंकित गुप्ता

2. पिता/पति : राजेश गुप्ता

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241443

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेणु पन्ना

2. पिता/पति : राजेश्वर पन्ना

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 241444

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अलका मण्डावी
2. पिता/पति : राजेन्द्र कुमार मण्डावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 241445
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राम गोविंद सिंह कुशवाहा
2. पिता/पति : राजेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241446
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रांजल स्वर्णकार
2. पिता/पति : राजेन्द्र कुमार स्वर्णकार
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 241447
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मधुलिका तिकी

2. पिता/पति : राजेन्द्र तिकी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241448

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशुतोष पाण्डेय
2. पिता/पति : राजेन्द्र पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241449
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नर्मदा शर्मा
2. पिता/पति : राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241450
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निथलेश सोनी
2. पिता/पति : राजेन्द्र प्रसाद सोनी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241451
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविन्द्र कुमार स्वर्णकार
2. पिता/पति : राजेन्द्र प्रसाद स्वर्णकार
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241452
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजीता गुप्ता

2. पिता/पति : राजेन्द्र गुप्ता

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241453

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशुतोष कुमार

2. पिता/पति : राजेन्द्र लाल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241454

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास कुमार पटेल
2. पिता/पति : राजन प्रसाद
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 241455
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुशील कुमार

2. पिता/पति : राजनाथ

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241456

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास कुमार साहू
2. पिता/पति : राजनारायण साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241457
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गनेश राम ध्रुव

2. पिता/पति : राजूराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241458

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : घनश्याम रावटे
2. पिता/पति : श्रवण कुमार रावटे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241459
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लेखनी कंवर
2. पिता/पति : श्रवण सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241460
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनवर विपिन टोप्पो
2. पिता/पति : रफाएल टोप्पो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 241461
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामेश्वर प्रकाश जगत
2. पिता/पति : रतीराम जगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 241462
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र प्रसाद साहू
2. पिता/पति : रतीलाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241463
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धृपाल सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : रतन सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241464
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार अग्रवाल
2. पिता/पति : रतन लाल अग्रवाल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 241465
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजूलता मिरी
2. पिता/पति : रतनदास मिरी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241466
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूनम झा

2. पिता/पति : रत्नेश झा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241467

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गणेश कुमार दीवान
2. पिता/पति : रेखराम दीवान
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 241468
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरस्वती मरावी
2. पिता/पति : रैंपाल सिंह मरावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241469
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष कुमार चन्द्राकर
2. पिता/पति : रेवाराम चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241470
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक मरकाम

2. पिता/पति : रैनू राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 241471

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तुलेश राम कोमर्रा
2. पिता/पति : रजऊराम कोमर्रा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 241472
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोविन्द नारायण कुरुम
2. पिता/पति : रज्जन राम सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241473
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशा सोनपाकर

2. पिता/पति : रनसाय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241474

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : त्रिवेन्द्र कुमार वर्मा
2. पिता/पति : शत्रहन लाल वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर : 241475
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वीरेन्द्र सिंह बरिहा
2. पिता/पति : शत्रुघन सिंह बरिहा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241476
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुर्गा भण्डारी
2. पिता/पति : शत्रुघन भण्डारी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 241477
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुंजबिहारी यदु
2. पिता/पति : शत्रुघन लाल यादु
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241478
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिग्विजय सिंह पैकरा
2. पिता/पति : शत्रुहन पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241479
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामनरेश बैष्णव
2. पिता/पति : शत्रुहन दास बैष्णव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर : 241480
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुपेन्द्र कुमार सिन्हा
2. पिता/पति : शत्रुहन लाल सिन्हा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर : 241481
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोमेश कुमार नागेश
2. पिता/पति : शंकर सिंह नागेश
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241482
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रदीप कुमार यादव
2. पिता/पति : शंकर प्रसाद यादव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 241483
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेखा सिन्हा
2. पिता/पति : शंकर राम सिन्हा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 241484
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जनार्दन मंडल
2. पिता/पति : शंकर चंद्र मंडल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गौरेला-पेन्झा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241485
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार गुरला
2. पिता/पति : शंकर गुरला
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर : 241486
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोहन कुमार कौशिक
2. पिता/पति : शंकर लाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241487
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : परमेश्वर सिंह
2. पिता/पति : शंकर लाल सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241488
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निधि जायसवाल
2. पिता/पति : शंकरदयाल जायसवाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241489
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुधीर कुमार वासनीकर
2. पिता/पति : शंकरलाल वासनीकर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241490
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रभाकर कुमार
2. पिता/पति : शंभूनाथ
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर : 241491
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिषेक गुप्ता
2. पिता/पति : शम्भू प्रसाद गुप्ता
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 241492
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुप कुमार गुप्ता
2. पिता/पति : शम्भू प्रसाद गुप्ता
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241493
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र कुमार

2. पिता/पति : शीतल राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241494

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमन भोंसले

2. पिता/पति : शीलनिधी भोंसले

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 241495

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तुलसीराम वर्मन
2. पिता/पति : शांतुराम वर्मन
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241496
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार देवांगन
2. पिता/पति : शारद राम देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241497
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमिता श्रीवास्तव
2. पिता/पति : शौर्य श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 241498
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भागीरथी राणा
2. पिता/पति : शौकीलाल राणा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241499
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वतन धुर्वे
2. पिता/पति : शोभित सिंह धुर्वे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 241500
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : प्रो.जे.एन. पाण्डेय शा.बहु.उ.मा.वि. रायपुर, नलघर चौक, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपेश बारला

2. पिता/पति : शोभ सिंह बारला

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकर

5. रोल नम्बर 241501

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिता कुजूर

2. पिता/पति : शोभा कुजूर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241502

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार कुम्भरानी

2. पिता/पति : शोभा राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241503

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : फणीभूषण सिंह बांधे
2. पिता/पति : शोभासिंह बांधे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241504
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रकाश साहू
2. पिता/पति : शोभनाथ साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 241505

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप निवारी

2. पिता/पति : शोलाराम तिवारी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241506

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विरेन्द्र लकड़ा
2. पिता/पति : ज्ञान प्रकाश लकड़ा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 241507
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भूपेन्द्र कुमार कान्डे

2. पिता/पति : ज्ञान दास कान्डे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241508

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रहलाद कुमार सोनी

2. पिता/पति : ज्ञानचंद सोनी

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241509

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार गवेल
2. पिता/पति : शान्तीलाल गवे
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर : 241510
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनायक धर दीवान

2. पिता/पति : शेष धर दीवान

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 241511

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सचिदानंद साहू

2. पिता/पति : शेषदेव साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241512

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शेख अनवर

2. पिता/पति : शेख बादल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241513

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पालेश्वर सिंह ठाकुर

2. पिता/पति : शेर सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241514

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रकांता यादव

2. पिता/पति : शैलेन्द्र यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241515

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपमाला पटवा
2. पिता/पति : शैलेन्द्र कुमार पटवा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 241516
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेखा मानिकपुरी
2. पिता/पति : शैलेन्द्र दास मानिकपुरी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241517
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रैतूराम नाग

2. पिता/पति : शनीचर नाग

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241518

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बसंती धृतलहरे
2. पिता/पति : सत्रुघन लाल धृतलहरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241519
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संगीता साहू
2. पिता/पति : संदीप कुमार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 241520
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रजबी मरकाम

2. पिता/पति : संदीप मरकाम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241521

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मधुरिमा दुबे
2. पिता/पति : संदीप तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241522

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवमोती सिदार
2. पिता/पति : संदेश कुमार सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241523
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल कुमार

2. पिता/पति : संतराम कोरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241524

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार राठिया

2. पिता/पति : संतराम राठिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241525

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उत्तरा देवांगन
2. पिता/पति : संतराम देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241526

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरिता डनेसेना

2. पिता/पति : संतोष कुमार

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241527

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : संतोष कुमार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर : 241528
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गायत्री श्याम
2. पिता/पति : संतोष कुमार श्याम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241529
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अवधेश कुमार बरगाह
2. पिता/पति : संतोष कुमार बरगाह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241530
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शोमप्रभा पाटनवार
2. पिता/पति : संतोष कुमार पाटनवार
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241531
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमलता पटेल
2. पिता/पति : संतोष कुमार पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 241532
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेन्द्र कुमार साहू

2. पिता/पति : संतोष कुमार साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 241533

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिषेक कुमार सोनी

2. पिता/पति : संतोष कुमार सोनी

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 241534

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तामेश्वर कुमार देवांगन

2. पिता/पति : संतोष कुमार देवांगन

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241535

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सनद कुमार विश्वास

2. पिता/पति : संतोष विश्वास

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241536

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिमेष श्रीवास्तव
2. पिता/पति : संतोष श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241537
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विमला साहू

2. पिता/पति : संतोष साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 241538

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रश्मि उपाध्याय

2. पिता/पति : संतोष उपाध्याय

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 241539

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोहित देवांगन

2. पिता/पति : संतोष देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241540

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूनम गुप्ता

2. पिता/पति : संतोष गुप्ता

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241541

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डोगेश कुमार वर्मा
2. पिता/पति : संतूकुमार वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर : 241542
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बिरुझू राम कवाची

2. पिता/पति : संतूराम कवाची

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 241543

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वंदना
2. पिता/पति : संतलाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241544
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लेविन कुमार पटेल

2. पिता/पति : संतलाल पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241545

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रिया बरेठ
2. पिता/पति : संजय बरेठ
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 241546

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अर्चना लता बन्दे
2. पिता/पति : संजय कुमार
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241547
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तारामनी मरकाम
2. पिता/पति : संजय कुमार मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241548
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार डहरिया
2. पिता/पति : संजय कुमार डहरिया
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241549
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिता मंडावी

2. पिता/पति : संजय मंडावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 241550

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शारदा राठौर

2. पिता/पति : संजय राठौर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241551

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : साधना सण्ड्वा

2. पिता/पति : संजय सण्ड्वा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 241552

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रियंका सोनी

2. पिता/पति : संजय सोनी

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 241553

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निधि गुप्ता

2. पिता/पति : संजय गुप्ता

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241554

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तृप्ति वाजपेयी
2. पिता/पति : संजीव वाजपेयी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241555

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुभम बघेल

2. पिता/पति : संजीत बघेल

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241556

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उधव कुमार बरिहा

2. पिता/पति : सकीर्तन बरिहा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241557

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनोद कुमार मेश्राम

2. पिता/पति : समलियाराम मेश्राम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241558

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेणुका नागेश
2. पिता/पति : सम्पतसिंह नागेश
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241559
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित कुमार सिंह
2. पिता/पति : समरथ सिंह श्याम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 241560
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार पात्रे
2. पिता/पति : समारु राम पात्रे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241561
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरस्वती गजेन्द्र
2. पिता/पति : समारु राम गजेन्द्र
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241562
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेमसिंह जायसवाल
2. पिता/पति : समारु जायसवाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 241563
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यामिनी नेताम

2. पिता/पति : समारुराम नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकर

5. रोल नम्बर 241564

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमल कुमार

2. पिता/पति : समार सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241565

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूनम साय

2. पिता/पति : समुद्र साय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241566

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमल राय ठाकुर
2. पिता/पति : समता राम ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241567
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश कुमार साहू
2. पिता/पति : समेंलाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241568
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हामीदरजा

2. पिता/पति : समेरसूल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241569

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमलेश चंदेल
2. पिता/पति : सहायक लाल चंदेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241570
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिशंकर सिदार

2. पिता/पति : सहसत्ता

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 241571

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सनत कुमार मण्डावी
2. पिता/पति : सहदेव मण्डावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241572
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बबीता निकुंज

2. पिता/पति : सहदेव निकुंज

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241573

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंगलेश्वर राम

2. पिता/पति : सहदेव राम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241574

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डोमन प्रकाश बंजारे

2. पिता/पति : सहदेव राम बंजारे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 241575

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रेमलाल साहू
2. पिता/पति : सहेत्तर लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241576
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जुगलकिशोर साहू
2. पिता/पति : सी.एस. साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 241577
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रतापराम पैकरा

2. पिता/पति : सीमाराम पैकरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241578

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रशांत देवांगन

2. पिता/पति : सीताराम

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241579

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रभात कुमार खरे
2. पिता/पति : सीताराम खरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241580
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश ठाकुर
2. पिता/पति : सीताराम ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 241581

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र कुमार बंजारे

2. पिता/पति : सीताराम बंजारे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241582

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नितुन कुमार मिरी

2. पिता/पति : सीताराम मिरी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241583

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजकुमार राठिया
2. पिता/पति : सीताराम राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241584
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अश्वनी साहू
2. पिता/पति : सीताराम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241585

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमंत कुमार चंद्रवंशी

2. पिता/पति : सी.आर. चंद्रवंशी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 241586

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धुनेश्वर शोरी

2. पिता/पति : सरकार सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241587

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तरन्नुम खान
2. पिता/पति : सरदार सब्बीर खान
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241588
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अविनश कुमार यादव

2. पिता/पति : सरेन्द्र कुमार यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 241589

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उपेन्द्र मरावी

2. पिता/पति : सरजू सिंह मरावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241590

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिता यादव

2. पिता/पति : सरजू प्रसाद यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241591

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश्वरी प्रधान

2. पिता/पति : सरजू राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241592

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जेठूराम नेताम

2. पिता/पति : सरजूरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 241593

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राहित कुमार सिन्हा

2. पिता/पति : सरजूराम सिन्हा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 241594

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नंद कुमार वर्मा

2. पिता/पति : सरजूराम वर्मा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241595

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : द्वारिका राम केरकेट्टा
2. पिता/पति : साधराम केरकेट्टा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241596
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद टंडन
2. पिता/पति : साधराम टंडन
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241597

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीना भारद्वाज

2. पिता/पति : साधु राम भारद्वाज

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241598

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बीना भगत

2. पिता/पति : साधू भगत

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241599

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शैलेन्द्र कुमार वैध
2. पिता/पति : साधूराम वैध
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : नारायणपुर
5. रोल नम्बर : 241600
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगिता सोहू

2. पिता/पति : साकेत साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241601

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रवीण तिकी
2. पिता/पति : सामुएल तिकी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 241602

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आलोक कुमार तिकी

2. पिता/पति : सामुएल तिकी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241603

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिमोन लाल
2. पिता/पति : सामुएल लाल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241604
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पवन साय

2. पिता/पति : सामलाल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241605

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पदुम लाल भगत
2. पिता/पति : सालिक राम भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241606
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय सिंह साहू
2. पिता/पति : सालिक राम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241607
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश यादव

2. पिता/पति : सालिकराम यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241608

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार शांडिल्य
2. पिता/पति : सालिकराम शांडिल्य
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 241609
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मधुबाला भोंतेकर
2. पिता/पति : साहगुलाल भोंतेकर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241610
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशा महापात्र

2. पिता/पति : सारंगधर महापात्र

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241611

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनसिंह कोमरे
2. पिता/पति : सावंतराम कोमरे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241612
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चतुर सिंह नंदेश्वर
2. पिता/पति : सावजी नंदेश्वर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241613
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोरमा दीवान
2. पिता/पति : सावन कुमार दीवान
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241614
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुकदेव नेताम
2. पिता/पति : सोमीराम नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241615

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भानुप्रताप देव

2. पिता/पति : सोमा चिड़ियम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 241616

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिषेक कुजूर

2. पिता/पति : सोमन सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241617

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमरजी भगत

2. पिता/पति : सोमनाथ भगत

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241618

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तरुण चंद्राकर
2. पिता/पति : सोमनाथ चंद्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241619
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गुलशन यदु
2. पिता/पति : सोमनलाल यदु
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 241620

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुरुषोत्तम पटेल
2. पिता/पति : सोहन पटेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 241621
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष कुमार सिंह
2. पिता/पति : सोहन राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241622

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोडी जोगा

2. पिता/पति : सोडी हडमा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 241623

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनेश कुमार जैन
2. पिता/पति : सोनधर राम जैन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241624
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दानी सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : सोनसिंह ठाकुर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241625
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रकांत साव

2. पिता/पति : सोनसिंह साव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 241626

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनेश्वर कौशिक

2. पिता/पति : सोनाधर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241627

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार जीराम

2. पिता/पति : सोनाधर जीराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 241628

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र सिंह बघेल

2. पिता/पति : सोनारु राम बघेल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241629

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार लहरे

2. पिता/पति : सोनाराम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 241630

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सनीत कुमार पिपरैया

2. पिता/पति : सोनूराम पिपरैया

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कांकर

5. रोल नम्बर 241631

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उषा बघेल

2. पिता/पति : सागर दास बघेल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241632

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्र कुमार ध्रुव

2. पिता/पति : सदाराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241633

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष राज

2. पिता/पति : सदाराम राज

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241634

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार साहू
2. पिता/पति : स्वरूप कुमार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241635
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पदमा ध्रुव

2. पिता/पति : स्वार्थ लाल ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241636

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमकुमार राय

2. पिता/पति : स्वतंत्र राय

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241637

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिखा झा
2. पिता/पति : सुधीर झा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : नारायणपुर
5. रोल नम्बर 241638

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरज वर्मा

2. पिता/पति : सुधीर कुमार वर्मा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241639

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गायत्री औचार

2. पिता/पति : सुधाकर राव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 241640

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलीप कुजूर

2. पिता/पति : सुधार कुजूर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241641

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवानन्द साय पैकरा
2. पिता/पति : सुधन साय
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 241642
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पीताम्बर कुमार शाहनी

2. पिता/पति : सुधूराम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241643

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सवित कुमार मरकाम
2. पिता/पति : सुखधर मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241644
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार कश्यप

2. पिता/पति : सुखीराम कश्यप

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 241645

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धर्मेन्द्र कुमार पटेल
2. पिता/पति : सुखीराम पटेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 241646
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृष्ण कुमार साहू
2. पिता/पति : सुखीराम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241647
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामनरेश टंडन

2. पिता/पति : सुखराम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 241648

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुहागा कस्तूरे
2. पिता/पति : सुखराम कस्तूरे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241649

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : त्रिभुवन सिंह

2. पिता/पति : सुखराम सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241650

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवकुमार देवांगन
2. पिता/पति : सुखारी लाल देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 241651
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भगत सिंह
2. पिता/पति : सुखसाय सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 241652

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जहर साय नाग

2. पिता/पति : सुखसाय नाग

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241653

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमरेश कुमार पाण्डेय
2. पिता/पति : सुखसागर राम पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 241654
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मलमेत राम

2. पिता/पति : सुखदेव राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241655

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : सुखदेव राम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 241656
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धर्मेन्द्र कुमार पौसार्थ
2. पिता/पति : सुखदेव राम पौसार्थ
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241657
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भूपेन्द्र कुमार देवांगन

2. पिता/पति : सुखनाथ देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241658

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चारुलता हरिवंशी
2. पिता/पति : सुखलाल राम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 241659
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋषि कुमार यादव
2. पिता/पति : सुंदर लाल यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241660
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश कुमार सारथी

2. पिता/पति : सुकरु राम सारथी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241661

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुशीला ध्रुव

2. पिता/पति : सुकमन ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : नारायणपुर

5. रोल नम्बर 241662

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रभा बघेल
2. पिता/पति : सुकमन बघेल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241663

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीना कश्यप

2. पिता/पति : सुकसाय कश्यप

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241664

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरहरी कश्यप
2. पिता/पति : सुकुराम कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241665

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजमणि सिंह

2. पिता/पति : सुकुल सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241666

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : घनश्याम कश्यप

2. पिता/पति : सुकूराम कश्यप

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241667

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार भगत
2. पिता/पति : सुकलाल भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241668
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनेश जैन
2. पिता/पति : सुकलाल जैन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कांकर
5. रोल नम्बर 241669

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मण मरकाम
2. पिता/पति : सुकलूराम मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सुकमा
5. रोल नम्बर 241670
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बिमला सलाम

2. पिता/पति : सुकलूराम सलाम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 241671

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नवीन कुमार साहू
2. पिता/पति : सुमंत सिंह
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241672
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र सिंह कंवर
2. पिता/पति : सुमरन सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241673
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लखनलाल शोरी
2. पिता/पति : सुमेर सिंह शोरी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241674
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश कुमार नेताम
2. पिता/पति : सुमेर सिंह नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241675
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रफुल्ल कुमार बघेल

2. पिता/पति : सुमेश राम बघेल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकर

5. रोल नम्बर 241676

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुनेश्वरी पोया
2. पिता/पति : सुमनलाल पोया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241677
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रजनीश गुरु

2. पिता/पति : सुमित लाल गुरु

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 241678

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रुचि मूले
2. पिता/पति : सुहाष मूले
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 241679

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तरुण कुमार खलखो

2. पिता/पति : सुभाष खलखो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241680

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश्वर प्रसाद साहू
2. पिता/पति : सुपेतराम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241681
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मकरध्यवज सिदार
2. पिता/पति : सुरीतराम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241682
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनीता बड़ा

2. पिता/पति : सुरेश बड़ा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241683

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्वेता शर्मा
2. पिता/पति : सुरेश कुमार शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241684
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता दुबे

2. पिता/पति : सुरेश कुमार दुबे

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241685

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवकुमार
2. पिता/पति : सुरेन्द्र कुमार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241686

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रितु भोयर
2. पिता/पति : सुरेन्द्र कुमार भोयर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241687
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : करुणा पटेल
2. पिता/पति : सुरेन्द्र कुमार पटेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241688
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : माधुरी नाग
2. पिता/पति : सुरेन्द्र कुमार नाग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241689
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय सिंह
2. पिता/पति : सुरेन्द्र सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241690
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चित्ररेखा वैस

2. पिता/पति : सुरेन्द्र सिंह वैस

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241691

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरज सिंह चंदेल
2. पिता/पति : सुरेन्द्र सिंह चंदेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241692
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उपेन्द्र कुमार तिवारी
2. पिता/पति : सुरेन्द्र प्रसाद तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गौरेला-पेन्झा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241693

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रदीप कुर चन्द्राकार

2. पिता/पति : सुरेन्द्र चन्द्राकर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241694

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमन चंद्रवंशी
2. पिता/पति : सुरजू राम चंद्रवंशी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241695
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित कुमार गेन्दले
2. पिता/पति : सुशील कुमार
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241696
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिपांकर विश्वास
2. पिता/पति : सुशील विश्वास
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241697
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित कुमार निर्मलकर

2. पिता/पति : सुशील निर्मलकर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241698

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सविता मिंज

2. पिता/पति : सुशील राम मिंज

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241699

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीनदयाल चतुर्वेदी
2. पिता/पति : सुदामा प्रसाद चतुर्वेदी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241700
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कैसिया दुबे

2. पिता/पति : सुदामा दुबे

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कांकर

5. रोल नम्बर 241701

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवरत्न यदु

2. पिता/पति : सुदामा लाल यदु

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241702

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश कुमार यादव

2. पिता/पति : सुदर्शनलाल यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241703

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पदमावती खंडालकर
2. पिता/पति : सुनील खंडालकर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241704
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शुभम शर्मा
2. पिता/पति : सुनील कुमार शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241705
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिश चन्द्र नेताम
2. पिता/पति : सुनील कुमार नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241706
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कल्याणी सिदार

2. पिता/पति : सुनील सिदार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 241707

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष कुमार श्रीवास्तव

2. पिता/पति : सुनील श्रीवास्तव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241708

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बालकृष्ण पटेल
2. पिता/पति : सुनाऊराम पटेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241709

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश कुमार पैकरा

2. पिता/पति : सुन्दर सिंह पैकरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 241710

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धरमीन कुर्रे

2. पिता/पति : सुन्दर लाल पाटले

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241711

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रेमलाल साहू
2. पिता/पति : सुन्दर लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 241712
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमराज राम यादव
2. पिता/पति : सुन्दरोराम यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 241713
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनहरण लाल यादव
2. पिता/पति : सुन्दरलाल यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241714
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुधीर तिकी
2. पिता/पति : सुलेमान तिकी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 241715

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रीति सिंह

2. पिता/पति : सत्यव्रत सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241716

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजूषा सूर्यवंशी
2. पिता/पति : सत्यप्रकाश सूर्यवंशी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241717
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संगीता परगनिहा
2. पिता/पति : सत्यार्थ परगनिहा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर : 241718
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोनू प्रसाद तोमर
2. पिता/पति : सत्यनारायण तोमर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241719
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजीत अग्रवाल
2. पिता/पति : सत्यनारायण अग्रवाल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241720
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निर्मला राठिया
2. पिता/पति : सतीश कुमार राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241721
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शशांक त्रिपाठी

2. पिता/पति : सतीश त्रिपाठी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241722

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रिया द्विवेदी
2. पिता/पति : सतीश पाठक
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241723

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरुण कुमार लकड़ा
2. पिता/पति : स्तेफन लकड़ा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 241724
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सैय्यद आसिफ अली
2. पिता/पति : सैय्यद अहमद अली
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241725
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नाईला अली
2. पिता/पति : सैयद मुश्ताक अली
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241726
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास एक्का
2. पिता/पति : सेमेबस्तर एक्का
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 241727

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता चन्द्रवंशी
2. पिता/पति : सेव कुमार चन्द्रवंशी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241728
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार निषाद

2. पिता/पति : सेवक राम निषाद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241729

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शीला अंचल
2. पिता/पति : सेवक राम अंचल
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241730
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सीताराम सिन्हा
2. पिता/पति : सेवकराम सिन्हा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 241731

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूरन सिंह सिदार
2. पिता/पति : सेतकुमार सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241732
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिलाष वर्मा

2. पिता/पति : सेतराम वर्मा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241733

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओंकार सिंह सोरी
2. पिता/पति : सैतुराम सोरी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 241734
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रभा एक्का

2. पिता/पति : सेलबेस्तर एक्का

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241735

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : सैलान सिंह ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241736
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुपा पैकरा

2. पिता/पति : सनमान सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241737

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामचंद साहू

2. पिता/पति : सनत कुमार

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241738

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार तिवारी
2. पिता/पति : सनत कुमार तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गौरेला-पेन्झा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241739

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सूरज दुबे

2. पिता/पति : सनत कुमार दुबे

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241740

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : युधिष्ठिर पटेल
2. पिता/पति : सनतकुमार पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर : 241741
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दशवन्ती मेरावी

2. पिता/पति : सन्तसिंह मेरावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241742

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विमल कुमार मण्डावी
2. पिता/पति : सन्तुराम मण्डावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 241743
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवराम पैकरा

2. पिता/पति : सन्तुराम पैकरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241744

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रणय कुमार रामटेके

2. पिता/पति : सूर्यकान्त रामटेके

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 241745

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : स्वदेश गुप्ता
2. पिता/पति : सूर्यकान्त गुप्ता
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241746

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमन्त कुमार चन्द्राकर
2. पिता/पति : सूर्यभान चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 241747
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गिरजाशंकर पटेल
2. पिता/पति : सूबेलाल पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241748
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृष्ण कुमार यादव

2. पिता/पति : सूरज यादव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241749

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अशोक कुमार भारद्वाज
2. पिता/पति : सूरज कुमार भारद्वाज
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241750
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजीव कुमार पटेल

2. पिता/पति : सूरज चंद्र पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241751

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सतेन्द्र कुमार
2. पिता/पति : सूरज लाल
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241752
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अश्वनी कुमार सूर्यवंशी

2. पिता/पति : सूरजप्रसाद सूर्यवंशी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241753

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुप कुमार बघेल
2. पिता/पति : सूरजराम बघेल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241754
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : किरण बघेल
2. पिता/पति : सूरजराम बघेल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241755

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रत्तेसिंह कुंजाम
2. पिता/पति : सगरूराम कुंजाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : दन्तेवाड़ा
5. रोल नम्बर 241756
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिशंकर ठाकुर

2. पिता/पति : सगूराम ठाकुर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकर

5. रोल नम्बर 241757

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कंचन धीवर

2. पिता/पति : उधोप्रसाद धीवर

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241758

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुंदरलाल धृतलहरे
2. पिता/पति : उबारन दास धृतलहरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर : 241759
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इन्द्र कुमार धुर्वे

2. पिता/पति : डमरू सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241760

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिश कुमार पात्र
2. पिता/पति : डमरू राम पात्र
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : नारायणपुर
5. रोल नम्बर 241761
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शबनम भगत
2. पिता/पति : डमरूधर भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 241762

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कविता कुमारी

2. पिता/पति : उमाशंकर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241763

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिषेक विश्वाल
2. पिता/पति : उमाशंकर विश्वाल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241764
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रशांत जायसवाल
2. पिता/पति : उमाशंकर जायसवाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241765
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रीति गुप्ता
2. पिता/पति : उमाशंकर गुप्ता
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 241766

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रयास बाकरे

2. पिता/पति : उमाजीराव बाकरे

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241767

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जोगेश्वर सिंह कंवर
2. पिता/पति : उमैद सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 241768
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उत्तरा वर्मा

2. पिता/पति : उमेंदी वर्मा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 241769

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : उमेराम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241770
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निमेश कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : उमेराम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर : 241771
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रशांत धुर्वे
2. पिता/पति : उमेश धुर्वे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241772
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बीना मानेकर

2. पिता/पति : उमेश कुमार

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241773

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : झरना कौशिक
2. पिता/पति : उमेश कुमार कौशिक
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 241774
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनयना सिंह

2. पिता/पति : उमेश्वर सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241775

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार देशमुख

2. पिता/पति : डी.एस. देशमुख

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 241776

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार पाण्डे

2. पिता/पति : डी.एन. पाण्डे

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241777

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सिद्धार्थ तुरकर

2. पिता/पति : डी.एल. तुरकर

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241778

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विशाखा डोंगरे

2. पिता/पति : डी.के. डोंगरे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 241779

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भूपेन्द्र नवरंग

2. पिता/पति : डी.के. नवरंग

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 241780

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजू तिवारी
2. पिता/पति : डी.पी. तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241781

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राधिका उर्वशा

2. पिता/पति : डी.पी. उर्वशा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241782

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार सोनी

2. पिता/पति : डी.सी. सोनी

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 241783

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सिरेंद्र ध्रुव

2. पिता/पति : डी.डी. ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241784

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मिनाक्षी साहू

2. पिता/पति : डी.आर. साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 241785

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश कुमार साहू

2. पिता/पति : डोमार सिंह साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241786

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरोज यादव

2. पिता/पति : डोलनारायण यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241787

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूनमचंद्र देहारी
2. पिता/पति : उसारु राम देहारी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241788
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अर्चना तिकी
2. पिता/पति : उसेण्ट नोवेल तिकी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 241789
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मूल चन्द पोर्ते
2. पिता/पति : उदय सिंह पोर्ते
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 241790
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तेजेन्द्र प्रकाश पटेल

2. पिता/पति : उदयराम पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241791

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डिलेश कुमार

2. पिता/पति : उदबल सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 241792

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार पटेल

2. पिता/पति : उदेराम पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 241793

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अवधेश कुमार टंडन

2. पिता/पति : उदेराम टंडन

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241794

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष कुमार वर्मा
2. पिता/पति : उत्तरा कुमार वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241795
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टिकेश्वर प्रसाद साहू
2. पिता/पति : डेरहाराम साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 241796
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमल किशोर तिवारी

2. पिता/पति : उज्जैन तिवारी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241797

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निर्मल कुमार तिवारी

2. पिता/पति : उज्जैन तिवारी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241798

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ललिता बरिहा

2. पिता/पति : उजल बरिहा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241799

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिनेश सिंह

2. पिता/पति : दयाराम सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241800

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिओम कुमार सिन्हा
2. पिता/पति : दयाराम सिन्हा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 241801
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भीकेश्वर गंगराले
2. पिता/पति : दयाराम गंगराले
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकर
5. रोल नम्बर 241802
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद मिश्रा

2. पिता/पति : दयाशंकर मिश्रा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 241803

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र कुमार मारकण्डे

2. पिता/पति : दयालूराम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241804

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विद्या बोरकर
2. पिता/पति : दक्षराज बोरकर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241805
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरज सिंह क्षत्री
2. पिता/पति : छत्रपाल सिंह क्षत्री
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241806
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार पाली
2. पिता/पति : छत्रपाल सिंह पाली
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241807
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कीर्ति राना
2. पिता/पति : छत्रसाय राना
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241808

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बेमर सिंह नाग
2. पिता/पति : दलियार सिंह नाग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर : 241809
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शकुंतला वर्मा

2. पिता/पति : दीपक वर्मा

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241810

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जय कुमार देवांगन

2. पिता/पति : दीपचंद देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 241811

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरस्वती गुप्ता
2. पिता/पति : दीपचंद गुप्ता
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241812
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिलाषा गर्ग

2. पिता/पति : दीप्तांशु महापाल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241813

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार प्रजापति

2. पिता/पति : दीरीना राम प्रजापति

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 241814

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पारूल ध्रुव
2. पिता/पति : दीनानाथ ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241815

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अशोक कुमार बंजारे
2. पिता/पति : दीनदयाल बंजारे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241816
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनोद कुमार दुबे
2. पिता/पति : दीनदयाल दुबे
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकर
5. रोल नम्बर : 241817
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : परसराम पटेल
2. पिता/पति : छीनूराम पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर : 241818
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बाबादीन मलिक
2. पिता/पति : दरबारीलाल मलिक
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241819
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवकुमार सलाम
2. पिता/पति : दशरू राम सलाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241820
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुकमती नेताम

2. पिता/पति : दाऊराम नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241821

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल तिकी
2. पिता/पति : दानिएल तिकी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 241822

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तपन कुमार मेश्राम
2. पिता/पति : दशरथ मेश्राम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241823
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : छबिलाल पटेल

2. पिता/पति : दशरथ पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241824

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उमाशंकर
2. पिता/पति : दशरथ प्रसाद
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 241825

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामजन्म दीवान

2. पिता/पति : दशरथ दीवान

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241826

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओमप्रकाश राठिया
2. पिता/पति : दशाराम राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241827
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तनुज नाग

2. पिता/पति : दशाराम नाग

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 241828

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूर्णिमा खैरवार
2. पिता/पति : छोटेलाल खैरवार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241829
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मण लाल बंजारे
2. पिता/पति : छोटेलाल बंजारे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241830
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चंचल कुमार शर्मा
2. पिता/पति : छोटेलाल शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर : 241831
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंकित कुमार स्वर्णकार
2. पिता/पति : छोटेलाल स्वर्णकार
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241832
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कौशल मंडावी
2. पिता/पति : दौलत सिंह मंडावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241833
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुन्दन सिंह राजपूत

2. पिता/पति : दौलत सिंह राजपूत

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 241834

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विरेन्द्र सिंह राजपूत

2. पिता/पति : दर्शन सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 241835

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्रीपाल बेक
2. पिता/पति : दसईराम बेक
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241836

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शुभम किशोर श्रीवास्तव
2. पिता/पति : छवीलचन्द्र लाल श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241837
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राधा कीमस

2. पिता/पति : दुरुगभान कीमस

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241838

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुदर्शन पनका

2. पिता/पति : दुर्योधन पनका

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241839

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनीता धुर्वे

2. पिता/पति : दुखूराम धुर्वे

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 241840

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : परमेश्वरी कंवर
2. पिता/पति : दुबराज सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241841
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुनीत राम गोटी

2. पिता/पति : दुर्जाराम गोटी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 241842

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गीता प्रसाद जांगड़े

2. पिता/पति : दुजेराम जांगड़े

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 241843

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : किरन सोरी

2. पिता/पति : दुर्जन राम सोरी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 241844

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तारेन पटेल

2. पिता/पति : दुर्गा प्रसाद पटेल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241845

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गायत्री सोनी

2. पिता/पति : दुर्गाप्रसाद सोनी

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 241846

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनय कुमार

2. पिता/पति : दुलीचंद अग्रवाल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241847

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनय कुमार

2. पिता/पति : दुलीचंद अग्रवाल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241848

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भगवती चरण टंडन
2. पिता/पति : दुलार चंद टंडन
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 241849
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमृत लाल पैकरा
2. पिता/पति : दुलेश्वर पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241850
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शंकर लाल बान्धे
2. पिता/पति : दुलेचंद बान्धे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241851
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रिंकी दास

2. पिता/पति : देबाशीष दास

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 241852

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भूपेन्द्र कुमार बरेठ
2. पिता/पति : छेदीलाल बरेठ
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 241853
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मीकांत सरल
2. पिता/पति : छेदीलाल सरल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241854
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आदेश चन्द्राकर
2. पिता/पति : छेदीलाल चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241855
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लीलक राम साहू
2. पिता/पति : छेदूराम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 241856
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भास्कर कुमार जायसवाल

2. पिता/पति : छेदूराम जायसवाल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 241857

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार अनंत

2. पिता/पति : छेदूराम अनंत

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 241858

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खेमराज अनंत

2. पिता/पति : छेदूराम अनंत

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़

5. रोल नम्बर 241859

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेहरू सिंह गंगासागर
2. पिता/पति : देवसिंग गंगासागर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 241860
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार साहू

2. पिता/पति : देवी प्रसाद साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 241861

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सतीश कुमार राठौर
2. पिता/पति : देवीप्रसाद राठौर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 241862
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आकांक्षा गौर
2. पिता/पति : देवीलाल गौर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241863

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जय कुमार कश्यप
2. पिता/पति : देवप्रसाद कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241864
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश खोब्रागढ़े
2. पिता/पति : देवराम खोब्रागढ़े
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241865

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरविंद चन्द्राकार
2. पिता/पति : देवशरण चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241866
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय कुमार सोरी

2. पिता/पति : देवानंद सोरी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 241867

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : छतराम अजय
2. पिता/पति : देवानन्द अजय
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 241868

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनमोहन सिंह कैवर्त
2. पिता/पति : देवसाय कैवर्त
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241869
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार उरांव
2. पिता/पति : देवदास उरांव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241870
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शुशील खांडे
2. पिता/पति : देवचरण खांडे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241871

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजकुमार साहू

2. पिता/पति : देवचरण साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 241872

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शैलेन्द्र कश्यप
2. पिता/पति : देवेश कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241873
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीप्ती देवांगन

2. पिता/पति : देवेश देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241874

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोनिषा चौहान

2. पिता/पति : देवेश चौहान

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 241875

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शकुंतला बैष्णव

2. पिता/पति : देवेन्द्र बैष्णव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 241876

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपमाला ठाकुर

2. पिता/पति : देवेन्द्र कुमार ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 241877

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कनक सिंह सिदार
2. पिता/पति : देवेन्द्र कुमार सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241878
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपेश कुमार सिन्हा

2. पिता/पति : देवेन्द्र कुमार सिन्हा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 241879

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार राय
2. पिता/पति : देवेन्द्र नाथ राय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241880
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपेन्द्र पाल सिंह
2. पिता/पति : देवेन्द्रनाथ सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 241881
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार सलाम
2. पिता/पति : देवजी राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241882
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविन्द्र नाथ नेताम
2. पिता/पति : देवनाथ नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241883
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अविनाश दीक्षित
2. पिता/पति : देवनारायण दीक्षित
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241884
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार ध्रुव

2. पिता/पति : देवलाल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 241885

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशा महिलांग
2. पिता/पति : देवलाल महिलांग
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241886
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इतवारी राम कश्यप
2. पिता/पति : छन्नूराम कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर : 241887
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नवीन चंद्राकर
2. पिता/पति : छगनलाल चंद्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 241888
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बोधसागर राठिया
2. पिता/पति : दलबीर राम राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241889
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ललित साय सिदार
2. पिता/पति : दलबीर साय सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 241890
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शारदा देवी

2. पिता/पति : दलेश जायसवाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241891

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोतीलाल सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : दल्लू राम सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241892
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ईश्वर सिंह देवांगन
2. पिता/पति : वधराम देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241893
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुराधा बघेल

2. पिता/पति : वर्धन बघेल

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 241894

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलीप कुमार नेताम

2. पिता/पति : वीरसिंह नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकर

5. रोल नम्बर 241895

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमलता मेश्राम
2. पिता/पति : वीरेन्द्र कुमार मेश्राम
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241896
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बिदु कौशल

2. पिता/पति : वाय.एस. कौशल

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 241897

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रीतिनंद
2. पिता/पति : वारीश नंद
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241898

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शंकर लाल भगत
2. पिता/पति : वासुराम भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241899
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रवीण टिकरिया
2. पिता/पति : वासुदेव टिकरिया
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 241900
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : लक्ष्मीनारायण कन्या हाई सेकेन्ड्री स्कूल, कालीबाड़ी, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरज कुमार हुमने
2. पिता/पति : वासुदेव हुमने
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241901
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विशाल रावले

2. पिता/पति : वासुदेव रावले

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 241902

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवकुमार बघेल
2. पिता/पति : चंद्रिका प्रसाद बघेल
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241903
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नम्रता पाण्डेय
2. पिता/पति : चंद्रिका प्रसाद पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241904
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार खुंटे
2. पिता/पति : चंदराम खुंटे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241905
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुंजबिहारी नायक
2. पिता/पति : चंदन सिंह नायक
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 241906
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खिलावन प्रसाद शर्मा
2. पिता/पति : चंदूलाल शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 241907
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मी मानिकपुरी
2. पिता/पति : चंद्रकांत मानिकपुरी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241908
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओमप्रकाश कंवर
2. पिता/पति : चंद्रपाल सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241909
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार सिंह
2. पिता/पति : चमरू राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 241910
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गुड्डू राम पोयाम
2. पिता/पति : चमरूराम पोया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241911
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिव कुमार पोयाम
2. पिता/पति : चमरूराम पोयाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241912
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल कुमार बरिहा
2. पिता/पति : चमरूलाल बरिहा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241913
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरविन्द गिरी गोस्वामी
2. पिता/पति : चम्पेश्वर गिरी गोस्वामी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241914
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डिलेश्वरी ठाकुर
2. पिता/पति : चमरा लाल ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241915
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चंद्रभान साहू
2. पिता/पति : चमन लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241916
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : समय प्रताप सिंह
2. पिता/पति : चन्द्रिका प्रसाद सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241917
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील पाण्डेय
2. पिता/पति : चन्द्रिका प्रसाद पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241918
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिशचन्द्र सोनी
2. पिता/पति : चन्द्रिका प्रसाद सोनी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 241919
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेश कुमार जगत
2. पिता/पति : चरण सिंह जगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 241920
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पवन कुमार नेताम
2. पिता/पति : चरण सिंह नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241921
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रदीप देवांगन
2. पिता/पति : चरण देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241922
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विमल कुमार

2. पिता/पति : चोवाराम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 241923

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : केशव लाल साहू
2. पिता/पति : चोवाराम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241924
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नंद कुमार

2. पिता/पति : चालूराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 241925

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : झनक लाल समरथ
2. पिता/पति : चक्रधर समरथ
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241926
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रियंका देवांगन
2. पिता/पति : चुन्नीलाल देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241927
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वेदप्रकाश सिदार
2. पिता/पति : चतुर्भज सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 241928
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीता धुर्वे
2. पिता/पति : चतुरसिंह धुर्वे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 241929
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल कुमार बघेल
2. पिता/पति : चैतमन बघेल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241930
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमन्त कुमार ठाकुर
2. पिता/पति : चैतराम ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 241931
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नारायण प्रसाद बंजारे
2. पिता/पति : चैतराम बंजारे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241932
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मिथलेश्वरी मंडावी
2. पिता/पति : चैतराम मंडावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 241933
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेवाराम चन्द्रवंशी
2. पिता/पति : चेतन राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241934
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुसुमलता सिन्हा
2. पिता/पति : चेतन लाल सिन्हा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 241935
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खगेश कुमार भतपरे
2. पिता/पति : चेतन लाल भतपरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 241936
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जवाहर लाल भतपरे
2. पिता/पति : चेतन लाल भतपरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241937
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जयदेव साहू
2. पिता/पति : चेतन लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241938
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवव्रत अग्रवाल
2. पिता/पति : चैनसिंह अग्रवाल
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241939
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मण
2. पिता/पति : चैनसाय
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241940

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रशेखर नाग

2. पिता/पति : चेन्दूराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 241941

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मीकांत साहू
2. पिता/पति : चन्दुलाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 241942
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुभाष कुमार साव
2. पिता/पति : चन्दन सिंह साव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241943
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दोपेन्द्र कुमार देशमुख
2. पिता/पति : चन्दूलाल देशमुख
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241944
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिल्पा यादव
2. पिता/पति : चन्द्र कुमार यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241945
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमितधर दीवान
2. पिता/पति : चन्द्रधर दीवान
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241946
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीषधर दीवान
2. पिता/पति : चन्द्रधर दीवान
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241947
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सीमा भगत
2. पिता/पति : चन्द्रबली राम भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 241948
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यामिनी साव
2. पिता/पति : चन्द्रकांत साव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241949
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनीता सोनी
2. पिता/पति : चन्द्रकांत सोनी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 241950
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंकुर पाण्डेय
2. पिता/पति : चन्द्रकान्त पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241951
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमन कंवर
2. पिता/पति : चन्द्रकुमार कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर 241952
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनीता कौशले
2. पिता/पति : चन्द्रकुमार कौशले
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241953
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तारा कोसले
2. पिता/पति : चन्द्रकुमार कोसले
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241954
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश चंद यादव
2. पिता/पति : चन्द्रमणी यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 241955
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पा दामले
2. पिता/पति : चन्द्रमान खोब्रागढ़े
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241956
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्वेता जेन्डे

2. पिता/पति : चन्द्रभान बर्रे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 241957

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शोभना सिंह
2. पिता/पति : चन्द्रभान सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 241958

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय राणा
2. पिता/पति : चन्द्रभान सिंह राणा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241959
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार गुप्ता
2. पिता/पति : चन्द्रभान गुप्ता
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241960
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रीति तिवारी शर्मा
2. पिता/पति : चन्द्रप्रकाश शर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 241961
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चिन्मय अग्रवाल
2. पिता/पति : चन्द्रप्रकाश अग्रवाल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241962
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुकृति कुंजाम
2. पिता/पति : चन्द्रप्रताप कुंजाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 241963
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरज यादव
2. पिता/पति : चन्द्रशेखर यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कांकर
5. रोल नम्बर 241964
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पियूष ठाकुर
2. पिता/पति : चन्द्रशेखर ठाकुर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 241965
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवकुमारी सिंह
2. पिता/पति : चन्द्रशेखर सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241966
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भारत भूषण तिवारी
2. पिता/पति : चन्द्रशेखर तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 241967
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविशंकर राजवाड़े
2. पिता/पति : चन्द्रदेव राजवाड़े
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 241968
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गायत्री ठाकुर
2. पिता/पति : चन्द्रेश कुमार ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241969
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इमरान खान

2. पिता/पति : फरुख खान

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 241970

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शुक्ल कुमार प्रधान
2. पिता/पति : फकीर प्रधान
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 241971
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भरत सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : कुम्भकरण सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241972
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बोधनाथ कुजूर

2. पिता/पति : फौदा कुजूर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 241973

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनक राम मरावी
2. पिता/पति : फागुराम मरावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 241974
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तुलेश्वर कश्यप

2. पिता/पति : फागूराम कश्यप

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 241975

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मीनाराम कश्यप
2. पिता/पति : फागूराम कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241976
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार पटेल
2. पिता/पति : फागूलाल पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर : 241977
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सियाराम उइके

2. पिता/पति : फत्तेसिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 241978

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खेमराज सेन
2. पिता/पति : फत्तेलाल सेन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 241979

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रेमकिशोर यादव
2. पिता/पति : फेरुराम
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241980
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनमोहन सिंह सिदार
2. पिता/पति : फेकूराम सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241981
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामलाल बिसेन
2. पिता/पति : जुगराम बिसेन
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241982
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आरती ठाकुर कोवाची
2. पिता/पति : फूलसिंह कोवाची
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 241983
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भारती मंडावी
2. पिता/पति : फूलप्रसाद मंडावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241984
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मिलन दास कोसले
2. पिता/पति : फूलदास कोसले
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 241985
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार अनंत
2. पिता/पति : फगनूराम अनंत
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 241986
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नोबिना मंडावी
2. पिता/पति : फलसेन्द्र मंडावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 241987
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भूषण कुजूर

2. पिता/पति : त्योफिल कुजूर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 241988

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अल्बर्ट तिग्गा
2. पिता/पति : त्योफिल तिग्गा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 241989
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नम्रता राजवाड़े
2. पिता/पति : तखत राम राजवाड़े
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 241990
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : केशुकुमार खाण्डेय
2. पिता/पति : तीजराम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241991
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डोमेश्वरी ध्रुव

2. पिता/पति : तीजराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 241992

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नितेश सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : तीजराम सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241993
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्रृभा ठाकुर
2. पिता/पति : तीजराम सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 241994
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुरुषोत्तम साहू
2. पिता/पति : तीजूराम साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 241995
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार नेताम
2. पिता/पति : तीजूराम नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 241996
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल कुमार साहू
2. पिता/पति : तामेश्वर प्रसाद साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 241997
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता कुमारी साहू
2. पिता/पति : ताराचंद्र साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 241998
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टुकेश्वर दास भारती
2. पिता/पति : तारन दास भारती
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 241999
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुधीर कुमार पण्डा
2. पिता/पति : तोषराम पण्डा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242000
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोमेश्वर सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : तोरण सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 242001
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रकाश साहू
2. पिता/पति : तालुकराम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 242002
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भूपेश कुमार सिन्हा
2. पिता/पति : तुकाराम सिन्हा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 242003
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रुपेश कुमार सहोर
2. पिता/पति : तुकाराम सहोर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 242004
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कला खुंटे

2. पिता/पति : तुलाराम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242005

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शोभाराम कुंवर

2. पिता/पति : तुलाराम कुंवर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 242006

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश्वर हीचामी
2. पिता/पति : तुलाराम हीचामी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 242007
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार पोर्त
2. पिता/पति : तुलाराम पोर्त
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242008
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रवि शंकर सिंह
2. पिता/पति : तुलसी राम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242009
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय लक्ष्मी साहू
2. पिता/पति : तुलसीराम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 242010
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खोगेन्द्र कुमार सलाम
2. पिता/पति : तुलसीराम सलाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 242011
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरीश कुमार साहू
2. पिता/पति : तुलुराम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 242012
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार दुबे
2. पिता/पति : तेजबती दुबे
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर : 242013
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार पैकरा
2. पिता/पति : तेजराम पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 242014
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ललित कुमार राठिया
2. पिता/पति : तेजराम राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242015
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : क्षत्राणी वर्मा
2. पिता/पति : तेजेन्द्र प्रकाश पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 242016
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रकाश कुमार सिंह
2. पिता/पति : जयबहादुर सिंह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242017
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुमताज तिकी
2. पिता/पति : जयमन तिकी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 242018
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविकिरण कुंजाम
2. पिता/पति : जयपाल सिंह कुंजाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 242019
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनेश्वर

2. पिता/पति : जयपाल राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242020

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बसंती भगत
2. पिता/पति : जयपाल राम भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 242021
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उषाकिरण सिंह

2. पिता/पति : जयप्रकाश

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242022

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष मिंज
2. पिता/पति : जयप्रकाश मिंज
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 242023
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गीतांजली पाण्डेय
2. पिता/पति : जयप्रकाश पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 242024
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुलोचना साव
2. पिता/पति : ज्योति कुमार साव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242025
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजिता बरला
2. पिता/पति : जयनन्दन बरला
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 242026
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामस्वरूप पटेल
2. पिता/पति : जयलाल पटेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 242027
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सीमा साहू
2. पिता/पति : जयलाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 242028

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गौरी दास
2. पिता/पति : जंगबहादुर दास
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 242029
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनसेलम कुजूर
2. पिता/पति : जकारियुस कुजूर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 242030
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : जम्बू सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 242031
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तनवी खान

2. पिता/पति : जमील खान

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 242032

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शकील खान

2. पिता/पति : जमील खान

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242033

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रिजवान अहमद खान
2. पिता/पति : जमील अहमद खान
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 242034
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष कुमार कुजूर
2. पिता/पति : जमुना प्रसाद
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 242035
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार साहू
2. पिता/पति : जमुना प्रसाद साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 242036
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेहा उइके
2. पिता/पति : जमुना लाल उइके
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर : 242037
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोविंद चंद सिदार
2. पिता/पति : जडितराम सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242038
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार स्वर्णकार
2. पिता/पति : जी. स्वर्णकार
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 242039
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कामनी कारे

2. पिता/पति : जी.एल. कारे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242040

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरविन्द कुमार द्विवेदी
2. पिता/पति : जी.पी. द्विवेदी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242041
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गौरी केसरी
2. पिता/पति : जी.पी. किरत
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242042
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश कुमार श्रीवास
2. पिता/पति : जी.पी. श्रीवास
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 242043
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भेखचंद देवांगन
2. पिता/पति : जीवराखन राम देवांगन
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 242044
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार वर्मा
2. पिता/पति : जीवराखन लाल वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 242045
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ललिता जोशी

2. पिता/पति : जीवन जोशी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 242046

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार
2. पिता/पति : जीवन लाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 242047
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंकित गुप्ता
2. पिता/पति : जीवन लाल गुप्ता
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 242048
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामेश्वर

2. पिता/पति : जीवनलाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 242049

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विवेक कुमार जैन
2. पिता/पति : जीतमल जैन
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 242050
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार एक्का
2. पिता/पति : जीतु मारकुस एक्का
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 242051
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश कुमार देवांगन
2. पिता/पति : जी.आर. देवांगन
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 242052
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरविंद कुमार तिवारी
2. पिता/पति : जोधन प्रसाद तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 242053
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पराज चौहान

2. पिता/पति : जोधन लाल

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 242054

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बुधेश्वर प्रसाद

2. पिता/पति : जोखन राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242055

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामकुमार दीवान
2. पिता/पति : जोहतराम दीवान
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 242056
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार खलखो
2. पिता/पति : जोहन खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242057
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राहुल यादव
2. पिता/पति : जोहन लाल यादव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 242058
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : केदारनाथ साहू
2. पिता/पति : जोहनराम
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 242059
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विक्रम तिकी

2. पिता/पति : जोसेफ तिकी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242060

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अल्का एक्का
2. पिता/पति : जोवाकिम एक्का
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 242061
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चंदन राम पोयाम
2. पिता/पति : जोटूराम पोयाग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 242062
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीराम कश्यप
2. पिता/पति : जोगीराम कश्यप
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 242063
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दारासिंह सोडी
2. पिता/पति : जोगाराम सोडी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 242064
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार शांडिल्य
2. पिता/पति : जागेश्वर सिंह शांडिल्य
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 242065
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास कुमार नेताम
2. पिता/पति : जागेश्वर लाल नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 242066
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविकान्त यादव
2. पिता/पति : जवाहर यादव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 242067
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनय कुमार श्रीवास्तव
2. पिता/पति : जवाहर लाल श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 242068
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दानेश शांडिल्य
2. पिता/पति : जवाहर लाल शांडिल्य
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 242069
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार वर्मा
2. पिता/पति : जवाहर लाल वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 242070
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरोज कुजूर
2. पिता/पति : जुलियस कुजूर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 242071

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपिका रोशनी एक्का
2. पिता/पति : जे. डी. एक्का
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242072
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मूलचंद लाटिया
2. पिता/पति : जे.एस. लाडिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 242073
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लेनिन कुमार शांडिल्य
2. पिता/पति : जे.एल. शांडिल्य
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 242074
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजीत लकड़ा
2. पिता/पति : जे.एल. लकड़ा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 242075
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उमेश कुमार नेताम
2. पिता/पति : जेठू राम नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 242076
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बिरेन्द्र कुमार जंधेल
2. पिता/पति : जेठूराम
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 242077
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गिरधर गोपाल राठौर
2. पिता/पति : जेठूराम राठौर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 242078
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विश्व दीपक तिग्गा
2. पिता/पति : जेम्स तिग्गा
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 242079
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेणु ठाकुर

2. पिता/पति : जे.पी. ठाकुर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242080

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मिथलेश कुमार वर्मा
2. पिता/पति : जे.पी. वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 242081
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जैन सिंह मंडावी
2. पिता/पति : जैपाल सिंह मंडावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242082
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार बघेल
2. पिता/पति : जे.आर. बघेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 242083
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनय कुमार त्रिपाठी
2. पिता/पति : जे.आर. त्रिपाठी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242084
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पल्टूराम कोठारे
2. पिता/पति : जैलूराम कोठारे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकर
5. रोल नम्बर 242085
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रीति परते मरकाम
2. पिता/पति : जनक मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242086
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सामबाई कोसले
2. पिता/पति : जनकराम कोसले
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 242087
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता पाण्डेय
2. पिता/पति : जनकराम पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242088
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यामिनी साहू
2. पिता/पति : जनकराम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242089
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिषेक मिश्रा

2. पिता/पति : जनार्दन मिश्रा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 242090

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता भगत

2. पिता/पति : जगमोहन राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 242091

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तुलेश्वरी साहू
2. पिता/पति : जगमोहन साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242092
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सत्येन्द्र कुमार बंदे
2. पिता/पति : जगपालन बंदे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 242093
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शकुन्तला सिंह
2. पिता/पति : जगर नाथ सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर : 242094
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोलूराम बैगा
2. पिता/पति : जगराम बैगा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 242095
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजेन्द्र कुमार टोप्पो
2. पिता/पति : जगसाय
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 242096
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष कुमार सिंह
2. पिता/पति : जगसाय मरावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242097
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनुराम सिदार
2. पिता/पति : जगसाय सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242098
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रावेल कुमार
2. पिता/पति : जगसू प्रहलाद
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 242099

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार देशमुख
2. पिता/पति : जगदीश कुमार देशमुख
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर : 242100
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामप्रसाद महानंद
2. पिता/पति : जगदीश प्रसाद
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 242101
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीप केशरवानी
2. पिता/पति : जगदीश प्रसाद केशरवानी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242102
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अश्वनी सिदार
2. पिता/पति : जगदीश प्रसाद सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 242103
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश कुमार पटेल
2. पिता/पति : जगदीश प्रसाद पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242104
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुदर्शन कुमार पटेल
2. पिता/पति : जगदीश प्रसाद पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242105
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार प्रजापति
2. पिता/पति : जगदीश प्रसाद प्रजापति
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गौरेला-पेन्झा-मरवाही
5. रोल नम्बर 242106
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋतुराज अवस्थी
2. पिता/पति : जगदीश प्रसाद अवस्थी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242107
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोपाल सिंह साहू
2. पिता/पति : जगदीश राम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 242108
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमलेश कुमार जगत
2. पिता/पति : जगदीश जगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 242109
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तरुण ठाकुर
2. पिता/पति : जगताराम ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 242110
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पनेश्वर सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : जगताराम ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर : 242111
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार नेताम
2. पिता/पति : जगताराम नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर : 242112
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमल नारायण ध्रुव
2. पिता/पति : जगतूराम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 242113
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्रीनिवास पटेल
2. पिता/पति : जगेन्द्रप्रसाद पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242114
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीषा टण्डन
2. पिता/पति : जगजीवन टण्डन
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 242115
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विरेन्द्र कुमार झा
2. पिता/पति : जगन्नाथ झा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242116
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार गहखरिया
2. पिता/पति : जगन्नाथ प्रसाद
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 242117
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय पाण्डेय
2. पिता/पति : जगन्नाथ प्रसाद
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 242118
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : क्रांति लाल कोशले
2. पिता/पति : जगन्नाथ प्रसाद कोशले
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242119
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उमेश रथ
2. पिता/पति : जगन्नाथ रथ
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242120
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राम प्यारे लाल नाग
2. पिता/पति : जगन्नाथ राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 242121
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : छाया गुप्ता
2. पिता/पति : जगन्नाथ गुप्ता
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर : 242122
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजू कुमार नेताम
2. पिता/पति : जग्गर राम नेताम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 242123
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खेमलाल साहू
2. पिता/पति : जग्गू राम साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर : 242124
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार चौहान
2. पिता/पति : जलद राम चौहान
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 242125
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार पैकरा
2. पिता/पति : जल्देव राम पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 242126
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरज कुमार पैकरा
2. पिता/पति : जलदेव राम पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 242127
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवकुमार कमल
2. पिता/पति : जलेश्वर सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 242128
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सतीश कुमार चंद्राकर
2. पिता/पति : जलेश्वर प्रसाद चंद्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 242129
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनय कुमार पाण्डेय
2. पिता/पति : नंदकुमार पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 242130
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुरुषोत्तम सेन
2. पिता/पति : नंदकुमार सेन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 242131
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेणुकानंद गौतम
2. पिता/पति : नंदकुमार गौतम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर 242132
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेश कुमार जायसवाल
2. पिता/पति : नंदकिशोर जायसवाल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 242133
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खिलेन्द्र कुमार पटेल
2. पिता/पति : नंदभरोस पटेल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 242134
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्यामू सिंह
2. पिता/पति : नंदलाल सिंह
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 242135

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रजाउल हसन

2. पिता/पति : नबी रसूल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242136

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुकालूराम मरकाम
2. पिता/पति : नकछेड़ी मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 242137
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिराम भोई

2. पिता/पति : नकुल भोई

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 242138

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र प्रसाद पैकरा
2. पिता/पति : नकुल साय पैकरा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 242139
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजनदास मानिकपुरी
2. पिता/पति : नकुल दास मानिकपुर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 242140
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बसंत कुमार महंत
2. पिता/पति : नम्मदास महंत
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242141
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र कुमार रामटेके
2. पिता/पति : नमेश्वर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 242142
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार राठौर
2. पिता/पति : नर्मदा प्रसाद राठौर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 242143
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हीरावली राउत

2. पिता/पति : नलिन भंडारी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : नारायणपुर

5. रोल नम्बर 242144

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शारदा सिंह

2. पिता/पति : नहोरिक लाल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 242145

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : होलिका प्रसाद कैवर्त
2. पिता/पति : नीकराम कैवर्त
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 242146
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेणुका साहू
2. पिता/पति : नीलकमल कुल्हारा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 242147
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इन्द्रजीत सिंह कंवर
2. पिता/पति : नीलम सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 242148
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : द्विजराम मरकाम
2. पिता/पति : नरसिंह मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 242149
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आनंद सागर बिसी
2. पिता/पति : नरसिंह बिसी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242150
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋषि कुमार सिन्हा
2. पिता/पति : नरसिंह लाल सिन्हा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242151
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भावेश कुमार वर्मा
2. पिता/पति : नरसिंग वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242152
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार सिन्हा
2. पिता/पति : नरहरि सिंह सिन्हा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 242153
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पदमा कश्यप
2. पिता/पति : नरहरी कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 242154
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भ्रमर प्रधान

2. पिता/पति : नरोत्तम प्रधान

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242155

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ललिता भार्गव
2. पिता/पति : नरोत्तम प्रसाद भार्गव
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 242156
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विरेन्द्र कुमार साहू
2. पिता/पति : नरोत्तम लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 242157
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चित्रा साहू
2. पिता/पति : नरेश कुमार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242158
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राहुल अरोरा
2. पिता/पति : नरेश कुमार अरोरा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242159
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सीमा मरकाम

2. पिता/पति : नरेश मरकाम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 242160

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : केशव प्रसाद पटेल
2. पिता/पति : नरेश चन्द्र पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 242161
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजूषा सर्वे

2. पिता/पति : नरेन्द्र कुमार

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242162

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोरमा धुर्वे
2. पिता/पति : नरेन्द्र कुमार धुर्वे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सुकमा
5. रोल नम्बर 242163
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तनुजा साहू
2. पिता/पति : नरेन्द्र कुमार यदु
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 242164
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजीता मंडावी
2. पिता/पति : नरेन्द्र कुमार मंडावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 242165
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश कुमार रात्रे
2. पिता/पति : नरेन्द्र कुमार रात्रे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर : 242166
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दानेश्वर रात्रे
2. पिता/पति : नरेन्द्र कुमार रात्रे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242167
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मिथिला साहू
2. पिता/पति : नरेन्द्र कुमार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242168
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जिनेश्वरी साहू
2. पिता/पति : नरेन्द्र कुमार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 242169
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ऋषिकेश मिश्रा
2. पिता/पति : नरेन्द्र मोहन मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर : 242170
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पंकज जायसवाल
2. पिता/पति : नरेन्द्र प्रसाद
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 242171
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बृजमोहन मिश्रा
2. पिता/पति : नरेन्द्र प्रसाद मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242172
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अविनाश टंडन
2. पिता/पति : नरेन्द्र टंडन
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242173
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दौलेन अमलोन टोप्पो
2. पिता/पति : नायमन टोप्पो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242174
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुषमा आंडिल्य
2. पिता/पति : नामिक साय आंडिल्य
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242175
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामबाई आडिल्य
2. पिता/पति : नामिक साय आडिल्य
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242176
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सावन सिंह बाकरे
2. पिता/पति : नाराण सिंह बाकरे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 242177
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्ञानेन्द्र कुमार बोरकर
2. पिता/पति : नारायण बोरकर
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 242178
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बृजपाल सिंह कंवर
2. पिता/पति : नारायण सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 242179
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राखी कुलदीप
2. पिता/पति : नारायण सिंह कुलदीप
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : नारायणपुर
5. रोल नम्बर 242180
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रतिमा सिरसो
2. पिता/पति : नारायण सिंह सिरसो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242181
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हिम्मत कुमार कांगे
2. पिता/पति : नारायण प्रसाद कांगे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 242182
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविकुमार डोंगरे
2. पिता/पति : नारायण प्रसाद डोंगरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242183
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तोमन लाल वर्मा
2. पिता/पति : नारायण प्रसाद वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर 242184
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुलोक कुमार देवनाथ
2. पिता/पति : नारायण चन्द्र देवनाथ
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दन्तेवाड़ा
5. रोल नम्बर 242185
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पा प्रधान
2. पिता/पति : नारायण नायक
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 242186

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नितेश कुमार यदु
2. पिता/पति : नारायण लाल यदु
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 242187
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टीपू सिंह वर्मा
2. पिता/पति : नारद सिंह वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 242188
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेश कुमार

2. पिता/पति : नारद राम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 242189

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीपक कुमार कौशिक
2. पिता/पति : नारद राम कौशिक
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 242190
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लालकृष्ण देवांगन
2. पिता/पति : नारदप्रसाद देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 242191
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंजली देवांगन

2. पिता/पति : नोकेश देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 242192

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुसुईया साहू
2. पिता/पति : नोहर सिंह साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 242193
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विष्णु प्रसाद निर्मलकर
2. पिता/पति : नानकचंद निर्मलकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 242194
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बंशीलाल पंचोली
2. पिता/पति : नान्हू पंचोली
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 242195
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रोहित कुमार पटेल
2. पिता/पति : नान्हराम पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242196
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र पन्ना
2. पिता/पति : नानासाय पन्ना
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 242197

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चंद्रकला लावत्रे
2. पिता/पति : नागेश कुमार लावत्रे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 242198
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निर्मला मरावी
2. पिता/पति : नागेन्द्र सिंह मरावी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 242199
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दिलीप कुमार नेताम
2. पिता/पति : नङ्गी राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 242200
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर,

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आकांक्षा साहू

2. पिता/पति : नवीन साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 242201

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अखिलेश कुमार गुप्ता

2. पिता/पति : नवरंग प्रसाद गुप्ता

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242202

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामप्रसाद राम

2. पिता/पति : नवासाय राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242203

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वर्षा मिश्रा
2. पिता/पति : नवनीत मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 242204

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुरन्दर प्रसाद यादव

2. पिता/पति : नवगोपाल यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242205

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र राजपूत

2. पिता/पति : नवल सिंह राजपूत

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242206

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवनारायण

2. पिता/पति : नवल साय

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242207

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खलेश चन्द्र पात्रे

2. पिता/पति : नवलदास पात्रे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242208

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रदीप कुमार नायक

2. पिता/पति : नुगरन राम नायक

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242209

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रवीण विश्वकर्मा

2. पिता/पति : नत्थू प्रसाद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 242210

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेहा ध्रुवे
2. पिता/पति : नेकराम धुर्वे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 242211

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र कुमार

2. पिता/पति : नेमूराम

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 242212

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आभारानी तिकी

2. पिता/पति : नजरियुस तिकी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242213

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खेमचंद नाग
2. पिता/पति : ननकीराम नाग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 242214

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोहन राम

2. पिता/पति : ननकूराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242215

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेन्द्र परगनिहा
2. पिता/पति : नन्दकुमार परगनिहा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242216
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीलकमल देवांगन

2. पिता/पति : नन्दकुमार देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242217

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भावना घोरपड़े
2. पिता/पति : नन्दाराव घोरपड़े
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 242218

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गुरुवचन दास डहरे

2. पिता/पति : नन्दु दास डहरे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242219

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोषी दुर्गम

2. पिता/पति : नन्दू दुर्गम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 242220

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार साहू

2. पिता/पति : नन्दकुमार साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242221

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शंकर लाल कतलाम

2. पिता/पति : अधरू राम कतालम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 242222

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमन मरावी

2. पिता/पति : अधीर सिंह मरावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 242223

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : झगरू राम केवट
2. पिता/पति : अधीन राम केवट
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर : 242224
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संगीता मेरावी

2. पिता/पति : अरुण

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 242225

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार यदु
2. पिता/पति : अरुण कुमार
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 242226
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुर्गावती
2. पिता/पति : अरुण कुमार मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर : 242227
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रवीन्द्र कुमार सिन्हा

2. पिता/पति : अरुण कुमार सिन्हा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242228

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष कुमार श्रीवास्तव
2. पिता/पति : अरुण कुमार श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 242229
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविकांत आमदे
2. पिता/पति : अरुण कुमार आमदे
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 242230
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिकेत कुमार साव

2. पिता/पति : अरुण साव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242231

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रवीण कुमार उइके

2. पिता/पति : अयोध्या सिंह उइके

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242232

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शंकर लाल सिदार
2. पिता/पति : अयोध्या प्रसाद सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242233
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजकपूर कुशवाहा
2. पिता/पति : अघुनाथ राम कुशवाहा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 242234
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुखदेव ध्रुव

2. पिता/पति : अघनुराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 242235

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दशरथ साय

2. पिता/पति : अघनू साय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242236

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामूराम कश्यप
2. पिता/पति : अंधारूराम कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 242237
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : योगेश राव जगताप
2. पिता/पति : अंबरिस राव जगताप
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 242238
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संध्या राठौर
2. पिता/पति : टंकेश्वर राठौर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 242239

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रीति साहू

2. पिता/पति : अंकित साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242240

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नमिता पाठक गौराहा

2. पिता/पति : अंकित गौराहा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242241

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रवीण कुमार चिड़ेम

2. पिता/पति : अंजैया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 242242

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दीप्ती डडसेना
2. पिता/पति : अंजनी डडसेना
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 242243

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश कुमार देवांगन

2. पिता/पति : अंगद राम देवांगन

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 242244

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार कश्यप

2. पिता/पति : अंगन राम कश्यप

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 242245

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित कुमार साहू

2. पिता/पति : अबधराम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 242246

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मो.नसीर अंसारी
2. पिता/पति : अब्दुल मजीद अंसारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242247
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संगीता मिंज
2. पिता/पति : अबदनेगी मिंज
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 242248

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ठाकुर राम कोसमा
2. पिता/पति : अकतूराम कोसमा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 242249
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिवलाल टंडन
2. पिता/पति : अमरु राम टंडन
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 242250
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनोद कुमार टंडन

2. पिता/पति : अमृत राम टंडन

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242251

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय कुमार

2. पिता/पति : अमृत साय

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242252

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नमेन्द्र कुमार मैत्री

2. पिता/पति : अमृत लाल मैत्री

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 242253

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मेघनाथ वर्मा

2. पिता/पति : अमृत लाल वर्मा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242254

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश्वर कुमार पैकरा

2. पिता/पति : अमृतलाल पैकरा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242255

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शारदा सिन्हा

2. पिता/पति : अम्ब्रेस सिन्हा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242256

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शारदा तिकी

2. पिता/पति : अमीर साय तिकी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242257

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरविंद सिंह मरावी
2. पिता/पति : अमर सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 242258

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोन्बिन्दराम सिदार

2. पिता/पति : अमर सिंह सिदार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242259

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिकपुर सिंह परिहार

2. पिता/पति : अमर सिंह परिहार

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 242260

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चुड़ामणी पटेल
2. पिता/पति : अमर सिंह पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर : 242261
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरीशचंद्र राणा
2. पिता/पति : अमर सिंह राणा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 242262

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गणेशा गोटा

2. पिता/पति : अमर सिंह गोटा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कांकेर

5. रोल नम्बर 242263

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजीव लोचन सिंह

2. पिता/पति : अमरेन्द्र सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242264

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनंजय सिंह
2. पिता/पति : अमरजीत सिंह
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 242265
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भानुप्रताप सोनी
2. पिता/पति : अमरजीत राम सोनी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242266
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विकास वर्मा
2. पिता/पति : अमरनाथ वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 242267

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रेम कुमार देवांगन
2. पिता/पति : अमरलाल देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 242268

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बोधीराम निषाद

2. पिता/पति : अमोलिराम निषाद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242269

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेन्द्र कुजूर

2. पिता/पति : अमिर राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242270

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : स्वर्णलता लकड़ा
2. पिता/पति : अमित खलखो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 242271
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अर्चना शर्मा
2. पिता/पति : अमित चतुर्वेदी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 242272

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीनू पाण्डेय

2. पिता/पति : अमित जोशी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 242273

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्लिज्यामा टोप्पो

2. पिता/पति : अमित टोप्पो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242274

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूजा सोनी
2. पिता/पति : अभिषेक कुमार सोनी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर : 242275
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नेहा देवांगन
2. पिता/पति : अभिषेक कुमार देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर : 242276
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूनम निकुंज
2. पिता/पति : अभिषेक सिंह परमार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 242277
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमलता पटेल

2. पिता/पति : अभिषेक पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242278

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीषा राजन
2. पिता/पति : अभिनव राजन
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 242279

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनामिका सिंह

2. पिता/पति : अभिलाष सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242280

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गुलशन ठाकुर

2. पिता/पति : अशिष ठाकुर

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242281

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लक्ष्मी छिदेहा
2. पिता/पति : अविनाश छिदेहा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 242282
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लिपिका कौशिक
2. पिता/पति : अविनाश चंद्र कौशिक
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 242283
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शारदा नाग

2. पिता/पति : अतिबल राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242284

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नंदा साहू
2. पिता/पति : अनिरुद्ध साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 242285

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हिलेश्वरी ठाकुर
2. पिता/पति : अनिल कुमार ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 242286
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नमिता कश्यप
2. पिता/पति : अनिल कुमार कश्यप
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर : 242287
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुषमा सिंह
2. पिता/पति : अनिल कुमार सिंह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर : 242288
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अशोक कुमार मांझी

2. पिता/पति : अनिल मांझी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242289

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रजनी बंजारे

2. पिता/पति : अनिल चंद्र बंजारे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 242290

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : युवराज चन्द्राकर
2. पिता/पति : टहलसिंह चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 242291
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विवेक सिंह ठाकुर
2. पिता/पति : अहलाद सिंह ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 242292
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष ठाकुर

2. पिता/पति : टी.एस. ठाकुर

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242293

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भारती नेताम
2. पिता/पति : टी.एस. नेताम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 242294

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पा तलान्डी

2. पिता/पति : टी.इरैया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 242295

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धर्मेन्द्र शर्मा

2. पिता/पति : टीकम प्रसाद शर्मा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242296

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गौरीशंकर वर्मा

2. पिता/पति : टीकाराम वर्मा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 242297

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पिकेश कुमार जायसवाल

2. पिता/पति : टीकाराम जायसवाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 242298

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खिलन्ती नायक

2. पिता/पति : टीकाराम नायक

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242299

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित सिन्हा

2. पिता/पति : अभय प्रकाश सिन्हा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242300

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रंजीता कश्यप

2. पिता/पति : अभयराम सोम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242301

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुपमा लकड़ा

2. पिता/पति : अर्पण तिकी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242302

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोचन साहू

2. पिता/पति : अरविंद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242303

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पूजा मौर्य

2. पिता/पति : अरविंद कुमार मौर्य

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 242304

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शशिकला कंवर
2. पिता/पति : अरविन्द सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 242305
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनुर्जय कुमार डनसेना
2. पिता/पति : आयोध्या प्रसाद डनसेना
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 242306

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीषा सिंह

2. पिता/पति : आयुष सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 242307

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : त्रिनाथ नाग

2. पिता/पति : आयता नाग

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सुकमा

5. रोल नम्बर 242308

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोनाराम सोरी
2. पिता/पति : आयतुराम सोरी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 242309

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेखा सोनी
2. पिता/पति : आकाश कुमार सोनी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 242310
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुसुमलता गौतम
2. पिता/पति : आकाश गौतम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर 242311
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आकांक्षा मिश्रा

2. पिता/पति : आदित्य मिश्रा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242312

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमन श्रीवास्तव
2. पिता/पति : आर.एन. श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 242313
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नवीन मिश्रा

2. पिता/पति : आर.एल. मिश्रा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 242314

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनीता साहू

2. पिता/पति : आर.बी. साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242315

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गिरीश कुमार नाग

2. पिता/पति : आरमा राम नाग

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 242316

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश यादव
2. पिता/पति : आर.पी. यादव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242317

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : निशिता सिवाना

2. पिता/पति : आर.पी. सिवाना

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 242318

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सौरभ गोस्वामी
2. पिता/पति : आर.पी. गोस्वामी
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242319

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित कुमार खरे
2. पिता/पति : आर.आर. खरे
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242320
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तारकेश्वरी साहू

2. पिता/पति : आर.आर. साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242321

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्याम लाल नायक

2. पिता/पति : आर.आर. नायक

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242322

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चनिता ईजारदार

2. पिता/पति : आशीष ईजारदार

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242323

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मीना ध्रुव

2. पिता/पति : आशीष कुमार ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242324

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उत्तम कुमार कुर्रे
2. पिता/पति : आशाराम कुर्रे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 242325
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दुलेश्वर कुमार साहू

2. पिता/पति : आशाराम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 242326

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिल्पी चन्द्राकर
2. पिता/पति : आशाराम चन्द्राकर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकर
5. रोल नम्बर 242327
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उषा दुबे

2. पिता/पति : आशुतोष पाण्डेय

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242328

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामदेव राम
2. पिता/पति : अशोक कुमार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरिया
5. रोल नम्बर 242329

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ललिता कश्यप
2. पिता/पति : अशोक कुमार कश्यप
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 242330
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सन्तूसिंह मन्नाडे
2. पिता/पति : अशोक कुमार मन्नाडे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 242331
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमलता श्रीवास
2. पिता/पति : अशोक कुमार श्रीवास
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 242332
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बृजेश सिंह राजपूत
2. पिता/पति : अशोक कुमार राजपूत
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 242333
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पेनेन्द्र कुमार साहू
2. पिता/पति : अशोक कुमार साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 242334

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रजनीकांत देवांगन
2. पिता/पति : अशोक कुमार देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242335
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डिम्पल गुप्ता
2. पिता/पति : अशोक कुमार गुप्ता
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 242336
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खुशबू तिवारी
2. पिता/पति : अशोक मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 242337
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वर्षा मिरचण्डे

2. पिता/पति : अशोक मिरचण्डे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 242338

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिषेक श्रीवास्तव

2. पिता/पति : अशोक श्रीवास्तव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 242339

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष कुमार चतुर्वेदी

2. पिता/पति : अशोक चतुर्वेदी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242340

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमलेश जायसवाल

2. पिता/पति : अशोक जायसवाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242341

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विष्णुराम मरकाम
2. पिता/पति : आदेराम मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर : 242342
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष सिंह क्षत्री
2. पिता/पति : आत्मा सिंह क्षत्री
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 242343
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रहास पटेल

2. पिता/पति : आत्माराम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242344

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पेन्द्र कुमार

2. पिता/पति : आत्माराम ठाकुर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242345

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तेजराम राठिया

2. पिता/पति : आत्माराम राठिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242346

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टेकराम राठिया
2. पिता/पति : आत्माराम राठिया
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242347
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमलेश कुमार चेलक

2. पिता/पति : आत्माराम चेलक

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242348

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राहुल जोशी

2. पिता/पति : आत्माराम जोशी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 242349

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रशांत वर्मा

2. पिता/पति : ओंकार प्रसाद वर्मा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242350

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रियांश वर्मा

2. पिता/पति : ओंकार प्रसाद वर्मा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242351

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विभा जोशी

2. पिता/पति : ओंकार प्रसाद जोशी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 242352

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित कुमार जोशी
2. पिता/पति : ओंकार प्रसाद जोशी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 242353
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : स्नेहलता बिसेन
2. पिता/पति : ओम प्रकाश बिसेन
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : धमतरी
5. रोल नम्बर : 242354
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विक्की आनंद

2. पिता/पति : ओमप्रकाश

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242355

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रेखा ध्रुव

2. पिता/पति : ओमप्रकाश ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242356

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भावना यादव

2. पिता/पति : ओमप्रकाश यादव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242357

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीता मरकाम

2. पिता/पति : ओमप्रकाश मरकाम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 242358

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभिषेक माली

2. पिता/पति : ओमप्रकाश माली

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242359

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रांजली भट्ट

2. पिता/पति : ओमप्रकाश भट्ट

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242360

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गायत्री पाण्डेय
2. पिता/पति : ओमप्रकाश पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 242361
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरविंद कुमार सोनवानी

2. पिता/पति : ओमप्रकाश सोनवानी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242362

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय कुमार देवांगन

2. पिता/पति : ओमप्रकाश देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 242363

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमल नारायण गुप्ता

2. पिता/पति : ओमप्रकाश गुप्ता

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 242364

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टिकेन्द्र कुमार चन्द्राकर

2. पिता/पति : टोमन सिंह चन्द्राकर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 242365

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजीव श्रीवास्तव

2. पिता/पति : ओ.पी. श्रीवास्तव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 242366

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कौशिल्या साहू

2. पिता/पति : आजूराम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 242367

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार भंडारी

2. पिता/पति : आनंद सिंह भंडारी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 242368

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष दास मानिकपुरी
2. पिता/पति : आनंद दास मानिकपुरी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 242369
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजकपूर सिंह

2. पिता/पति : आनन्दराम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242370

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डेविड कुमार सिदार

2. पिता/पति : आनन्दराम सिदार

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242371

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कविस तिवारी
2. पिता/पति : आलोक तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242372

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुभद्रा चौहान
2. पिता/पति : अस्वनी कुमार चौहान
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 242373
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय तिवारी
2. पिता/पति : अवध प्रसाद तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर : 242374
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उमेश कुमार नायक

2. पिता/पति : अवध राम नायक

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242375

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित कुमार दुबे
2. पिता/पति : अवधेश कुमार दुबे
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 242376
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र प्रसाद सिंह

2. पिता/पति : अवधेश सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242377

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंकित कुमार द्विवेदी

2. पिता/पति : अवधेश प्रसाद द्विवेदी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242378

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित कुमार त्रिपाठी
2. पिता/पति : अवधेश प्रसाद त्रिपाठी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर : 242379
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रीति सिंह

2. पिता/पति : अवधेश प्रताप सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242380

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमीना ठाकुर
2. पिता/पति : अश्वनी कुमार ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 242381
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रोशन जांगड़े
2. पिता/पति : अश्वनी जांगड़े
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर 242382

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मो. फारुख जावेद

2. पिता/पति : अतहरउल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242383

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुंजन राम देवांगन

2. पिता/पति : टेकराम देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 242384

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गोमती वारे

2. पिता/पति : टेकराम वारे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242385

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जैनेन्द्र कुमार लहरे

2. पिता/पति : टेकचंद लहरे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242386

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमरकांत पात्रे

2. पिता/पति : टेकलाल

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242387

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सत्यम पात्रे
2. पिता/पति : टेकलाल पात्रे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 242388

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लुकेश कुमार यादव

2. पिता/पति : टेमन लाल यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242389

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डिलो भगत
2. पिता/पति : टेनाराम भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 242390

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बबीता साहू

2. पिता/पति : अजय कुमार साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 242391

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्ञान बाई टण्डन
2. पिता/पति : अजय कुमार टण्डन
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : शक्ती
5. रोल नम्बर : 242392
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार तिवारी
2. पिता/पति : अजय तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 242393

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दामिनी गुप्ता

2. पिता/पति : अजय गुप्ता

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242394

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनीता कंवर
2. पिता/पति : अजयपाल सिंह कंवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 242395
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार टान्डे

2. पिता/पति : अजीत कुमार टान्डे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 242396

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तारकेश्वर सिंह धुर्वे
2. पिता/पति : अजीत सिंह धुर्वे
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 242397

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रहलाद सिदार
2. पिता/पति : अर्जुन सिंह सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242398
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविन्द्र कुमार पुजारी

2. पिता/पति : अर्जुन पुजारी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 242399

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार कश्यप

2. पिता/पति : अर्जुन लाल कश्यप

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242400

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्याम लाल साहू
2. पिता/पति : अर्जुन लाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 242401
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रुपेन्द्र कुमार चन्द्राकर

2. पिता/पति : अर्जुनलाल चन्द्राकर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242402

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय कुमार साहू

2. पिता/पति : अर्जुन साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242403

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोरेन्स केरकेट्टा
2. पिता/पति : अनंतराम केरकेट्टा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर : 242404
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संशील कुमार साहू

2. पिता/पति : अनंतराम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242405

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार मरावी

2. पिता/पति : अनकराम मरावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242406

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नियति टोप्पो

2. पिता/पति : अनमोल कुजूर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242407

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शिरीन अख्तर

2. पिता/पति : अ.नसीर खान

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242408

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सलील कुमार टोप्पो

2. पिता/पति : अन्द्रेयास टोप्पो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242409

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमन सिन्हा

2. पिता/पति : अनुप सिन्हा

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 242410

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनोद कुमार यादव

2. पिता/पति : अनुप साय यादव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242411

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रश्मि मिश्रा

2. पिता/पति : अनुराग कुमार मिश्रा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 242412

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गणेश पाटले

2. पिता/पति : अन्तराम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242413

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल तिग्गा
2. पिता/पति : अगस्तुश तिग्गा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 242414

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भागवत प्रसाद कौशल

2. पिता/पति : अग्रहिज

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 242415

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लिकेश कुमार साहू

2. पिता/पति : अलख राम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 242416

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वीरेन्द्र कुमार बैस

2. पिता/पति : गणेश बैस

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 242417

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुवनेश्वरी
2. पिता/पति : गणेश राम
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242418

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश्वरी यादव

2. पिता/पति : गणेश राम यादव

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 242419

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रशांत कुमार तिवारी
2. पिता/पति : गणेश राम तिवारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 242420

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डेमन लाल साहू

2. पिता/पति : गणेश राम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 242421

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय कुमार देवांगन

2. पिता/पति : गणेश राम देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 242422

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार कर्ष
2. पिता/पति : गणेशराम कर्ष
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242423
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रशेखर कुर्रे

2. पिता/पति : गणेशराम कुर्रे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242424

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार साहू

2. पिता/पति : गणेशराम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242425

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजकुमार साहू

2. पिता/पति : गणेशराम साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 242426

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कल्याणी चुरेन्द्र
2. पिता/पति : गणेशराम चुरेन्द्र
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर 242427

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अयज कुमार पाठक

2. पिता/पति : गणेश्वर पाठक

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 242428

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मो. समीम अंसारी
2. पिता/पति : गयासुद्दीन अंसारी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 242429
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष गुप्ता

2. पिता/पति : गंदौरी गुप्ता

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242430

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजू धिरही

2. पिता/पति : गंगा प्रसाद धिरही

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242431

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मीना सिदार
2. पिता/पति : गंगाराम सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायगढ़
5. रोल नम्बर 242432

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कोमल राम

2. पिता/पति : गंगूराम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242433

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेश कुमार डाहिरे

2. पिता/पति : गंगूदास डाहिरे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242434

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनीष पारकर
2. पिता/पति : गब्बूराम पारकर
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर 242435

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विनय कुमार मिंज

2. पिता/पति : गब्रेल मिंज

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242436

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : फुलजेन्सिया टोप्पो

2. पिता/पति : गब्रिएल टोप्पो

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242437

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शैलेश कुमार

2. पिता/पति : गीताराम

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242438

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकेश कुमार साहू
2. पिता/पति : गीताराम साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बेमेतरा
5. रोल नम्बर : 242439
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्यामलाल नागेन्द्र
2. पिता/पति : गोंसाई राम नागेन्द्र
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 242440
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कीर्तिका खांडे

2. पिता/पति : गौकरण खांडे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242441

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खेमलता चौहान

2. पिता/पति : गोकुल प्रसाद

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242442

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रामधन राम आर्मी
2. पिता/पति : गौरिया राम आर्मी
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर-रामानुजगंज
5. रोल नम्बर 242443

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमलेश्वर डहरे

2. पिता/पति : गोसितराम डहरे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242444

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रवि कुमार बेहरा

2. पिता/पति : गोविंद बेहरा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242445

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रिया दास
2. पिता/पति : गोविंद दास
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर : 242446
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जीवन लाल साहू
2. पिता/पति : गोविंदराम साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242447

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : केशर सिंह कँवर
2. पिता/पति : गोविन्द सिंह कँवर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242448
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भारती नाग
2. पिता/पति : गोविन्द सिंह नाग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : नारायणपुर
5. रोल नम्बर 242449
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अजय कुमार कुर्रे
2. पिता/पति : गोविन्द प्रसाद कुर्रे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर : 242450
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बिनीत कुमार तिवारी

2. पिता/पति : गोविन्द प्रसाद तिवारी

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 242451

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नीरज कुमार पटनायक

2. पिता/पति : गोविन्द चन्द्र पटनायक

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 242452

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओमप्रकाश देवांगन
2. पिता/पति : गोपीराम देवांगन
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242453
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राकेश कुमार थवाइत

2. पिता/पति : गोपीचंद थवाइत

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242454

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रतिप्रदा कुलमित्र
2. पिता/पति : गोपीनाथ कुलमित्र
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 242455
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : त्रिलोक सिंह इन्दोरिया

2. पिता/पति : गोपाल सिंह इन्दोरिया

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 242456

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शैलेश टण्डन

2. पिता/पति : गोपाल प्रसाद

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242457

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार साहू
2. पिता/पति : गोपाल प्रसाद साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 242458
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ज्योतिष कुमार सर्वे

2. पिता/पति : गोपाल प्रसाद सर्वे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 242459

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पांजली तंबोली
2. पिता/पति : गोपाल प्रसाद तंबोली
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 242460
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रशांत कुमार

2. पिता/पति : गोपाल राम

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

5. रोल नम्बर 242461

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गुरुचरण साव
2. पिता/पति : गोपालराम साव
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242462
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हर्षा थवाइत

2. पिता/पति : गौरीशंकर थवाइत

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242463

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विशाल कुमार अग्रवाल

2. पिता/पति : गौरीशंकर अग्रवाल

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242464

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरिता बजरंगी कुजूर

2. पिता/पति : गौरव कुजूर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242465

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राहुल कुमार
2. पिता/पति : गोरेलाल साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242466

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नूतन कुमार
2. पिता/पति : गोवर्धन प्रसाद
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 242467

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूतेन्द्र कुमार महेश्वरी

2. पिता/पति : गोवर्धन राम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242468

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रेमचंद कुंजाम
2. पिता/पति : गोवर्धन राम कुंजाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 242469
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अर्जुन कुमार लकड़ा

2. पिता/पति : गोवर्धन लकड़ा

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242470

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : परमेश्वर जैन
2. पिता/पति : गोवर्धनराम जैन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कांकर
5. रोल नम्बर 242471

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रमोद कुमार बघेल

2. पिता/पति : गोफेलाल बघेल

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242472

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : खेमचंद शर्मा

2. पिता/पति : गौतमदास शर्मा

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242473

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कुलदीप सिंह

2. पिता/पति : गोला सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242474

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : उपेन्द्र कुमार सिंह

2. पिता/पति : गुरुणचरण सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242475

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लता ईदनानी
2. पिता/पति : गुरुमुख दास ईदनानी
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 242476
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लालजी ध्रुव

2. पिता/पति : गुहाराम ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 242477

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : परमेश्वर सिंह कंवर

2. पिता/पति : गुहाराम कंवर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242478

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सहनीराम सिदार
2. पिता/पति : गुहाराम सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर : 242479
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमुला नेताम

2. पिता/पति : गुन्धर नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242480

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मोनिका सेठिया
2. पिता/पति : गुन्नीराम सेठिया
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 242481

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार चुरेन्द्र

2. पिता/पति : गुन्नु राम चुरेन्द्र

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 242482

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजीव कुमार श्रीरंगे

2. पिता/पति : गुआल सिंह श्रीरंगे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 242483

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जमील खान

2. पिता/पति : गफूर खान

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 242484

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरीश कुमार

2. पिता/पति : गुलाब सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242485

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेश कुमार साहू
2. पिता/पति : गुलाब सिंह साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर 242486
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : देवेन्द्र कुमार वर्मा
2. पिता/पति : गुलाब सिंह वर्मा
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242487
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यशोदा कहार
2. पिता/पति : गुलाब राम कहार
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242488
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : छन्दाचरण आचार्य
2. पिता/पति : गुलाबचंद आचार्य
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 242489
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र ध्रुव
2. पिता/पति : गेंदराम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कांकेर
5. रोल नम्बर 242490

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बाबूलाल देवांगन

2. पिता/पति : गेंदराम देवांगन

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 242491

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमन्त कुमार वर्मा
2. पिता/पति : गैंदराम वर्मा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 242492
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हेमप्रसाद

2. पिता/पति : गेंदूराम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242493

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भूपेन्द्र कुमार पटेल

2. पिता/पति : गेंदलाल पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242494

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सत्येन्द्र नाथ सिंह

2. पिता/पति : गेहेन्द्र पाल सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242495

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओमप्रकाश भारद्वाज
2. पिता/पति : गेन्दराम भारद्वाज
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 242496
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हीरा सिंह पेन्द्रो
2. पिता/पति : गेन्दलाल
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 242497
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नागेन्द्र नारायण सिंह
2. पिता/पति : गजरूप सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर 242498

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हीरामणी साहू

2. पिता/पति : गजराम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242499

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश सिंह

2. पिता/पति : गजराज राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242500

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंजनी कुमार मिश्रा
2. पिता/पति : गजाधर प्रसाद मिश्रा
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर : 242501
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रशेखर सिंह ठाकुर

2. पिता/पति : गजानंद सिंह ठाकुर

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242502

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नागलता सिदार
2. पिता/पति : गजानंद सिंह सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलौदाबाजार
5. रोल नम्बर 242503
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यशवंत कुमार स्वर्णकार

2. पिता/पति : गजानंद प्रसाद स्वर्णकार

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242504

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार पटेल

2. पिता/पति : गजानन्द पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242505

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सरोज कुमार सिदार

2. पिता/पति : गनपत लाल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242506

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भूपेन्द्र कुमार मिरी

2. पिता/पति : गनपत लाल मिरी

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242507

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मनोज कुमार धुर्वे
2. पिता/पति : गनेश राम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कबीरधाम
5. रोल नम्बर 242508
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित तिकी

2. पिता/पति : ग्रेगोरी तिकी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242509

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लिवान्स टोप्पो

2. पिता/पति : ग्रेगोरी टोप्पो

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242510

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुष्पा मंडावी

2. पिता/पति : लखमा राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : दन्तेवाड़ा

5. रोल नम्बर 242511

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कमलेश कुमार ध्रुव

2. पिता/पति : लखन सिंह ध्रुव

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242512

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हीरालाल कोसरे
2. पिता/पति : लखन दास कोसरे
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
5. रोल नम्बर 242513
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र कुमार पटेल

2. पिता/पति : लखन लाल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242514

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शंकर लाल टंडन
2. पिता/पति : लखन लाल
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : दुर्ग
5. रोल नम्बर 242515
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : डायमंड साहू

2. पिता/पति : लखन लाल साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242516

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोमन सिंह चन्द्रवंशी

2. पिता/पति : लखनलाल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : राजनांदगांव

5. रोल नम्बर 242517

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शेखर कुमार बन्धे

2. पिता/पति : लखनलाल बन्धे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242518

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमित कुमार श्रीवास्तव
2. पिता/पति : लखनलाल श्रीवास्तव
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 242519

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : समरजीत सिंह राज

2. पिता/पति : लखनलाल राज

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जांजगीर-चांपा

5. रोल नम्बर 242520

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : इन्द्र कुमार झाड़ी
2. पिता/पति : लक्ष्मण झाड़ी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बीजापुर
5. रोल नम्बर 242521
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कीर्ति धनेन्द्र
2. पिता/पति : लक्ष्मण कुमार धनेन्द्र
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : नारायणपुर
5. रोल नम्बर 242522
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोमार सिंह

2. पिता/पति : लक्ष्मण सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242523

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विजय प्रताप सिंह
2. पिता/पति : लक्ष्मण सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर 242524

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संतोष बघेल

2. पिता/पति : लक्ष्मण सिंह बघेल

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 242525

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हिम्मत लाल सोनवानी

2. पिता/पति : लक्ष्मण सिंह सोनवानी

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : कांकर

5. रोल नम्बर 242526

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लालसाय सिदार
2. पिता/पति : लक्ष्मण सिदार
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242527
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविकांत दिली

2. पिता/पति : लक्ष्मण दिली

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 242528

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरीश कुमार ठाकुर
2. पिता/पति : लक्ष्मण प्रसाद ठाकुर
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242529
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेन्द्र कुमार मंडावी

2. पिता/पति : लक्ष्मण राम मंडावी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बस्तर

5. रोल नम्बर 242530

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेन्द्र कुमार देवांगन
2. पिता/पति : लक्ष्मण राम देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
5. रोल नम्बर 242531

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश कुमार नगेसिया

2. पिता/पति : लक्ष्मण राम नगेसिया

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : जशपुर

5. रोल नम्बर 242532

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बिनीता सिंह

2. पिता/पति : लक्ष्मण तनेन्द्र सिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 242533

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कृष्ण कुमार सिंह
2. पिता/पति : लक्ष्मी सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर : 242534
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बाली चौहान

2. पिता/पति : लक्ष्मी प्रसाद

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242535

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तरुणा साहू

2. पिता/पति : लक्ष्मी प्रसाद

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242536

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अविनाश कुमार निकुंज

2. पिता/पति : लक्ष्मी प्रसाद निकुंज

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242537

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रविकांत
2. पिता/पति : लक्ष्मीकांत
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 242538

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : किशन कुमार देवांगन

2. पिता/पति : लक्ष्मीप्रसाद देवांगन

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242539

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भुवन सिंह पात्र

2. पिता/पति : लक्ष्मीनाथ पात्र

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : नारायणपुर

5. रोल नम्बर 242540

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जागेराम देवांगन
2. पिता/पति : लक्ष्मीनाथ देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 242541
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनील कुमार नाग
2. पिता/पति : लक्ष्मीनाथ नाग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोण्डागांव
5. रोल नम्बर 242542
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पुनूराम नेताम

2. पिता/पति : लक्ष्मीनाथ नेताम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 242543

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश कुमार पांडे
2. पिता/पति : लक्ष्मीनारायण पांडे
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : मुंगेली
5. रोल नम्बर 242544
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रिया सक्सेना
2. पिता/पति : लक्ष्मीनारायण सक्सेना
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही
5. रोल नम्बर : 242545
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अरविंद कुमार साहू

2. पिता/पति : लक्ष्मीनारायण साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242546

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कंचन साहू
2. पिता/पति : लक्ष्मीनारायण साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर : 242547
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार साहू
2. पिता/पति : लक्ष्मीनारायण साहू
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर 242548

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सोमेश कुमार पुजारी

2. पिता/पति : लक्ष्मैया पुजारी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 242549

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : धनेश्री सिदार

2. पिता/पति : लकेशवर प्रसाद

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242550

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पिकी नाग
2. पिता/पति : लछिन्दर नाग
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 242551

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मुकेश कुमार पुजारी

2. पिता/पति : लच्छिन्धर पुजारी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 242552

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश पाण्डेय
2. पिता/पति : ललित किशोर पाण्डेय
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर : 242553
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुनयना सिंह
2. पिता/पति : ललित सिंह
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
5. रोल नम्बर : 242554
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ओंकार सिंह राजपूत

2. पिता/पति : ललित राजपूत

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बेमेतरा

5. रोल नम्बर 242555

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : नरेश सिंह तिलगाम

2. पिता/पति : लील सिंह तिलगाम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कबीरधाम

5. रोल नम्बर 242556

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : विमला मरकाम
2. पिता/पति : लीलाधर मरकाम
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 242557

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप भगत
2. पिता/पति : लीलाराम भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर 242558

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : चन्द्रशेखर साहू

2. पिता/पति : लीलाराम साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : दुर्ग

5. रोल नम्बर 242559

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजेश कुमार बंजारे

2. पिता/पति : लोधराम बंजारे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : बिलासपुर

5. रोल नम्बर 242560

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हर्षप्रभा देवांगन

2. पिता/पति : लोकेश देवांगन

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 242561

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : यशपाल सिंह भुआर्य

2. पिता/पति : लोकेश्वर प्रसाद

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बालोद

5. रोल नम्बर 242562

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : टुकेन्द्र कुमार धनकर

2. पिता/पति : लोकनाथ धनकर

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : धमतरी

5. रोल नम्बर 242563

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रमेश कुमार मिश्र
2. पिता/पति : लोकनाथ मिश्र
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 242564
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : कंचन डडसेना

2. पिता/पति : लोकनाथ डडसेना

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242565

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : घनश्याम देवांगन
2. पिता/पति : लोकनाथ देवांगन
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : बस्तर
5. रोल नम्बर 242566
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बलराम दीवान

2. पिता/पति : लोमश सिंह दीवान

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242567

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भवेन्द्र कुमार साहू

2. पिता/पति : लोमश राम साहू

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : गरियाबंद

5. रोल नम्बर 242568

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुरेन्द्र कुमार पंडा
2. पिता/पति : लोलिम्ब राज
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 242569
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मधु मंजरी लकड़ा
2. पिता/पति : लौरेंस लकड़ा
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : जशपुर
5. रोल नम्बर : 242570
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशा पैकरा

2. पिता/पति : लोड़हा राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242571

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : आशीष टोप्पो
2. पिता/पति : लाजरूस टोप्पो
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बिलासपुर
5. रोल नम्बर 242572

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वेंकटेश्वर राव पोंदी

2. पिता/पति : लाल पोंदी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 242573

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रूपचंद डाहिरे

2. पिता/पति : लाल दास डाहिरे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : मुंगेली

5. रोल नम्बर 242574

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लोकनाथ पटेल
2. पिता/पति : लालकुमार पटेल
3. वर्ग : अ.पि.व.
4. जिला : सारंगढ़-बिलाईगढ़
5. रोल नम्बर : 242575
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मंजरी सोनवानी
2. पिता/पति : लालमति सोनवानी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 242576
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अर्चना निरंकारी
2. पिता/पति : लालबिहारी निरंकारी
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : सूरजपुर
5. रोल नम्बर 242577
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : राजतिलक गेंड्रे

2. पिता/पति : लाला राम गेंड्रे

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायपुर

5. रोल नम्बर 242578

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संदीप कुमार भगत

2. पिता/पति : लालसाय भगत

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242579

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : श्वेता भगत
2. पिता/पति : लालसाय भगत
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : बलरामपुर
5. रोल नम्बर 242580

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : शैलेश कुमार मिंज

2. पिता/पति : लालसाय राम

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बलरामपुर

5. रोल नम्बर 242581

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : महेन्द्र कुमार नायक

2. पिता/पति : लालजी राम नायक

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोण्डागांव

5. रोल नम्बर 242582

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भास्कर सफनी

2. पिता/पति : लालू सफनी

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 242583

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : जितेन्द्र पाटले

2. पिता/पति : लछनराम

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242584

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : ममता सिंह

2. पिता/पति : लवकेश सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : कोरबा

5. रोल नम्बर 242585

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : दोमेश्वरी साहू
2. पिता/पति : लवेश कुमार साहू
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : बालोद
5. रोल नम्बर : 242586
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : फागूलाल साहू

2. पिता/पति : लच्छीराम साहू

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : बलौदाबाजार

5. रोल नम्बर 242587

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : भोगसिंह जगत

2. पिता/पति : लच्छन सिंह जगत

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : महासमुंद

5. रोल नम्बर 242588

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सुमन ठाकुर

2. पिता/पति : लुकेश कुमार ठाकुर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : बीजापुर

5. रोल नम्बर 242589

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंचल सीमा देवांगन
2. पिता/पति : लुकेश देवांगन
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : कोरबा
5. रोल नम्बर 242590
6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : लेखराम देवांगन
2. पिता/पति : लतेल राम देवांगन
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : रायपुर
5. रोल नम्बर : 242591
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सावित्री देवी
2. पिता/पति : लतेलराम
3. वर्ग : अ.जा.
4. जिला : जांजगीर-चांपा
5. रोल नम्बर 242592

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : हरिशंकर पटेल

2. पिता/पति : लेखराम पटेल

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : शक्ती

5. रोल नम्बर 242593

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तारा ठाकुर
2. पिता/पति : लेखराज ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 242594

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तारा ठाकुर
2. पिता/पति : लेखराज ठाकुर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : महासमुंद
5. रोल नम्बर 242595

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अमरदास संजय

2. पिता/पति : लेखूराम संजय

3. वर्ग : अ.जा.

4. जिला : रायगढ़

5. रोल नम्बर 242596

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : वन्दना कुजूर

2. पिता/पति : लेओस कुजूर

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : कोरिया

5. रोल नम्बर 242597

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : षटकोण प्रताप सिंह

2. पिता/पति : लल्लूसिंह

3. वर्ग : अ.ज.जा.

4. जिला : सूरजपुर

5. रोल नम्बर 242598

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : गाविल कुमार ध्रुव
2. पिता/पति : लल्लूराम ध्रुव
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : गरियाबंद
5. रोल नम्बर : 242599
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : संजय कुमार ठाकुर

2. पिता/पति : रघुनाथ ठाकुर

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242600

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : रीता कुजूर
2. पिता/पति : धनसाय कुजूर
3. वर्ग : अ.ज.जा.
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर 242601

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024
7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : सत्यनारायण यादव

2. पिता/पति : पारस नाथ यादव

3. वर्ग : अ.पि.व.

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242602

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अंकिता सिंह

2. पिता/पति : इंद्रजीत सिंह

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242603

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अभय पाल सिंह
2. पिता/पति : गगनेन्द्र सिंह पाल
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : सरगुजा
5. रोल नम्बर : 242604
6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : मिथलेश प्रजापति

2. पिता/पति : रामजन्म प्रजापति

3. वर्ग : अनारक्षित

4. जिला : सरगुजा

5. रोल नम्बर 242605

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम परिसर, रायपुर

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


संचालक